रामान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025

नियमों का क्रम

अध्याय – 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार 1

2. अनुसूचित जनजातियों पर नियमावली की प्रयोज्यता 1

3. परिभाषाएं 1

अध्याय – 2

नियुक्ति एवं कर्तव्य

4. महानिबंधक, निबंधक एवं उप–निबंधक की नियुक्ति 4

(1) महानिबंधक की नियुक्ति

(2) निबंधकों की नियुक्ति

(3) उप–निबंधकों की नियुक्ति

5. महानिबंधक के कर्तव्य 5

(1) विवाह के पंजीकरण एवं पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के मामले में

(क) निबंधक की निष्क्रियता पर उठाए जाने वाले कदम

(ख) निबंधक द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध पंजीकरणकर्ताओं एवं उप–निबंधक द्वारा योजित अपीलों पर निर्णय

(2) विवाह–विच्छेद/विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण के मामले में 6

(क) निबंधक की निष्क्रियता पर उठाए जाने वाले कदम

(ख) निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध योजित अपील पर निर्णय

(3) विधिक उत्तराधिकारी/इच्छापत्रीय उत्तराधिकार की घोषणा के पंजीकरण के मामले में 7

(क) निबंधक की निष्क्रियता पर उठाए जाने वाले कदम

(ख) निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध योजित अपील पर निर्णय

(ग) इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख जमा करना

(4) सहवासी संबंध के पंजीकरण के मामले में 8

(क) निबंधक की निष्क्रियता पर उठाए जाने वाले कदम

(ख) निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध योजित अपील पर निर्णय

(5) सहवासी संबंध की समाप्ति मामले में 10

(क) निबंधक की निष्क्रियता पर उठाए जाने वाले कदम

6. निबंधक के कर्तव्य 10

(1) विवाह के पंजीकरण एवं पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के मामले में

(क) उप–निबंधक की निष्क्रियता पर उठाए जाने वाले कदम

(ख) उप–निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध योजित अपील पर निर्णय

(2) विवाह–विच्छेद/विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण के मामले में 11

(क) उप–निबंधक की निष्क्रियता पर उठाए जाने वाले कदम

(ख) उप–निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध योजित अपील पर निर्णय

(3) विधिक उत्तराधिकारियों/इच्छापत्रीय उत्तराधिकार की घोषणा के पंजीकरण के मामले में 13

(क) उप–निबंधक की निष्क्रियता पर उठाए जाने वाले कदम

(ख) उप–निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध योजित अपील पर निर्णय

(ग) इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख जमा करना

(4) सहवासी संबंध के पंजीकरण के मामले में 14

(क) स्थानीय पुलिस थाने के साथ सूचना साझा करना

(ख) संक्षिप्त जांच

(ग) अतिरिक्त सूचना की मांग

(घ) माता–पिता/विधिक अभिभावकों को सूचना

(ङ) नियम 8 (3) के खण्ड (ग) के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के पश्चात सूचना अद्यतन करने पर विलंब शुल्क

(च) संक्षिप्त जांच के उपरांत संभावित कार्रवाईयां

(छ) सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु नोटिस

(ज) शास्ति/अर्थदण्ड एवं दण्ड

(झ) सहवासी संबंध के कथन की स्वीकृति/अस्वीकृति

(ञ) अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र के मामले में की जाने वाली कार्रवाई

(ट) स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के साथ सूचना साझा करने की प्रक्रिया

(5) सहवासी संबंध की समाप्ति मामले में 18

(क) स्थानीय पुलिस थाने के साथ सूचना साझा करना

(ख) दूसरे सहवासी के साथ सूचना साझा करना

(ग) संक्षिप्त जांच

(घ) माता–पिता/विधिक अभिभावकों को सूचना

(ङ) सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्रवाई

(च) स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के साथ सूचना साझा करने की प्रक्रिया

7. उप–निबंधक के कर्तव्य 19

(1) विवाह के पंजीकरण एवं पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के मामले में

(क) विवाह पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति का ज्ञापन प्राप्त होने पर की जाने वाली संक्षिप्त जांच एवं कार्रवाई

(ख) अतिरिक्त सूचना की मांग

(ग) माता–पिता/विधिक अभिभावकों को सूचना

(घ) निर्धारित समयावधि के पश्चात ज्ञापन प्रस्तुतीकरण हेतु विलंब शुल्क

(ङ) शास्ति/अर्थदण्ड एवं दण्ड

(च) नियम 7 (1) के अंतर्गत जानबूझकर चूक या उपेक्षा का अवधारण

(छ) विवाह पंजीकरण हेतु ज्ञापन की स्वीकृति/अस्वीकृति

(ज) पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु प्रस्तुत ज्ञापन की स्वीकृति/अस्वीकृति

(2) विवाह–विच्छेद/विवाह की अकृतता के पंजीकरण के मामले में 24

(क) विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन प्राप्त होने पर की जाने वाली संक्षिप्त जाचं एवं कार्रवाई

(ख) अतिरिक्त सूचना की मांग

(ग) निर्धारित समयावधि के पश्चात ज्ञापन प्रस्तुतीकरण हेतु विलंब शुल्क

(घ) शास्ति/अर्थदण्ड एवं दण्ड

(ङ) नियम 7 (2) के खण्ड (घ) के अंतर्गत जानबूझकर चूक या उपेक्षा का अवधारण

(च) विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत ज्ञापन की स्वीकृति/अस्वीकृति

(3) विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा के पंजीकरण के मामले में 27

(क) विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन प्राप्त होने पर की जाने वाली संक्षिप्त जांच

(ख) अतिरिक्त सूचना की मांग

(ग) विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु प्रस्तुत आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति

(घ) विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा के पंजीकरण के पश्चात घोषणकर्ता द्वारा अद्यतित सूचना की स्वीकृति/अस्वीकृति

(4) इच्छापत्रीय उत्तराधिकार के पंजीकरण के मामले में 28

(क) संक्षिप्त जांच

(ख) संक्षिप्त जाचं के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई

(ग) इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के पंजीकरण हेतु आवेदन की अस्वीकृति

(घ) पंजीकृत इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख का निर्गमन

(ङ) पंजीकृत इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख की प्रति का परिरक्षण

(च) पंजीकृत अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने संबंधी आवेदन पर संक्षिप्त जांच

(छ) उपरोक्त नियम 7 (4) के खण्ड (च) के अंतर्गत संक्षिप्त जांच के पश्चात् उप–निबंधक द्वारा की गई कार्रवाई

(ज) निष्पादकों /इच्छापत्रदारों/अधिकृत व्यक्तियों को सूचना

8. पंजीकरणकर्ताओं के कर्तव्य 30

(1) अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह के मामले में

(क) ज्ञापन का समयोचित प्रस्तुतीकरण

(ख) अतिरिक्त सूचना का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण

(ग) सूचना अद्यतन करना

(2) विवाह–विच्छेद / विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण के मामले में 32

(क) ज्ञापन का समयोचित प्रस्तुतीकरण

(ख) अतिरिक्त सूचना का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण

(ग) सूचना अद्यतन करना

(3) सहवासी संबंध के मामले में 33

(क) कथन का प्रस्तुतीकरण

(ख) अतिरिक्त सूचना का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण

(ग) सूचना अद्यतन करना

अध्याय – 3

विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण

9. विवाह का पंजीकरण एवं पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति 34

(1) विवाह के पंजीकरण एवं पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति की परिस्थितियाँ

(2) पंजीकरण/अभिस्वीकृति के प्रयोजन हेतु विवाहों का वर्गीकरण

(3) विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन में सम्मिलित की जाने वाली सूचना

(4) यदि पंजीकरणकर्ताओं में से एक विदेशी नागरिक है तो ज्ञापन में सम्मिलित की जाने वाली अतिरिक्त सूचना

(5) पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के ज्ञापन में सम्मिलित की जाने वाली अतिरिक्त सूचना

(6) एकल रूप से ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त सूचना

(7) बहुविवाह की स्थिति में सम्मिलित की जाने वाली अतिरिक्त सूचना

(8) विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(9) विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

(10) विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन के ऑफलाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

(11) विवाह पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु शुल्क

10. विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति का पंजीकरण 38

(1) सामान्य प्रावधान

(2) पंजीकरण के प्रयोजनार्थ विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति का वर्गीकरण

(3) विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन में सम्मिलित की जाने वाली सूचना

(4) विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(5) विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

(6) विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन के ऑफलाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

(7) विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु शुल्क

11. पंजीकरणकर्ता के अधिकार 43

(1) उप–निबंधक/निबंधक की निष्क्रियता के विरुद्ध शिकायत

(2) अपील योजित करना

(क) उप–निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील

(ख) निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील

अध्याय– 4

इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार

12. इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी उत्तराधिकार 44

(1) इच्छापत्र रहित मृतक की संपदा का वितरण

(2) विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा

(3) विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा में सम्मिलित की जाने वाली सूचना

(4) यदि घोषणाकर्ता विदेशी नागरिक है तो घोषणा में सम्मिलित की जाने वाली अतिरिक्त सूचना

(5) विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(6) विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

(7) विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु शुल्क

13. घोषणकर्ता के कर्तव्य 48

(1) अतिरिक्त सूचना का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण

(2) सूचना अद्यतन करना

14. इच्छापत्रीय उत्तराधिकार 48

(1) इच्छापत्र/क्रोडपत्र संबंधी संविधिक प्रावधान

(क) इच्छापत्र/क्रोडपत्र का सृजन, परिवर्तन, प्रतिसंहरण, निष्पादन एवं पुनः प्रवर्तन

(ख) इच्छापत्र/क्रोडपत्र के पंजीकरण एवं इच्छापत्र/क्रोडपत्र के प्रतिसंहरण/पुनः प्रवर्तन संबंधी कथन के पंजीकरण हेतु वैधानिक प्रावधान

(ग) इच्छापत्र/क्रोडपत्र के पंजीकरण एवं इच्छापत्र/क्रोडपत्र के प्रतिसंहरण/पुनः प्रवर्तन संबंधी कथन के पंजीकरण हेतु वैधानिक प्रावधान

(2) इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख का पंजीकरण 49

(क) इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के पंजीकरणकर्ता

(ख) पंजीकरण हेतु इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

(ग) इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के पंजीकरण हेतु शुल्क

(घ) इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख पंजीकरण की रीति

(ङ) उपरोक्त नियम 14 (2) के खण्ड (घ) (i) के अंतर्गत इच्छापत्र पंजीकरण हेतु अपेक्षित सूचना

(च) उपरोक्त नियम 14 (2) के खण्ड (घ) (ii) के अंतर्गत इच्छापत्र के पंजीकरण हेतु अपेक्षित सूचना

(छ) उपरोक्त नियम 14 (2) के खण्ड (घ) (iii) के अंतर्गत इच्छापत्र के पंजीकरण हेतु अपेक्षित सूचना

(ज) उपरोक्त नियम 14 (2) के खण्ड (घ) (i) के अंतर्गत क्रोडपत्र के पंजीकरण हेतु अपेक्षित सूचना

(झ) उपरोक्त नियम 14 (2) के खण्ड (घ) (ii) के अंतर्गत क्रोडपत्र के पंजीकरण हेतु अपेक्षित सूचना

(ञ) उपरोक्त नियम 14 (2) के खण्ड (घ) (iii) के अंतर्गत क्रोडपत्र के पंजीकरण हेतु अपेक्षित सूचना

(ट) इच्छापत्र/क्रोडपत्र का प्रतिसंह्रण

(ठ) प्रतिसंह्रत इच्छापत्र/क्रोडपत्र का पुनः प्रवर्तन

(ड) पूर्व पंजीकृत इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख को अंतिम पंजीकृत इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के रूप में घोषित करना

(3) इच्छापत्रकर्ता/इच्छापत्रदार/निष्पादक/अधिकृत व्यक्ति के अधिकार 70

(क) इच्छापत्रकर्ता के अधिकार

(ख) निष्पादक/इच्छापत्रदार/अधिकृत व्यक्ति के अधिकार

(ग) इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख को कब पंजीकृत हुआ माना जाएगा

(घ) उप–निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील

(ङ) निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील

अध्याय– 5

सहवासी संबंध

15. सहवासी सबंध का पंजीकरण 71

(1) पंजीकरण के प्रयोजनार्थ सहवासी संबंध का वर्गीकरण

(2) सहवासी सबंध का पंजीकरण

(3) सहवासी संबंध के कथन में सम्मिलित की जाने वाली सूचना

(4) यदि पंजीकरणकर्ताओं में से कोई भी 21 वर्ष से कम आयु का है तो उनसे संबंधित अतिरिक्त सूचना

(5) यदि सहवासीगण पूर्व से ही सहवासी संबंध में हैं तो अतिरिक्त सूचना

(6) सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु कथन के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

(7) सहवासी संबंध को पंजीकृत करने हेतु कथन के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

(8) सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु कथन के ऑफ़लाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

(9) सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु शुल्क

16. सहवासी संबंध की समाप्ति 77

(1) सहवासी संबंध की समाप्ति की प्रक्रिया

(2) सहवासी संबंध की समाप्ति के कथन में सम्मिलित की जाने वाली सूचना

(3) सहवासी संबंध की समाप्ति हेतु कथन के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

(4) सहवासी संबंध की समाप्ति हेतु कथन के ऑफ़लाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

(5) सहवासी संबंध की समाप्ति हेतु शुल्क

17. सहवासियों के कर्तव्य 79

(1) सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन प्रस्तुत करना

(2) गर्भस्थ बच्चे के संबंध में सूचना

18. सहवासियों के अधिकार 79

(1) निबंधक की निष्क्रियता के विरुद्ध शिकायत

(2) उप–निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील

(3) निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील

19. अनुषांगिक विषय 80

(1) क्षेत्राधिकार एवं प्रक्रिया

अध्याय– 6

प्रकीर्ण प्रावधान

20.

(1) सूचना तक पहुंच 81

(2) मिथ्या शिकायतों को हतोत्साहित करना

(3) समय पर भुगतान न करने पर शास्ति/अर्थदंड की वसूली

(4) शिकायतें योजित करने की प्रक्रिया

(5) विवाहों के पंजीकरण/अभिस्वीकृति की सुगमता एवं प्रोत्साहन

(6) प्रमाणित उद्धरण प्राप्त करना

(7) उत्तराधिकार के मामले में प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की प्रक्रिया

(8) साझी गृहस्थी के रूप में उपयागे किए जाने हेतु किराये के आवास की व्यवस्था को सुलभ बनाना

21. **कठिनाइयों के निवारण की शक्ति** 84

प्रपत्र एवं अनुलग्नक 85-171

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग–5

सं0: 99 /xx–5/2025/03(10) 2024–ई–71413

देहरादून, दिनांकः 27 जनवरी, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड, 2024 की धारा 48, 389, एवं 391 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थातः–

समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखण्ड, 2025

अध्याय – 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 है।

(2) यह उस दिनांक को प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(3) इस नियमावली का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर है और यह उत्तराखण्ड के उन निवासियों पर भी लागू होती है जो इस नियमावली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के बाहर अधिवसित हैं। विवाह, विवाह–विच्छेद, वैवाहिक विवाद एवं अनुषांगिक विषय तथा सहवासी संबंध के बारे में इस नियमावली में निहित प्रावधान उन मामलों पर भी लागू होंगे जहां सहवासियों में से एक विदेशी नागरिक है और दूसरा उत्तराखण्ड का निवासी है। ऐसे मामलों में विरासत/उत्तराधिकार, इस नियमावली के अंतर्गत इस विषय पर प्राविधानित उपबंधों के सपठित **संहिता के भाग 2** द्वारा शासित होगा।

2. अनुसूचित जनजातियों पर नियमावली की प्रयोज्यता – समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 की धारा 2 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) के सहपठित अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों एवं ऐसे व्यक्तियों व व्यक्तियों के समूहों जिनके परंपरागत अधिकार भारत के संविधान के भाग 21 के अंतर्गत संरक्षित हैं, पर इस नियमावली के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

3. परिभाषाएं –

(1) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **"अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र"** से ऐसा प्रमाण पत्र अभिप्रेत है जो यह अभिस्वीकृत करने हेतु निर्गत किया गया हो कि विवाह को समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 के अतिरिक्त किसी अधिनियम/नियमावली के अधीन पंजीकृत किया गया है, या भारत के सीमान्तर्गत किसी भी

न्यायालय द्वारा पारित विवाह–विच्छेद अथवा विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति की अभिस्वीकृति हेतु निर्गत किया गया हो;

(ख) **"आनंद कारज"** से वह अनुष्ठान अभिप्रेत है जिसके माध्यम से सिख समुदाय द्वारा अपनाए जाने वाले रूढ़ि एवं प्रथाओं के अनुसार विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया जाता है;

(ग) **"अपीलार्थी"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने उप–निबंधक/निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील योजित की है;

(घ) **"आशीर्वाद"** से वह अनुष्ठान अभिप्रेत है जिसके माध्यम से पारसी समुदाय द्वारा अपनाए जाने वाले रूढ़ि एवं प्रथाओं के अनुसार विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया जाता है;

(ड) **"संहिता"** से समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 अभिप्रेत है;

(च) **"डेटाबेस"** से उन समस्त सूचनाओं/डेटा के समुच्चय (संकलन) अभिप्रेत है जो संहिता/नियमावली के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सृजित/प्राप्त किए जाते हैं और जो सर्वर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत होते हैं;

(छ) **"घोषणाकर्ता"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस नियमावली के अंतर्गत पंजीकरण करके अपने विधिक उत्तराधिकारी की घोषणा करना चाहता है;

(ज) **"इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर"** से डेटाबेस अभिप्रेत है;

(झ) **"पवित्र मिलन"** से वह अनुष्ठान अभिप्रेत है जिसके माध्यम से ईसाई समुदाय द्वारा अपनाए जाने वाले रूढ़ि एवं प्रथाओं के अनुसार विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया जाता है;

(ञ) **"रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक"** से इस नियमावली के इच्छापत्रीय उत्तराधिकार उपबंधों के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक अभिप्रेत है, जिसे **रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 3** में निहित उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो;

(ट) **"मंगल फेरे"** से वह अनुष्ठान अभिप्रेत है जिसके माध्यम से जैन समुदाय द्वारा अपनाए जाने वाले रूढ़ि एवं प्रथाओं के अनुसार विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया जाता है;

(ठ) **"ज्ञापन"** से ऐसे आवेदन अभिप्रेत हैं, जिसे सहायक अभिलेखों के साथ, निम्नलिखित प्रयोजन हेतु प्रस्तुत किया गया हो –

(i) विवाह का पंजीकरण; या

(ii) विवाह–विच्छेद अथवा विवाह की अकृतता की अभिस्वीकृति; या

(iii) पंजीकृत विवाह की घोषणा की अभिस्वीकृति;

(ड) **"निकाह"** से वह अनुष्ठान अभिप्रेत है जिसके माध्यम से मुस्लिम समुदाय द्वारा अपनाए जाने वाले रूढ़ि एवं प्रथाओं के अनुसार विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया जाता है;

(ढ) **"निसुइन"** से वह अनुष्ठान अभिप्रेत है जिसके माध्यम से यहूदी समुदाय द्वारा अपनाए जाने वाले रूढ़ि एवं प्रथाओं के अनुसार विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया जाता है;

(ण) **"अनुष्ठाता"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो संबंधित समुदाय के रूढ़ि एवं प्रथाओं के अनुसार विवाह अनुष्ठान संपन्न करता है;

(त) **"पकटोन"** से वह अनुष्ठान अभिप्रेत है जिसके माध्यम से बौद्ध समुदाय द्वारा अपनाए जाने वाले रूढ़ि एवं प्रथाओं के अनुसार विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया जाता है;

(थ) संहिता में उल्लिखित **"रजिस्टर"** से इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर अभिप्रेत है;

(द) **"पंजीकरणकर्ता"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो विवाह, विवाह–विच्छेद अथवा विवाह की अकृतता, सहवासी संबंध या सहवासी संबंध की समाप्ति को पंजीकृत कराना चाहता है, या विवाह का पूर्व पंजीकरण या विवाह–विच्छेद अथवा विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति को अभिस्वीकृत कराना चाहता है, या इच्छापत्रकर्ता जो अपने इच्छापत्रीय कथन/दस्तावेज पंजीकृत कराना चाहता है या वह व्यक्ति जो इस नियमावली के अनुसार इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात इच्छापत्रकर्ता के इच्छापत्र/क्रोडपत्र पंजीकृत कराना चाहता है;

(ध) **"निबंधक"** से ऐसा अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उप–जिलाधिकारी के पद से निम्न स्तर का ना हो अभिप्रेत है तथा इसमें इच्छापत्रीय उत्तराधिकार के प्रयोजनार्थ **रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6** में निहित उपबंधों के अनुसार नियुक्त निबंधक सम्मिलित होंगे;

(न) **"महानिबंधक"** से इस नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी, जो सचिव के पद से निम्न स्तर का न हो, अभिप्रेत है तथा इसमें इच्छापत्रीय उत्तराधिकार के प्रयोजनार्थ **भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 3** में निहित उपबंधों के अनुसार नियुक्त महानिरीक्षक, स्टॉम्प एवं रजिस्ट्रीकरण सम्मिलित होंगे;

(न) **"धर्म गुरु"** से किसी समुदाय के संदर्भ में उस समुदाय के पूजा स्थल के पुजारी या उस समुदाय से संबंधित किसी धार्मिक निकाय के पदाधिकारी अभिप्रेत हैं;

(प) **"नियमावली"** से समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 अभिप्रेत है;

(फ) **"सप्तपदी"** से वह अनुष्ठान अभिप्रेत है जिसके माध्यम से हिंदू समुदाय द्वारा अपनाए जाने वाले रूढ़ि एवं प्रथाओं के अनुसार विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया जाता है;

(ब) **"उप–निबंधक"** से इस नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है तथा इसमें इच्छापत्रीय उत्तराधिकार के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 में निहित उपबंधों के अनुसार नियुक्त उपनिबंधक भी सम्मिलित होंगे;

(भ) **"इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख"** से इच्छापत्र/क्रोड़पत्र/पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र के प्रतिसंहरण हेतु कथन अथवा पूर्व प्रतिसंहृत इच्छापत्र/क्रोड़पत्र के पुनः प्रवर्तन हेतु क्रोड़पत्र/कथन अभिप्रेत है;

(म) **"इच्छापत्र"** से इच्छापत्रकर्ता की अपनी संपदा के संबंध में उस आशय की विधिक घोषणा अभिप्रेत है जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात कार्यान्वित किये जाने की वांछा करता है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु संहिता में परिभाषित हैं के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिए निर्दिष्ट हैं।

स्पष्टीकरण –उन शब्दों और पदों का जो **भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925** में परिभाषित हैं, किन्तु संहिता अथवा इस नियमावली में परिभाषित नहीं हैं के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित हैं।

अध्याय –2

नियुक्ति एवं कर्तव्य

4. महानिबंधक, निबंधक एवं उप–निबंधक की नियुक्ति

(1) **महानिबंधक की नियुक्ति** – अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार संहिता की धारा 12 के अधीन अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को जो सचिव से निम्न स्तर का न हो महानिबंधक के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) **निबंधकों की नियुक्ति** –

(क) अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों हेतु उप–जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी निबंधक होगा;

(ख) अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत एवं नगर पालिका द्वारा सेवित नगरीय क्षेत्रों हेतु उप–जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी निबंधक होगा;

(ग) नगर निगम द्वारा सेवित नगरीय क्षेत्रों हेतु, संबंधित नगर आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी निबंधक होगा; तथा

(घ) छावनी क्षेत्रों हेतु, छावनी बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी निबंधक होगा।

(3) **उप–निबंधकों की नियुक्ति** –

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का प्रभार संभाल रहा व्यक्ति, अपने अधिकार क्षेत्र हेतु उप–निबंधक होगा;

(ख) नगर पंचायत या नगर पालिका द्वारा सेवित शहरी क्षेत्रों में, संबंधित अधिशासी अधिकारी या सरकार द्वारा नागित कोई अन्य अधिकारी उप–निबंधक होगा;

(ग) नगर निगम द्वारा सेवित नगरीय क्षेत्रों में, कर संग्रहण के प्रयोजन हेतु नियुक्त वार्ड का प्रभारी कर निरीक्षक या सरकार द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी/कार्मिक उक्त वार्ड का उप–निबंधक होगा; तथा

(घ) छावनी क्षेत्रों में छावनी बोर्ड का स्थानिक चिकित्सा अधिकारी या छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी अथवा सरकार द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी उप–निबंधक होगा।

5. महानिबंधक के कर्तव्य

(1) विवाह के पंजीकरण एवं पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के मामले में–

(क) निबंधक की निष्क्रियता पर उठाए जाने वाले कदम–

(i) यदि निबंधक त्वरित सेवा (तत्काल सेवा) के अंतर्गत ज्ञापन प्राप्त होने के तीन दिनों की अवधि या अन्यथा पंद्रह दिनों के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो विवाह के पंजीकरण /पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन संक्षिप्त जांच के प्रयोजनार्थ स्वतः महानिबंधक को अग्रेषित हो जायेगा;

(ii) पंद्रह दिनों की अवधि या त्वरित सेवा (तत्काल सेवा) के अंतर्गत अग्रेषित ज्ञापन की प्राप्ति से तीन दिनों के भीतर ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में, महानिबंधक अपने द्वारा नामित अधिकारी द्वारा संक्षिप्त जांच करवाएगा। संक्षिप्त जांच नियम 7 (1) के खण्ड (क) में विहित रीति से की जाएगी।

(ख) निबंधक द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध पंजीकरणकर्ताओं एवं उप–निबंधक द्वारा योजित अपीलों पर निर्णय–

(i) पंजीकरणकर्ताओं द्वारा योजित अपीलों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

(क) यथासंभव, महानिबंधक अपीलकर्ता के विवाह पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन को अस्वीकृत करने वाले निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पंजीकरणकर्ताओं द्वारा योजित अपील का निर्णय 60 दिनों की अवधि के भीतर करेगा। अपील पर निर्णय लेते समय, महानिबंधक, *यथावश्यक परिवर्तनों सहित,* नियम 6 (1) के खण्ड (ख) (i) से (vi) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा;

(ख) उपरोक्त उपखंड (i)(क) में उल्लिखित चरणों का पालन करने के पश्चात, यदि महानिबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि निबंधक द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिमान्य है, तो वह युक्तियुक्त आदेश पारित करके अपील को अस्वीकार कर देगा, जिसमें उल्लेख होगा कि उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी है। इस प्रकार के आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–15 में प्रदान किया गया है;

(ग) उपरोक्त उपखंड (i)(क) में उल्लिखित चरणों का पालन करने के पश्चात, यदि महानिबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि निबंधक द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है, तो वह युक्तियुक्त आदेश पारित करके अपील को अधिनिर्णीत करेगा, जिसका प्रारूप अनुलग्नक–15 में प्रदान किया गया है। ऐसे मामलों में महानिबंधक यथास्थिति अनुलग्नक–4 अथवा 5 या 10 या 13 के अनुसार विवाह पंजीकरण का प्रमाणपत्र / पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति भी निर्गत करेगा।

(ii) उप–निबंधकों द्वारा योजित अपीलों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

(क) महानिबंधक अपील प्रस्तुत किए जाने के आधारों की जांच करेंगे, और यदि आवश्यक हो, तो वह उप–निबंधक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे;

(ख) महानिबंधक, दंड देते समय निबंधक द्वारा प्रस्तुत कारणों तथा अपील की विषय–वस्तु तथा सुनवाई के स्तर पर प्रस्तुत तथ्यों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् अपील को अस्वीकार या स्वीकार करते हुए स्वतः स्पष्ट आदेश पारित करेंगे;

(ग) यदि उपरोक्त उपखंड (ii)(क) के अधीन अपील अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृति आदेश की एक प्रति तथा निबंधक द्वारा पारित आदेश की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी। तथापि, इनमें से कोई भी अभिलेख उप–निबंधक के व्यक्तिगत पंजिका का भाग नहीं होगा।

(2) विवाह–विच्छेद / विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण के मामले में–

(क) निबंधक की निष्क्रियता पर उठाए जाने वाले कदम–

(i) यदि निबंधक त्वरित सेवा (तत्काल सेवा) के अंतर्गत अपने कार्यालय में ज्ञापन प्राप्ति के तीन दिनों या अन्यथा पंद्रह दिनों के भीतर विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन पर कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो ज्ञापन संक्षिप्त जांच के प्रयोजनार्थ स्वतः महानिबंधक को अग्रेषित हो जायेगा;

(ii) पंद्रह दिनों की अवधि या त्वरित सेवा (तत्काल सेवा) के अंतर्गत अग्रेषित ज्ञापन की प्राप्ति से तीन दिनों के भीतर ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में, महानिबंधक अपने द्वारा नामित अधिकारी द्वारा संक्षिप्त जांच करवाएगा। संक्षिप्त जांच नियम 7 के उपनियम (2) (क) में विहित रीति से की जाएगी।

(ख) निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध योजित अपील पर निर्णय–

(i) पंजीकरणकर्ताओं द्वारा योजित अपीलों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

(क) यथासंभव, महानिबंधक अपीलकर्ता के विवाह–विच्छेद / विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन को अस्वीकृत करने वाले निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पंजीकरणकर्ताओं द्वारा योजित अपील का निर्णय 60 दिनों की अवधि के भीतर करेगा। अपील पर निर्णय लेते समय, महानिबंधक, *यथावश्यक परिवर्तनों सहित,* नियम 6 (2) के खण्ड (ख) (i) से (vi) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा;

(ख) उपरोक्त उपखंड (i)(क) में उल्लिखित चरणों का पालन करने के पश्चात, यदि महानिबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि निबंधक द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिमान्य है, तो वह युक्तियुक्त आदेश पारित करके अपील को अस्वीकार कर देगा, जिसमें उल्लेख होगा कि उनका निर्णय अंतिम है। इस प्रकार के आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–15 में प्रदान किया गया है;

(ग) उपरोक्त उपखंड (i)(क) में उल्लिखित चरणों का पालन करने के पश्चात, यदि महानिबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि निबंधक द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है, तो वह युक्तियुक्त आदेश पारित

करके अपील को अधिनिर्णीत करेगा, जिसका प्रारूप अनुलग्नक–15 में प्रदान किया गया है। ऐसे मामलों में महानिबंधक यथास्थिति अनुलग्नक–4 अथवा 5 या 10 या 13 के अनुसार विवाह–विच्छेद/विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति हेतु अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र भी निर्गत करेगा।

(ii) उप–निबंधकों द्वारा योजित अपीलों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

(क) महानिबंधक अपील प्रस्तुत किए जाने के आधारों की जांच करेंगे, और यदि आवश्यक हो, तो वह उप–निबंधक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे;

(ख) महानिबंधक, दंड देते समय निबंधक द्वारा प्रस्तुत कारणों तथा अपील की विषय–वस्तु तथा सुनवाई के स्तर पर प्रस्तुत तथ्यों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात, अपील को अस्वीकार या स्वीकार करते हुए स्वतः स्पष्ट आदेश पारित करेंगे;

(ग) यदि उपरोक्त उपखंड (ii)(क) के अधीन अपील अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृति आदेश की एक प्रति तथा निबंधक द्वारा पारित आदेश की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी। तथापि, इनमें से कोई भी अभिलेख उप–निबंधक के व्यक्तिगत पंजिका का भाग नहीं होगा।

(3) विधिक उत्तराधिकारी/इच्छापत्रीय उत्तराधिकार की घोषणा के पंजीकरण के मामले में–

(क) निबंधक की निष्क्रियता पर उठाए जाने वाले कदम–

(i) यदि निबंधक विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर कार्यवाही करने में विफल रहता है, तो विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन संक्षिप्त जांच के प्रयोजनार्थ स्वतः महानिबंधक को अग्रेषित हो जायेगा;

(ii) अग्रेषित आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर महानिबंधक नियम 7 (3) के खण्ड (क) (i) से (iv) में विहित रीति के अनुसार संक्षिप्त जांच करेंगे और यदि आवेदन क्रमबद्ध पाया जाता है तो महानिबंधक विधिक उत्तराधिकारी घोषणा प्रमाणपत्र निर्गत करेंगे या अन्यथा आवेदन को अस्वीकार करेंगे और घोषणकर्ता को अस्वीकृति के कारण/कारणों से अवगत कराएंगे।

(ख) निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध योजित अपील पर निर्णय– महानिबंधक से अपील योजित करने के 60 दिनों के भीतर घोषणाकर्ता के विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन को अस्वीकृत करने वाले निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध घोषणाकर्ता द्वारा की गई अपील पर निर्णय लेना अपेक्षित है। अपील पर निर्णय करते समय –

(i) महानिबंधक उन आधारों पर सावधानीपूर्वक विचार करेंगे जिनके आधार पर विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन को अस्वीकार किया गया था एवं जांच करेंगे कि क्या अस्वीकृति का आधार नियम 7 (3) के खण्ड (ग) (ii) में उल्लिखित सूची में शामिल है/हैं;

(ii) महानिबंधक, घोषणाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के साथ–साथ अपीलीय आधार एवं घोषणाकर्ता द्वारा समक्ष रखे गए अस्वीकृति आदेश को चुनौती देने वाले कारणों की जांच करेंगे;

(iii) उपरोक्त निर्धारित विधि से विवेकपूर्ण विचार के पश्चात, यदि महानिबंधक का यह विचार है कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संबंधित घोषणाकर्ता को सुनवाई का अवसर देना सहायक होगा, तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घोषणाकर्ता की सुनवाई कर सकते हैं अथवा यदि संबंधित घोषणाकर्ता ऐसा चाहे तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान कर सकते हैं;

(iv) महानिबंधक घोषणाकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से निर्धारित सुनवाई के संबंध में कम से कम तीन दिन का नोटिस देंगे। घोषणाकर्ता के पास वीडियो कॉन्फ्रेंस/प्रत्यक्ष सुनवाई को अधिकतम दो बार पुनर्निर्धारित करने का विकल्प होगा। यदि घोषणाकर्ता पूर्ववर्ती विधि से अवसर की सुविधा प्रदान किए जाने के पश्चात् भी सुनवाई का लाभ लेने में विफल रहते हैं, तो महानिबंधक उपलब्ध अभिलेखों/सूचना के गुण–दोष के आधार पर अपील के निर्णय हेतु अग्रसर होंगे। इस संबंध में पारित किये जाने वाले आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–23 में उपलब्ध कराया गया है;

(v) उपरोक्त उपखंड (i) से (iv) में उल्लिखित चरणों का पालन करने के पश्चात् यदि महानिबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि निबंधक द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश न्यायसंगत एवं विधिमान्य है, तो वह वह ऐसी अस्वीकृति के कारण(कारणों) का उल्लेख करते हुए युक्तियुक्त आदेश पारित करके अपील को अस्वीकार कर देंगे। इस प्रकार के आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–22 में दिया गया है; या

(vi) उपरोक्त उपखंड (i) से (iv) में उल्लिखित चरणों का पालन करने के पश्चात् यदि महानिबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि निबंधक द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश त्रुटिपूर्ण है, तो वह युक्तियुक्त आदेश पारित करके अपील को अधिनिर्णीत करेंगे, जिसका प्रारूप अनुलग्नक–24 में दिया गया है। ऐसे मामले में महानिबंधक अनुलग्नक–21 के अनुसार विधिक उत्तराधिकारी घोषणा प्रमाण पत्र भी निर्गत करेंगे।

(ग) **इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख जमा करना** – इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख जमा करने हेतु निबंधक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 16) में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

(4) सहवासी संबंध के पंजीकरण के मामले में–

(क) निबंधक की निष्क्रियता पर उठाए जाने वाले कदम–

(i) यदि निबंधक, कथन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर कार्यवाही करने में विफल रहता है, तो सहवासी संबंध का कथन, संक्षिप्त जांच के प्रयोजनार्थ स्वतः ही महानिबंधक को अग्रेषित हो जायेगा;

(ii) सहवासी संबंध के अग्रेषित कथन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर महानिबंधक अपने द्वारा नामित अधिकारी से संक्षिप्त जांच करवाएंगे। संक्षिप्त जांच उसी रीति से की जाएगी जिस रीति से निबंधक द्वारा नियम 6 (4) के खण्ड (ख) के अंतर्गत की गयी हो।

(ख) निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध योजित अपील पर निर्णय– महानिबंधक द्वारा यथासंभव, सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु अपीलकर्ता के कथन को अस्वीकृत करने वाले निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पंजीकरणकर्ताओं द्वारा योजित अपील का निर्णय 60 दिनों की अवधि के भीतर करना अपेक्षित होगा। अपील पर निर्णय करते समय –

(i) महानिबंधक उन आधारों पर सावधानीपूर्वक विचार करेंगे जिनके आधार पर सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु कथन को अस्वीकार किया गया था एवं जांच करेंगे कि क्या अस्वीकृति का आधार नियम 6 (4) के खण्ड (ख) में उल्लिखित सूची में शामिल है/हैं;

(ii) महानिबंधक, निबंधक को प्रस्तुत किए गए कथन के साथ–साथ अपीलीय आधार एवं अपीलकर्ता द्वारा समक्ष रखे गए अस्वीकृति आदेश को चुनौती देने वाले कारणों की जांच करेंगे;

(iii) उपरोक्त विहित रीति से विवेकपूर्ण विचार के पश्चात् यदि महानिबंधक का यह विचार है कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना सहायक होगा, तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकारों की सुनवाई कर सकते हैं अथवा यदि संबंधित पक्षकार ऐसा चाहे तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान कर सकते हैं;

(iv) महानिबंधक अपीलकर्ताओं को अनुलग्नक–34 में निर्धारित प्रारूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से निर्धारित सुनवाई के संबंध में कम से कम तीन दिन का नोटिस देंगे। अपीलकर्ताओं के पास वीडियो कॉन्फ्रेंस/प्रत्यक्ष सुनवाई को अधिकतम दो बार पुनर्निर्धारित करने का विकल्प होगा। यदि अपीलकर्ता पूर्ववर्ती रीति से अवसर की सुविधा प्रदान किए जाने के पश्चात् भी सुनवाई का लाभ लेने में विफल रहते हैं, तो महानिबंधक उपलब्ध अभिलेखों/सूचना के गुण–दोष के आधार पर अपील के निर्णय हेतु अग्रसर होंगे;

(v) उपरोक्त उपखण्ड (i) से (iv) में उल्लिखित चरणों का पालन करने के पश्चात् यदि महानिबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि निबंधक द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश न्यायसंगत एवं विधिमान्य है, तो वह वह ऐसी अस्वीकृति के कारण (कारणों) का उल्लेख करते हुए युक्तियुक्त आदेश पारित करके अपील को अस्वीकार कर देंगे। इस प्रकार के आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–33 में दिया गया है; या

(vi) उपरोक्त उपखण्ड (i) से (iv) में उल्लिखित चरणों का पालन करने के पश्चात् यदि महानिबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि निबंधक द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश त्रुटिपूर्ण है, तो वह युक्तियुक्त आदेश पारित करके अपील को अधिनिर्णीत करेंगे, जिसका प्रारूप अनुलग्नक–35 में दिया गया है। ऐसे मामले में महानिबंधक अनुलग्नक–31/ अनुलग्नक–32 के अनुसार सहवासी संबंध के पंजीकरण का प्रमाण पत्र/अनंतिम प्रमाणपत्र भी निर्गत करेंगे।

(5) सहवासी संबंध की समाप्ति मामले में–

(क) निबंधक की निष्क्रियता पर उठाए जाने वाले कदम–

(i) यदि निबंधक, कथन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर कार्यवाही करने में विफल रहता है, तो सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन, संक्षिप्त जांच के प्रयोजनार्थ स्वतः महानिबंधक को अग्रेषित हो जायेगा;

(ii) सहवासी संबंध की समाप्ति के अग्रसारित ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर महानिबंधक दोनों सहवासियों को सहवासी संबंध की समाप्ति का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।

6. निबंधक के कर्तव्य

(1) विवाह के पंजीकरण एवं पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के मामले में–

(क) उप–निबंधक की निष्क्रियता पर उठाए जाने वाले कदम–

(i) यदि उप–निबंधक त्वरित सेवा (तत्काल सेवा) के अंतर्गत ज्ञापन प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर या अन्यथा पंद्रह दिनों के भीतर कार्यवाही करने में विफल रहता है, तो विवाह के पंजीकरण /पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन संक्षिप्त जांच के प्रयोजनार्थ स्वतः निबंधक को अग्रेषित हो जायेगा;

(ii) पंद्रह दिनों या त्वरित सेवा (तत्काल सेवा) के अंतर्गत अग्रेषित ज्ञापन की प्राप्ति से तीन दिनों के भीतर ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में, निबंधक नियम 7 (1) के खण्ड (क) में विहित रीति से संक्षिप्त जांच करेगा;

(iii) निष्क्रियता के संबंध में, निबंधक उप–निबंधक के स्पष्टीकरण की मांग करेगा तथा उप–निबंधक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर विधिवत विचार करने के पश्चात् समुचित कार्रवाई करेगा।

(ख) **उप–निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध योजित अपील पर निर्णय**– निबंधक को अपील योजित करने के यथासंभव 60 दिनों के भीतर अपीलकर्ता के विवाह पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के ज्ञापन को अस्वीकृत करने वाले उप–निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा योजित अपील पर निर्णय लेना अनिवार्य है। अपील पर निर्णय लेते समय –

(i) निबंधक उन आधारों पर सावधानीपूर्वक विचार करेंगे जिनके आधार पर विवाह पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के ज्ञापन को अस्वीकार किया गया था एवं जांच करेंगे कि क्या अस्वीकृति का आधार यथास्थिति नियम 7(1) के खण्ड (छ) (ii) या (iii) अथवा खण्ड ज (ii) में उल्लिखित सूची में शामिल है/हैं;

(ii) निबंधक, उप–निबंधक को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन/आवेदन के साथ–साथ अपीलीय आधार एवं अपीलकर्ताओं द्वारा समक्ष रखे गए अस्वीकृति आदेश को चुनौती देने वाले कारणों की जांच करेंगे;

(iii) उपरोक्त विहित रीति से विवेकपूर्ण विचार के पश्चात् यदि निबंधक का यह विचार है कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना सहायक होगा, तो वह वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकारों की सुनवाई कर सकते हैं अथवा यदि संबंधित पक्षकार ऐसा चाहे तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान कर सकते हैं;

(iv) निबंधक अपीलकर्ताओं को अनुलग्नक–14 में निर्धारित प्रारूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से निर्धारित सुनवाई के संबंध में कम से कम तीन दिन का नोटिस देंगे। अपीलकर्ताओं के पास वीडियो कॉन्फ्रेंस/प्रत्यक्ष सुनवाई को अधिकतम दो बार पुनर्निर्धारित करने का विकल्प होगा। यदि अपीलकर्ता पूर्ववर्ती रीति से अवसर की सुविधा प्रदान किए जाने के पश्चात् भी सुनवाई का लाभ लेने में विफल रहते हैं, तो निबंधक उपलब्ध अभिलेखों/सूचना के गुण–दोष के आधार पर अपील के निर्णय हेतु अग्रसर होंगे। इस संबंध में पारित किये जाने वाले आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–15/ अनुलग्नक–23 में उपलब्ध कराया गया है;

(v) उपरोक्त उपखंड (i) से (iv) में उल्लिखित चरणों का पालन करने के पश्चात् यदि निबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उप–निबंधक द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश न्यायसंगत एवं विधिमान्य है, तो वह युक्तियुक्त आदेश पारित करके अपील को अस्वीकार कर देगा, जिसमें उल्लेख होगा कि अपीलकर्ता आदेश प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के अंतर्गत महानिबंधक के समक्ष उसके द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील योजित कर सकता है। इस प्रकार के आदेश का प्रारूप अनुलग्नक –15 में दिया गया है;

(vi) उपरोक्त उपखंड (i) से (iv) में उल्लिखित चरणों का पालन करने के पश्चात् यदि निबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उप–निबंधक द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश त्रुटिपूर्ण है, तो वह युक्तियुक्त आदेश पारित करके अपील को अधिनिर्णीत करेगा, जिसका प्रारूप अनुलग्नक–15 में दिया गया है। ऐसे मामलों में निबंधक यथास्थिति अनुलग्नक–4 अथवा 5 या 10 या 13 के अनुसार विवाह पंजीकरण का प्रमाणपत्र /पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति भी निर्गत करेगा।

(2) विवाह–विच्छेद/विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण के मामले में–

(क) उप–निबंधक की निष्क्रियता पर उठाए जाने वाले कदम–

(i) यदि उप–निबंधक ज्ञापन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर कार्यवाही करने में विफल रहता है, तो विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन संक्षिप्त जांच के प्रयोजनार्थ स्वतः निबंधक को अग्रेषित हो जायेगा;

(ii) निबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि अग्रेषित ज्ञापन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर जांच पूर्ण हो जाए एवं समुचित निर्णय लिया जाए।

(ख) उप–निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध योजित अपील पर निर्णय–

निबंधक को अपील योजित करने के 60 दिनों के भीतर अपीलकर्ता के विवाह–विच्छेद एवं विवाह अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन को अस्वीकृत करने वाले उप–निबंधक द्वारा पारित

आदेश के विरुद्ध पंजीकरणकर्ताओं द्वारा योजित अपील पर निर्णय लेना अनिवार्य है। अपील पर निर्णय लेते समय –

(i) निबंधक उन आधारों पर सावधानीपूर्वक विचार करेंगे जिनके आधार पर विवाह–विच्छेद एवं विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन को अस्वीकार किया गया था;

(ii) निबंधक, उप–निबंधक को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन/आवेदन के साथ–साथ अपीलीय आधार एवं अपीलकर्ता द्वारा समक्ष रखे गए अस्वीकृति आदेश को चुनौती देने वाले कारणों की जांच करेगा;

(iii) उपरोक्त विहित रीति से विवेकपूर्ण विचार के पश्चात् यदि निबंधक का यह विचार है कि न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना सहायक होगा, तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकारों की सुनवाई कर सकता है अथवा यदि संबंधित पक्षकार ऐसा चाहे तो प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर भी प्रदान कर सकता है;

(iv) निबंधक अपीलकर्ता को अनुलग्नक–14 में विहित प्रारूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से निर्धारित सुनवाई के संबंध में कम से कम तीन दिन का नोटिस देंगे। अपीलकर्ता के पास वीडियो कॉन्फ्रेंस/प्रत्यक्ष सुनवाई को अधिकतम दो बार पुनर्निर्धारित करने का विकल्प होगा। यदि अपीलकर्ता पूर्ववर्ती रीति से अवसर की सुविधा प्रदान किए जाने के पश्चात् भी सुनवाई का लाभ लेने में विफल रहते हैं, तो निबंधक उपलब्ध अभिलेखों/सूचना के गुण–दोष के आधार पर अपील के निर्णय हेतु अग्रसर होंगे। इस संबंध में पारित किये जाने वाले आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–15/अनुलग्नक–23 में उपलब्ध कराया गया है;

(v) उपरोक्त उपखंड (i) से (iv) में उल्लिखित चरणों का पालन करने के पश्चात् यदि निबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उप–निबंधक द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश न्यायसंगत एवं विधिमान्य है, तो वह युक्तियुक्त आदेश पारित करके अपील को अस्वीकार कर देगा, जिसमें उल्लेख होगा कि अपीलकर्ता आदेश प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के अंतर्गत महानिबंधक के समक्ष उसके द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील योजित कर सकता है। इस प्रकार के आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–15 में दिया गया है;

(vi) उपरोक्त उपखंड (i) से (iv) में उल्लिखित चरणों का पालन करने के पश्चात् यदि निबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उप–निबंधक द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश त्रुटिपूर्ण है, तो वह युक्तियुक्त आदेश पारित करके अपील को अधिनिर्णीत करेगा, जिसका प्रारूप अनुलग्नक–15 में दिया गया है। ऐसे मामलों में निबंधक यथास्थिति अनुलग्नक–4 अथवा 5 या 10 या 13 के अनुसार विवाह–विच्छेद/विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी निर्गत करेगा।

(3) विधिक उत्तराधिकारियों/इच्छापत्रीय उत्तराधिकार की घोषणा के पंजीकरण के मामले में–

(क) उप–निबंधक की निष्क्रियता पर उठाए जाने वाले कदम–

(i) यदि उप–निबंधक विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर कार्यवाही करने में विफल रहता है, तो विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन संक्षिप्त जांच के प्रयोजनार्थ स्वतः निबंधक को अग्रेषित हो जायेगा;

(ii) अग्रेषित आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर निबंधक नियम 7 (3) के खण्ड (क) से (घ) में विहित रीति के अनुसार संक्षिप्त जांच करेंगे और यदि सही पाया जाता है तो निबंधक विधिक उत्तराधिकारी घोषणा प्रमाणपत्र निर्गत करेंगे या अन्यथा आवेदन को अस्वीकार करेंगे और घोषणकर्ता को अस्वीकृति के कारण/कारणों से अवगत कराएंगे।

(ख) उप–निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध योजित अपील पर निर्णय– निबंधक से अपील योजित करने के 60 दिनों के भीतर घोषणाकर्ता के विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन को अस्वीकृत करने वाले उप–निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध घोषणाकर्ता द्वारा की गई अपील पर निर्णय लेना अपेक्षित है। अपील पर निर्णय करते समय –

(i) निबंधक उन आधारों पर सावधानीपूर्वक विचार करेंगे जिनके आधार पर विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन को अस्वीकार किया गया था एवं जांच करेंगे कि क्या अस्वीकृति का आधार नियम 7 (3) के खण्ड (ग) में उल्लिखित सूची में शामिल है/हैं;

(ii) निबंधक, उप–निबंधक को प्रस्तुत आवेदन के साथ–साथ अपीलीय आधार एवं घोषणाकर्ता द्वारा समक्ष रखे गए अस्वीकृति आदेश को चुनौती देने वाले कारणों की जांच करेंगे;

(iii) उपरोक्त विहित रीति से विवेकपूर्ण विचार के पश्चात् यदि निबंधक का यह विचार है कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संबंधित घोषणाकर्ता को सुनवाई का अवसर देना सहायक होगा, तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घोषणाकर्ता की सुनवाई कर सकते हैं अथवा यदि संबंधित घोषणाकर्ता ऐसा चाहे तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान कर सकते हैं;

(iv) निबंधक घोषणाकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से निर्धारित सुनवाई के संबंध में कम से कम तीन दिन का नोटिस देंगे। घोषणाकर्ता के पास वीडियो कॉन्फ्रेंस/प्रत्यक्ष सुनवाई को अधिकतम दो बार पुनर्निर्धारित करने का विकल्प होगा। यदि घोषणाकर्ता पूर्ववर्ती रीति से अवसर की सुविधा प्रदान किए जाने के पश्चात् भी सुनवाई का लाभ लेने में विफल रहते हैं, तो निबंधक उपलब्ध अभिलेखों/सूचना के गुण–दोष के आधार पर अपील के निर्णय हेतु अग्रसर होंगे। इस संबंध में पारित किये जाने वाले आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–23 में उपलब्ध कराया गया है;

(v) उपरोक्त उपखंड (i) से (iv) में उल्लिखित चरणों का पालन करने के पश्चात् यदि निबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उप–निबंधक द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश न्यायसंगत एवं विधिमान्य है,

तो वह वह ऐसी अस्वीकृति के कारण (कारणों) का उल्लेख करते हुए युक्तियुक्त आदेश पारित करके अपील को अस्वीकार कर देंगे। इस प्रकार के आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–22 में दिया गया है; या

(vi) उपरोक्त उपखंड (i) से (iv) में उल्लिखित चरणों का पालन करने के पश्चात् यदि निबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उप–निबंधक द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश त्रुटिपूर्ण है, तो वह युक्तियुक्त आदेश पारित करके अपील को अधिनिर्णीत करेंगे, जिसका प्रारूप अनुलग्नक–24 में दिया गया है। ऐसे मामले में निबंधक अनुलग्नक–21 के अनुसार विधिक उत्तराधिकारी घोषणा प्रमाण पत्र भी निर्गत करेंगे।

(ग) **इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख जमा करना** – इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख जमा करने हेतु निबंधक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियमसंख्या 16) में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

(4) सहवासी संबंध के मामले में–

(क) **स्थानीय पुलिस थाने के साथ सूचना साझा करना– संहिता की धारा 385 की उपधारा (1)** के अनुसार निबंधक, सहवासी संबंध का कथन प्राप्त होने पर उसे नियम 6 (4) के खण्ड (ट) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के साथ साझा करेगा।

(ख) **संक्षिप्त जांच–** एक बार कथन प्राप्त होने पर, निबंधक नियम 15 के उपनियम (1) से (5) और (9) तथा नियम 8 (3) के खण्ड (क) से (ग) के अनुपालन में पंजीकरणकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सूचना से संबंधित संक्षिप्त जांच करेंगे। निबंधक जाँच करेंगे –

(i) पंजीकरणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत कथन में पंजीकरणकर्ताओं/माता–पिता/विधिक अभिभावकों/धर्म गुरुओं/समुदाय प्रमुख/धार्मिक या सामुदायिक निकाय के अधिकारी के नाम, फोन नंबर/ईमेल आईडी/पते की सत्यता;

(ii) कथन में निहित अन्य सूचना की सत्यता, जिसमें पूर्व एवं वर्तमान संबंध की स्थिति, विशेष रूप से सहवासी संबंध तथा पंजीकरणकर्ताओं की वैवाहिक स्थिति पर बल दिया गया है, तथा प्रदान किए गए/अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता भी सम्मिलित है;

(iii) क्या सहवासी संबंध संहिता की धारा 380 में निहित प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण हेतु अनुपयुक्त है;

(iv) जहां सहवासी संबंध में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों को एक अनंतिम प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है तथा पंजीकरणकर्ताओं द्वारा तत्पश्चात् साझी गृहस्थी के रूप में उपयोग किए जाने वाले आवास के विवरण के संबंध में सूचना प्रस्तुत की जाती है, निबंधक, भवन स्वामी के विवरण, पंजीकरणकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए किराया अनुबंध की प्रति एवं किरायेदार सत्यापन संख्या की सत्यता की जांच करेंगे, और साथ ही, सहवासी संबंध के पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व साझी गृहस्थी के रूप में उपयोग किए जाने वाले किराए के आवास के पते की भी पुष्टि करेंगे।

(ग) अतिरिक्त सूचना की मांग– यदि निबंधक/महानिबंधक द्वारा पंजीकरणकर्ताओं से अतिरिक्त सूचना वांछनीय है, तो उन्हें सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु कथन प्राप्त होने के दस दिनों के अंतर्गत ऐसी अतिरिक्त सूचना की मांग करनी होगी।

(घ) माता–पिता/विधिक अभिभावकों को सूचना– यदि एक या दोनों पंजीकरणकर्ताओं की आयु इक्कीस वर्ष से कम है और माता–पिता/विधिक अभिभावकों के संबंध में प्रदान की गई सूचना सही पाई जाती है, तो निबंधक दोनों पंजीकरणकर्ताओं के माता–पिता/विधिक अभिभावकों को सहवासी संबंध के पंजीकरण के कथन की प्राप्ति के बारे में सूचित करेंगे। उपरोक्त कार्य ईमेल/एसएमएस/व्हाट्सएप संदेश, और/या डाक के माध्यम से किया जा सकता है। इस संबंध में प्रेषित किए जाने वाले संदेश का प्रारूप **अनुलग्नक–29** में प्रदान किया गया है।

(ङ) नियम 8 (3) के खण्ड (ग) के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के पश्चात सूचना अद्यतन करने पर विलंब शुल्क– यदि सूचना का अनिवार्य अद्यतनीकरण **नियम 8 (3) के खण्ड (ग)** में निर्धारित समयावधि के पश्चात् किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित विलम्ब शुल्क प्रभार्य होगा।

(च) संक्षिप्त जांच के उपरांत संभावित कार्रवाईयां–

(i) **संहिता की धारा 380 की उपधारा (1)** से संबंधित संक्षिप्त जांच करते समय, यदि यह ज्ञात होता है कि पंजीकरणकर्ताओं ने रूढ़ि एवं प्रथा का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है, जो पंजीकरणकर्ताओं के मध्य विवाह की अनुमति प्रदान करता है, भले ही वे प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्री के अंतर्गत हों, तो निबंधक स्वयं के स्रोतों से या समुदाय के प्रमुखों या धर्म गुरुओं द्वारा सत्यापित करेंगे कि क्या रूढ़ि एवं प्रथा वास्तव में समान संबंध रखने वाली महिला और पुरुष के मध्य विवाह की अनुमन्यता प्रदान करते हैं। यदि निबंधक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रूढ़ि एवं प्रथाएं पंजीकरणकर्ताओं के मध्य विवाह की अनुमति नहीं देती हैं, तो वह सहवासी सम्बन्ध पंजीकरण को अस्वीकार कर देंगे;

(ii) **संहिता की धारा 380 की उपधारा (2)** से संबंधित संक्षिप्त जांच करते समय निबंधक को यह ज्ञात करने हेतु डेटाबेस की अनिवार्य रूप से जांच करनी होगी कि क्या पंजीकरणकर्ता पूर्व से ही विवाहित है या किसी तीसरे व्यक्ति के साथ सहवासी संबंध में रह रहा है। यदि डेटाबेस में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, तो निबंधक किसी तीसरे व्यक्ति को पंजीकरणकर्ता के नाम का प्रकटन किए बिना स्वयं के स्रोतों के माध्यम से पंजीकरणकर्ताओं की वैवाहिक/सहवासी संबंध की स्थिति को सत्यापित करने हेतु पृथक जांच करेंगे। यदि निबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पंजीकरणकर्ताओं में से एक या दोनों पहले से ही विवाहित है या किसी तीसरे व्यक्ति के साथ सहवासी संबंध में है, तो वह सहवासी संबंध को पंजीकृत करने से अस्वीकार करेंगे;

(iii) **संहिता की धारा 380 की उपधारा (3)** से संबंधित संक्षिप्त जांच करते समय निबंधक को जन्म के दिनांक के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत अभिलेखों के साथ–साथ सहवासी संबंध के कथन में उल्लिखित जन्म के दिनांक की भी अनिवार्य रूप से जांच करनी होगी। यदि पंजीकरणकर्ता अवयस्क है/हैं, तो निबंधक सहवासी संबंध को पंजीकृत करने से अस्वीकार करेंगे;

(iv) संहिता की **धारा 380 की उपधारा (4)** से संबंधित संक्षिप्त जांच करते समय, यदि निबंधक को संदेह है कि पंजीकरणकर्ताओं में से किसी एक की सहमति बलपूर्वक, प्रपीड़न, अनुचित प्रभाव, मिथ्या निरूपण या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई है, तो निबंधक संभावित पीड़ित/पीड़िता के साथ उनके निवास स्थान पर जाकर और/या उनसे फोन पर वार्ता करके व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करेंगे। यदि निबंधक का संदेह सत्य सिद्ध होता है, तो निबंधक सहवासी संबंध को पंजीकृत करने से अस्वीकार कर देंगे।

(छ) सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु नोटिस–

(i) निबंधक को ज्ञात होने पर कि सहवासी संबंध में रहने के बावजूद, ऐसे सहवासी संबंध के सहवासियों ने नियम 15 के उपनियम (3) के अनुपालन में सहवासी संबंध का अपना कथन प्रस्तुत नहीं किया है, तो निबंधक संहिता की धारा 386 में निहित प्रावधानों के अनुसार सहवासियों को नोटिस जारी करेंगे;

(ii) निबंधक द्वारा सहवासियों के मोबाइल नंबर और वैकल्पिक रूप से, उनके ईमेल पते को जॉचने का प्रयास किया जाएगा एवं यदि इनमें से किसी के संबंध में सूचना उपलब्ध हो जाती है, तो यथास्थिति नोटिस एसएमएस, व्हाट्सएप सन्देश या ईमेल के माध्यम से जारी किया जाएगा। यदि मोबाइल नंबर/ईमेल पते के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं होती है, तो नोटिस को डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा या हाथों–हाथ दिया जाएगा। इस प्रकार के नोटिस का प्रारूप अनुलग्नक– 30 में प्रदान किया गया है;

(iii) यदि पंजीकरणकर्ता नियम 8 (3) के खण्ड (ग) के अंतर्गत साझी गृहस्थी का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या सहवासी संबंध के अनंतिम पंजीकरण की वैधता अवधि के अंतर्गत सहवासी संबंध के कथन को वापस नहीं लेते हैं, तो निबंधक संहिता की धारा 386 के अंतर्गत नोटिस जारी करेंगे।

(ज) शास्ति/अर्थदण्ड एवं दण्ड–यथास्थिति, निबंधक या कोई अन्य संबंधित व्यक्ति, संहिता की धारा 387 के अंतर्गत आपराधिक कृत्य के संबंध में सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता/सकती है।

(झ) सहवासी संबंध के कथन की स्वीकृति/अस्वीकृति–

(i) संक्षिप्त जांच पूर्ण होने के पश्चात् तथा संहिता की धारा 381 की उपधारा (4) के अंतर्गत सहवासी संबंध के कथन की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर, निबंधक या तो यथास्थिति पंजीकरण प्रमाणपत्र या अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र, अनुलग्नक–31 या अनुलग्नक–32 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार निर्गत कर सकते हैं, या सहवासी संबंध के पंजीकरण को अस्वीकार करने तथा ऐसी अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करने वाला आदेश पारित कर सकते हैं। अस्वीकृति आदेश में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि इस आदेश के विरुद्ध संबंधित महानिबंधक के समक्ष अस्वीकृति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर अपील योजित की जा सकती है। अस्वीकृति आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–33 में प्रदान किया गया है;

(ii) **उपरोक्त उपखंड (i)** के अंतर्गत सहवासी संबंध के कथन के पंजीकरण को निबंधक द्वारा निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है –

(क) पंजीकरणकर्ता प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर आते हैं तथा दोनों में से किसी भी सहवासी द्वारा अपनाई जाने वाली रूढ़ि या प्रथा के अंतर्गत उनके मध्य विवाह की अनुमन्यता नहीं है, और यदि अनुमन्य करती हों, तो ऐसा विवाह लोकनीति और नैतिकता के विपरीत है;

(ख) एक या दोनों पंजीकरणकर्ता पहले से ही विवाहित है/हैं;

(ग) एक या दोनों पंजीकरणकर्ता पहले से ही किसी तीसरे व्यक्ति के साथ सहवासी संबंध में रह रहे हैं;

(घ) एक या दोनों पंजीकरणकर्ता अवयस्क है/हैं;

(ड) किसी एक सहवासी की सम्मति बलपूर्वक, प्रपीड़न से, अनुचित प्रभाव अथवा दूसरे सहवासी द्वारा किसी भी तथ्य या परिस्थिति के बारे में मिथ्या निरूपण या धोखाधड़ी, जिसमें उसकी पहचान भी सम्मिलित है, द्वारा प्राप्त की गयी है;

(च) सहवासी संबंध के कथन में किया गया दावा मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने के युक्तियुक्त कारण विद्यमान होने का पंजीकरणकर्ताओं को संज्ञान है;

(छ) पंजीकरणकर्ताओं ने सहवासी संबंध के कथन में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है जो निबंधक के इस निर्णय को प्रभावित करते हों कि क्या सहवासी संबंध को पंजीकृत किया जाए अथवा पंजीकरण अस्वीकार किया जाए;

(ज) नियम 8 (3) के खण्ड (ख) के अंतर्गत निर्धारित दस दिन की समय–सीमा के भीतर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ञ) अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र के मामले में की जाने वाली कार्रवाई–

(i) निबंधक द्वारा सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु निर्गत अनंतिम प्रमाणपत्र निर्गत होने के दिनांक से तीस दिनों की अवधि हेतु विधिमान्य होगा;

(ii) यदि पंजीकरणकर्ता तीस दिनों की अवधि के भीतर निवास की व्यवस्था में असमर्थता के कारण वैधता अवधि को विस्तारित करना चाहते हैं, तो निबंधक अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता को पंद्रह दिनों की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकते हैं :

परन्तु कि वैधता अवधि के विस्तार हेतु अनुरोध अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हो;

(iii) यदि पंजीकरणकर्ता दोनों पंजीकरणकर्ताओं के नाम पर संयुक्त रूप से एक किराया अनुबंध प्रस्तुत करते हैं, तो निबंधक, भवन स्वामी से वार्ता करने तथा किराया अनुबंध की प्रामाणिकता, किरायेदार सत्यापन की विधिवत पुष्टि करने एवं अनुबंध की वास्तविकता के बारे में समाधान होने के पश्चात् ही, सहवासी संबंध के पंजीकरण का प्रमाणपत्र निर्गत करेंगे।

(ट) स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के साथ सूचना साझा करने की प्रक्रिया–

(i) निबंधक द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सहवासी संबंध का कथन इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा तथा स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा इस अभिलेख तक पहुंच जिला पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन होगी;

(ii) उपरोक्त उपखंड (i) के अंतर्गत पुलिस के साथ सूचना साझा करते समय निबंधक को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि सहवासी संबंध के कथन से संबंधित सूचना मात्र अभिलेखीय प्रयोजन हेतु है।

(5) सहवासी संबंध की समाप्ति के मामले में–

(क) स्थानीय पुलिस थाने के साथ सूचना साझा करना– निबंधक, सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन प्राप्त होने पर उसे नियम 6 (5) के खण्ड (च) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के साथ साझा करेगा।

(ख) दूसरे सहवासी के साथ सूचना साझा करना – निबंधक, किसी एक सहवासी साथी द्वारा सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन प्राप्त होने पर, ऐसे कथन से दूसरे सहवासी साथी को अवगत कराएँगे।

(ग) संक्षिप्त जांच – एक बार सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन प्राप्त होने पर, निबंधक–

(i) नियम 16 के उपनियम (1) और (3) तथा नियम 6 (5) के खण्ड (ख), (घ), (ङ) के अनुपालन में सहवासियों द्वारा प्रदान की गयी सूचना की सत्यता हेतु संक्षिप्त जांच करेंगे।

(ii) अनिवार्य रूप से महिला सहवासी से वार्ता करके ज्ञात करेंगे कि क्या –

(क) वह गर्भवती है;

(ख) क्या सहवासी संबंध से बच्चा/बच्चे जनित हुआ/हुए थे और यदि ऐसा है, तो ऐसे बच्चे/बच्चों का विवरण;

(ग) बच्चे/बच्चों का दोनों सहवासियों की सहमति से दत्तक ग्रहण किया गया था/किए गए थे।

(घ) माता–पिता/विधिक अभिभावकों को सूचना– यदि एक या दोनों सहवासियों की आयु इक्कीस वर्ष से कम है और माता–पिता/विधिक अभिभावकों के संबंध में प्रदान की गई सूचना सही पाई जाती है, तो निबंधक दोनों सहवासियों के माता–पिता/विधिक अभिभावकों को सहवासी संबंध की समाप्ति के कथन की प्राप्ति के बारे में सूचित करेंगे। यह कार्य ईमेल/एसएमएस/व्हाट्सएप संदेश, और/या डाक के माध्यम से किया जा सकता है। इस संबंध में प्रेषित किए जाने वाले संदेश का प्रारूप अनुलग्नक–36 में प्रदान किया गया है।

(ङ) सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्रवाई –

(i) **संहिता की धारा 384** में निहित प्रावधान के अनुसरण में सहवासियों के संयुक्त रूप से सहवासी संबंध की समाप्ति के कथन की प्राप्ति पर, निबंधक कथन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर दोनों

सहवासियों को सहवासी संबंध की समाप्ति का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। ऐसे प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक–37 में प्रदान किया गया है;

(ii) यदि केवल एक सहवासी द्वारा सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन प्रस्तुत किया जाता है, तो निबंधक दूसरे सहवासी को ऐसे कथन की प्राप्ति के संबंध में सूचित करेंगे तथा उसके पश्चात् कथन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर अनुलग्नक–37 में निर्धारित प्रारूप में दोनों सहवासियों को सहवासी संबंध की समाप्ति का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। दूसरे सहवासी को सूचित करते समय, निबंधक यह सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रकार की सावधानियां बरतेंगे कि सूचना वास्तव में दूसरे सहवासी तक पहुंच जाए। इस स्तर पर निबंधक समस्त उपलब्ध माध्यमों जैसे व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल तथा डाक एवं फोन कॉल के माध्यम से दूसरे सहवासी को सूचित करेंगे;

(iii) उपरोक्त उपखंड (i) और (ii) के अंतर्गत आने वाले मामलों में, यदि एक या दोनों सहवासी की आयु इक्कीस वर्ष से कम है, तो निबंधक ऐसे सहवासी के माता–पिता/विधिक अभिभावकों को नियम 6 (5) के उपखण्ड (घ) के अनुसार सूचित करेंगे;

(iv) उपरोक्त उपखंड (i) और (ii) से आच्छादित मामलों में निबंधक नियम 6 (5) के खण्ड (च) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के साथ सूचना साझा करेंगे।

(च) स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के साथ सूचना साझा करने की प्रक्रिया–

(i) निबंधक द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा तथा स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा इस अभिलेख तक पहुंच जिला पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन होगी;

(ii) उपरोक्त उपखंड (i) के अंतर्गत पुलिस के साथ सूचना साझा करते समय निबंधक को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि सहवासी संबंध की समाप्ति के कथन से संबंधित सूचना मात्र अभिलेखीय प्रयोजन हेतु है।

7. उप–निबंधक के कर्तव्य

(1) विवाह के पंजीकरण एवं पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के मामले में–

(क) विवाह पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति का ज्ञापन प्राप्त होने पर की जाने वाली संक्षिप्त जांच एवं कार्रवाई– ज्ञापन प्राप्त हो जाने पर, उप–निबंधक संक्षिप्त जांच करेंगे और–

(i) **नियम 9 के उपनियम (1) से (11) और नियम 8 (1) के खण्ड (क) तथा (ख)** के अनुपालन में प्रदान की गई सूचना की सत्यता की जांच करेंगे;

(ii) पंजीकरणकर्ता द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में अंतर्विष्ट पंजीकरणकर्ताओं/माता–पिता/अभिभावकों/साक्षी/अनुष्ठाता/धर्म गुरु/समुदाय प्रमुख/धार्मिक अथवा सामुदायिक निकाय के पदाधिकारियों के नाम, फोन नंबर/ईमेल आईडी/पते की सत्यता की जांच करेंगे;

(iii) ज्ञापन में अंतर्विष्ट अन्य सूचना की सत्यता की जांच करेंगे, जिसमें पूर्व एवं वर्तमान संबंध की प्रास्थिति, विशेषकर सहवासी संबंध को महत्व दिया गया है, तथा प्रदान किए गए/अपलोड किए गए अभिलेखों की प्रामाणिकता भी सम्मिलित है;

(iv) जाँच करेंगे, कि क्या संहिता की धारा 4 में नियत विवाह की शर्तें और संहिता की धारा 5 की अपेक्षाएं अथवा संहिता की धारा 7 के परन्तुक के अंतर्गत उल्लिखित विवाह की शर्तें और संहिता की धारा 5 की अपेक्षाएं, जैसा भी मामला हो, पूर्ण होती हैं; और

(v) नियम 7 (1) के खण्ड (ग) से (ज) एवं नियम 20 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(ख) **अतिरिक्त सूचना की मांग**– यदि उप–निबंधक को पंजीकरणकर्ताओं से अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है, तो वह विवाह के पंजीकरण या पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु प्रस्तुत ज्ञापन की प्राप्ति के पांच दिनों के अंतर्गत ऐसी अतिरिक्त सूचना की मांग करेंगे। त्वरित सेवा (तत्काल सेवा) के अंतर्गत प्रस्तुत ज्ञापन के सापेक्ष, ज्ञापन प्राप्त होने के समय से चौबीस घंटे के भीतर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

(ग) **माता–पिता/विधिक अभिभावकों को सूचना** – यदि माता–पिता/विधिक अभिभावकों के संबंध में प्रदान की गई सूचना सही पाई जाती है, तो उप–निबंधक विवाह के दोनों पक्षकारों के माता–पिता/विधिक अभिभावकों को विवाह के पंजीकरण या पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु प्रस्तुत ज्ञापन की प्राप्ति के बारे में ईमेल/एसएमएस/व्हाट्सएप संदेश, और/या डाक के माध्यम से सूचित करेंगे। जिस प्रारूप में यह सूचना संप्रेषित की जानी है वह अनुलग्नक–7 में प्रदान किया गया है।

(घ) **निर्धारित समयावधि के पश्चात ज्ञापन प्रस्तुतीकरण हेतु विलंब शुल्क**– यदि विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन निर्धारित समयावधि के पश्चात् ऑफ़लाइन प्राप्त होता है, तो उप–निबंधक नियम 9 के उपनियम (11) (ग) में निहित प्रावधानों के अनुसार विलंब शुल्क की गणना करेगा तथा पंजीकरणकर्ताओं से उक्त संदाय हेतु कहेगा। यदि निर्धारित समयावधि के पश्चात् ज्ञापन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रणाली द्वारा स्वतः विलंब शुल्क की गणना की जाएगी और पंजीकरणकर्ताओं को पंजीकरणकर्ताओं/ एजेंसी/एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त वेब–पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से इसे जमा करने हेतु मार्गदर्शित किया जाएगा।

(ङ) **शास्ति/अर्थदंड एवं दण्ड**– संहिता की धारा 17, 18 और धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (i) के आधार पर, उप–निबंधक द्वारा शास्ति/अर्थदंड उदग्रहित करने और निर्धारित दंड से संबंधित कार्रवाई आरम्भ करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है –

(i) 26 मार्च, 2010 और संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक के मध्य राज्य में अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह के मामले में, पंजीकरणकर्ताओं को संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक से छहः माह की अवधि के भीतर विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि उप–निबंधक को स्वयं के स्रोतों या शिकायत के माध्यम से ज्ञात होता है, कि नियम 8 (1) के खण्ड (क) के अधीन विहित छहः माह की अवधि के भीतर ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो

उप–निबंधक विवाह के पक्षकारों को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें नोटिस जारी होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर ज्ञापन के साथ–साथ समय पर ज्ञापन प्रस्तुत न करने के कारणों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। ऐसे नोटिस का प्रारूप अनुलग्नक–8 में प्रदान किया गया है। ज्ञापन एवं स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, उप–निबंधक स्पष्टीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि क्या निर्धारित समय के भीतर ज्ञापन प्रस्तुत करने में पंजीकरणकर्ताओं की ओर से जानबूझकर चूक या उपेक्षा हुई थी। यदि उप–निबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पंजीकरणकर्ताओं द्वारा वास्तव में जानबूझकर चूक या उपेक्षा की गई थी, तो पंजीकरणकर्ताओं पर नियम 9 के उपनियम (11) के अधीन राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विलंब शुल्क की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। इस संदर्भ में पारित किए जाने वाले आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–9 में प्रदान किया गया है;

(ii) संहिता प्रारंभ होने के पश्चात् अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह के मामले में, पंजीकरणकर्ताओं को विवाह के दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि उप–निबंधक को स्वयं के स्रोतों या शिकायत के माध्यम से ज्ञात होता है, कि नियम 8 (1) के खण्ड (क) के अधीन विहित साठ दिनों की अवधि के भीतर ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो उप–निबंधक विवाह के पक्षकारों को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें नोटिस जारी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर ज्ञापन के साथ–साथ समय पर ज्ञापन प्रस्तुत न करने के कारणों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। ऐसे नोटिस का प्रारूप अनुलग्नक–8 में प्रदान किया गया है। ज्ञापन एवं स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, उप–निबंधक स्पष्टीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि क्या निर्धारित समय के भीतर ज्ञापन प्रस्तुत करने में पंजीकरणकर्ताओं की ओर से जानबूझकर चूक या उपेक्षा हुई थी। यदि उप–निबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पंजीकरणकर्ताओं द्वारा वास्तव में जानबूझकर चूक या उपेक्षा की गई थी, तो पंजीकरणकर्ताओं पर नियम 9 के उपनियम (11) के अधीन राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विलंब शुल्क की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। इस संदर्भ में पारित किए जाने वाले आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–9 में प्रदान किया गया है;

(iii) यदि पंजीकरणकर्ता नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उपरोक्त उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन निर्धारित तीस दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक ज्ञापन प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उप–निबंधक आवेदन को अस्वीकार कर सकता है;

(iv) यदि संक्षिप्त जांच के दौरान यह तथ्य सामने आता है कि किसी व्यक्ति ने संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आपराधिक कृत्य किया है, तो उप–निबंधक इस संबंध में पुलिस को सूचना देगा।

(च) नियम 7 (1) के अंतर्गत जानबूझकर चूक या उपेक्षा का अवधारण– यदि विवाह के पक्षकार समय पर अपेक्षित ज्ञापन प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, क्योंकि –

(i) विवाह में सम्मिलित एक या दोनों पक्षकार मानसिक या अन्य प्रकार के रोग द्वारा पीड़ित थे, जिसमें उनके/उनकी पहचान की पुष्टि करना संभव नहीं था; या

(ii) विवाह के दोनों पक्षकार उस दिनांक से अस्पताल में भर्ती थे, जो ज्ञापन प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व की थी और जो उप–निबंधक द्वारा नोटिस जारी किए जाने के दिनांक तक जारी रही। अस्पताल में भर्ती होना अत्यंत गंभीर चिकित्सीय स्थिति के कारण था कि विवाह के किसी भी पक्षकार हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करना संभव नहीं था; या

(iii) संहिता की धारा 17(1) के अंतर्गत जानबूझकर की गई चूक या उपेक्षा का अवधारण करने में, उप–निबंधक पंजीकरणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अन्य कारणों पर भी विचार कर सकता है।

(छ) विवाह पंजीकरण हेतु ज्ञापन की स्वीकृति/अस्वीकृति–

(i) संक्षिप्त जांच पूर्ण होने के पश्चात और विवाह पंजीकरण हेतु ज्ञापन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, उप–निबंधक या तो बहुविवाह से संबंधित विवाहों के लिए अनुलग्नक–4 या अन्यथा अनुलग्नक–10 में विहित प्रारूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत कर सकते हैं या ज्ञापन को अस्वीकार करने और ऐसी अस्वीकृति का कारण/कारणों का उल्लेख करने वाला आदेश पारित कर सकते हैं। अस्वीकृति आदेश में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि इस आदेश के विरुद्ध संबंधित निबंधक के पास अस्वीकृति की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील योजित की जा सकती है। अस्वीकृति आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–11 में प्रदान किया गया है। त्वरित सेवा (तत्काल सेवा) के अंतर्गत प्रस्तुत ज्ञापंन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया ज्ञापन प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी;

(ii) उपरोक्त उपखंड (i) के अंतर्गत, संहिता लागू होने के पश्चात अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह के पंजीकरण हेतु ज्ञापन को उप–निबंधक द्वारा निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है –

(क) विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से किसी एक का जीवनसाथी जीवित है;

(ख) विवाह के समय, दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार –

(i) चित्त विकृति के परिणामस्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ है;

(ii) विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी, इस प्रकार के या इस सीमा तक मानसिक विकार से पीड़ित है कि वह विवाह हेतु अयोग्य है;

(iii) उनमत्ता के आवर्ती दौरों से पीड़ित रहा है।

(ग) पुरुष ने इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और/या महिला ने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है;

(घ) दोनों पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर आते हैं, और विवाह के पक्षकारों को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा उनके मध्य विवाह की अनुमति नहीं देती है, और यदि अनुमन्य करती हों, तो ऐसा विवाह लोकनीति और नैतिकता के विपरीत है;

(ङ) किसी भी प्रवृत विधि के अंतर्गत विवाह प्रतिषिद्ध है;

(च) विवाह हेतु कोई अनुष्ठान संपन्न नहीं किया गया है;

(छ) दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार सहवासी संबंध में है और उसने उक्त संबंध समाप्त नहीं किया है;

(ज) पंजीकरणकर्ता ने ज्ञापन में मिथ्या कथन दिया है, जिसके मिथ्या होने के युक्तियुक्त कारण विद्यमान होने का उसे संज्ञान है, अथवा उसने कोई कूटरचित या मनगढ़ंत अभिलेख प्रस्तुत किया है;

(झ) नियम 8 (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत विहित पांच दिन अथवा चौबीस घंटे की समय सीमा के भीतर यथास्थिति, अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(iii) उपरोक्त उपखंड (i) के अंतर्गत, संहिता लागू होने से पूर्व अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह के पंजीकरण हेतु ज्ञापन उप-निबंधक द्वारा निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है –

(क) विवाह का कोई अनुष्ठान संपन्न नहीं हुआ है, या विवाह का अनुष्ठान संपन्न हुआ था किन्तु पंजीकरणकर्ता तब से जीवनसाथी के रूप में साथ नहीं रह रहे हैं;

(ख) पंजीकरण के समय दोनों पक्षकारों में से किसी एक का जीवनसाथी जीवित थे तथा किसी भी पक्षकार की रूढ़ि एवं प्रथा के अनुसार विवाह के समय बहुविवाह की अनुमेयता नहीं थी;

(ग) पुरुष ने इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और/या महिला ने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है;

(घ) दोनों पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रीके भीतर आते हैं, और विवाह के पक्षकारों को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा उनके मध्य विवाह की अनुमति नहीं देती है, और यदि अनुमन्य करती हों, तो ऐसा विवाह लोकनीति और नैतिकता के विपरीत है;

(ङ) दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार सहवासी संबंध में है और उसने उक्त संबंध समाप्त नहीं किया है;

(च) पंजीकरणकर्ता ने ज्ञापन में मिथ्या कथन दिया है, जिसके मिथ्या होने के युक्तियुक्त कारण विद्यमान होने का उसे संज्ञान है, अथवा उसने कोई कूटरचित या मनगढ़ंत अभिलेख प्रस्तुत किया है;

(छ) नियम 8 (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत विहित पांच दिन अथवा चौबीस घंटे की समय सीमा के भीतर यथास्थिति, अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ज) **पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु प्रस्तुत ज्ञापन की स्वीकृति/अस्वीकृति–**

(i) संक्षिप्त जांच पूर्ण होने के पश्चात् और ज्ञापन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, उप–निबंधक या तो बहुविवाह से संबंधित विवाहों के लिए अनुलग्नक–5 या अन्यथा अनुलग्नक–13 में विहित प्रारूप में अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र निर्गत कर सकते हैं या ज्ञापन को अस्वीकार करने और ऐसी अस्वीकृति का कारण/कारणों का उल्लेख करने वाला आदेश पारित कर सकते हैं। अस्वीकृति आदेश में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि इस आदेश के विरुद्ध संबंधित निबंधक के पास अस्वीकृति की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील योजित की जा सकती है। अस्वीकृति आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–11 में प्रदान किया गया है। त्वरित सेवा (तत्काल सेवा) के अंतर्गत प्रस्तुत ज्ञापन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया ज्ञापन प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी;

(ii) उपरोक्त उपखंड (i) के अंतर्गत, पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन उप–निबंधक द्वारा निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है –

(क) विवाह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है;

(ख) पंजीकरणकर्ता ने ज्ञापन में मिथ्या कथन दिया है, जिसके मिथ्या होने के युक्तियुक्त कारण विद्यमान होने का उसे संज्ञान है, अथवा उसने कोई कूटरचित या मनगढ़ंत अभिलेख प्रस्तुत किया है;

(ग) नियम 8 (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत विहित पांच दिन अथवा चौबीस घंटे की समय सीमा के भीतर यथास्थिति, अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(2) विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता के पंजीकरण के मामले में–

(क) **विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन प्राप्त होने पर की जाने वाली संक्षिप्त जांच एवं कार्रवाई–** ज्ञापन प्राप्त होने पर, उप–निबंधक निम्नलिखित हेतु संक्षिप्त जांच करेंगे–

(i) **नियम 10 के उपनियम (2), (3), (5), (6) और (7) और नियम 6 (2) के खण्ड (क) से (ग)** के अनुपालन में प्रदान की गई सूचना की सत्यता की जांच करेंगे;

(ii) ई–न्यायालय, संबंधित उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वेब–पोर्टल के माध्यम से आज्ञप्ति की प्रामाणिकता एवं इसकी अंतिमता की पुष्टि पंजीकरणकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए केस संख्या, सीएनआर संख्या, डायरी संख्या की सहायता से या अन्यथा की जाएगी। यदि विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता हेतु ज्ञापन दोनों पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि मात्र एक पक्षीय रूप से प्रस्तुत किया गया है, तो उप–निबंधक, यदि दूसरा पक्षकार जीवित है, तो दूसरे पक्षकार से टेलीफोन पर या अन्यथा वार्ता करके यह सत्यापित करेगा कि आज्ञप्ति वास्तव में अंतिम हो गई है;

(iii) संहिता प्रारंभ होने से पूर्व संबंधित पक्षकारों के रूढ़िगत विधि के अंतर्गत प्रदान की गयी विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत अभिलेखों की प्रामाणिकता की जांच करेंगे;

(iv) यह सुनिश्चित करेंगे कि संहिता की धारा 13 के उपधारा (2) के खंड (i) और धारा 29 के अंतर्गत लागू उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया गया है; और

(v) नियम 7 (2) के खण्ड (ख) से (च) एवं नियम 20 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(ख) अतिरिक्त सूचना की मांग– यदि उप–निबंधक को पंजीकरणकर्ताओं से अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है, तो वह विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत ज्ञापन की प्राप्ति के पांच दिनों के अंतर्गत ऐसी अतिरिक्त सूचना की मांग करेंगे।

(ग) निर्धारित समयावधि के पश्चात ज्ञापन प्रस्तुतिकरण पर विलंब शुल्क– यदि विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन निर्धारित समयावधि के पश्चात् ऑफलाइन प्राप्त होता है, तो उप–निबंधक नियम 10 के उपनियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार विलंब शुल्क की गणना करेगा तथा पंजीकरणकर्ताओं से उक्त संदाय हेतु कहेगा। यदि निर्धारित समयावधि के पश्चात् ज्ञापन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रणाली द्वारा स्वतः विलंब शुल्क की गणना की जाएगी और पंजीकरणकर्ताओं को पंजीकरणकर्ताओं / एजेंसी / एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त वेब–पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से इसे जमा करने हेतु मार्गदर्शित किया जाएगा।

(घ) शास्ति / अर्थदंड एवं दण्ड– संहिता की धारा 17, 18 और धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) के आधार पर, उप–निबंधक द्वारा शास्ति / अर्थदंड उदग्रहित करने और निर्धारित दंड से संबंधित कार्रवाई आरम्भ करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है –

(i) संहिता प्रारम्भ होने के दिनांक के पश्चात्, यदि राज्यान्तर्गत या राज्य के बाहर किसी न्यायालय द्वारा विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति पारित की जाती है, जहाँ आज्ञप्ति में सम्मिलित विवाह के पक्षकारों में से कम से कम एक उत्तराखण्ड का निवासी है, तो ऐसे पक्ष / पक्षकारों को आज्ञप्ति के अंतिमता की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अर्थात, यदि अपील का अधिकार नहीं है तो आज्ञप्ति पारित होने के दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर, या यदि अपील का अधिकार है, तो अपील योजित किए बिना अपील का अधिकार समाप्त होने के दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर, या जहाँ अपील योजित की गई हो, वहाँ अपील अस्वीकृत होने के दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर जब अग्रिम अपील का कोई अधिकार शेष न हो। यदि उप–निबंधक को स्वयं के स्त्रोतों या किसी शिकायत के माध्यम से ज्ञात होता है कि विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति अंतिम हो चुकी है और नियम 8 (2) के खण्ड (क) के अधीन विहित साठ दिनों की अवधि के भीतर ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो उप–निबंधक आज्ञप्ति के पक्षकारों को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें नोटिस जारी होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर ज्ञापन के साथ–साथ समय पर ज्ञापन प्रस्तुत न करने के कारणों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। ऐसे नोटिस का प्रारूप अनुलग्नक–8 में प्रदान किया गया है। ज्ञापन एवं

स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, उप–निबंधक स्पष्टीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि क्या निर्धारित समय के भीतर ज्ञापन प्रस्तुत करने में पंजीकरणकर्ताओं की ओर से जानबूझकर चूक या उपेक्षा हुई थी। यदि उप–निबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पक्षकारों द्वारा वास्तव में जानबूझकर चूक या उपेक्षा की गई थी, तो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित शास्ति पक्षकारों पर अधिरोपित की जाएगी, जो नियम 10 के उपनियम (7) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क और विलंब शुल्क के अतिरिक्त देय होगी। इस संदर्भ में पारित किए जाने वाले आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–9 में प्रदान किया गया है;

(ii) यदि पक्षकार नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उपरोक्त उपखंड(i) के अधीन निर्धारित तीस दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक ज्ञापन प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उप–निबंधक, जब ऐसा करने के लिए कहा गया हो, पुलिस को आवश्यक ज्ञापन प्रस्तुत करने में विफलता के संबंध में सूचित करेगा;

(iii) यदि संक्षिप्त जांच के स्तर पर यह ज्ञात होता है कि संहिता प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी व्यक्ति ने संहिता की धारा 29 का उल्लंघन करते हुए विवाह विघटित किया है, तो उप–निबंधक पुलिस के समक्ष इस कृत्य के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करेंगे। प्राथमिकी का प्रारूप अनुलग्नक–18 में प्रदान किया गया है।

(ङ) **नियम 7 (2) के अंतर्गत जानबूझकर चूक या उपेक्षा का अवधारण–** यदि विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पक्षकार समय पर ज्ञापन प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, क्योंकि–

(i) विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के एक या दोनों पक्षकार मानसिक या अन्य प्रकार के रोग द्वारा पीड़ित थे, जिसमें उनके/उनकी पहचान की पुष्टि करना संभव नहीं था; या

(ii) विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के दोनों पक्षकार उस दिनांक से अस्पताल में भर्ती थे, जो ज्ञापन प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व की थी और जो उप–निबंधक द्वारा नोटिस जारी किए जाने के दिनांक तक जारी रही। अस्पताल में भर्ती होना अत्यंत गंभीर चिकित्सीय स्थिति के कारण था कि किसी भी पक्षकार हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करना संभव नहीं था; या

(iii) संहिता की धारा 17(1) के अंतर्गत जानबूझकर की गई चूक या उपेक्षा का अवधारण करने में, उप–निबंधक पंजीकरणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अन्य कारणों पर भी विचार कर सकता है।

(च) **विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत ज्ञापन की स्वीकृति/अस्वीकृति–**

(i) संक्षिप्त जांच पूर्ण होने के पश्चात् तथा ज्ञापन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, उप–निबंधक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से विघटित विवाहों हेतु अनुलग्नक–19 में विहित प्रारूप में अथवा संहिता के प्रारंभ से पूर्व रूढ़िगत विधियों के माध्यम से विघटित विवाहों हेतु अनुलग्नक–20 में विहित प्रारूप

में अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र निर्गत कर सकते हैं तथा ज्ञापन को अस्वीकार करने और ऐसी अस्वीकृति का कारण/कारणों का उल्लेख करने वाला आदेश पारित कर सकते हैं। अस्वीकृति आदेश में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि इस आदेश के विरुद्ध संबंधित निबंधक के पास अस्वीकृति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर अपील योजित की जा सकती है। अस्वीकृति आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–12 में प्रदान किया गया है।

(ii) उपरोक्त उपखंड (i) के अंतर्गत विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन उप–निबंधक द्वारा निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है –

(क) संबंधित पक्षकारों की रूढ़िगत विधि के अंतर्गत संहिता के प्रारंभ के पश्चात् हुए विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता के आधार पर पंजीकरण की मांग की जा रही है।

(ख) किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति पारित नहीं की गई है।

(ग) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति अंतिम नहीं हुई है, क्योंकि आज्ञप्ति के विरूद्ध अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(घ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति किसी अपीलीय न्यायालय के आदेश द्वारा प्रत्यावर्तित कर दी है, जो अंतिम हो गयी है।

(ङ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के विरूद्ध या किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील योजित करने हेतु निर्धारित समय–सीमा अभी समाप्त नहीं हुई है।

(च) पंजीकरणकर्ता ने ज्ञापन में मिथ्या कथन दिया है, जिसके मिथ्या होने के युक्तियुक्त कारण विद्यमान होने का उसे संज्ञान है, अथवा उसने कोई कूटरचित या मनगढ़ंत अभिलेख प्रस्तुत किया है।

(छ) नियम 8 (2) के खण्ड (ख) के अंतर्गत विहित पांच दिन की समय सीमा के भीतर यथास्थिति, अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा के पंजीकरण के मामले में–

(क) विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन प्राप्त होने पर की जाने वाली संक्षिप्त जांच– एक बार आवेदन प्राप्त हो जाने पर, उप–निबंधक निम्नलिखित के परीक्षण हेतु संक्षिप्त जांच करेंगे –

(i) नियम 12 के उपनियम (3), (4), (7) एवं नियम 13 के उपनियम (1) के अनुपालन में प्रदान की गई सूचना की सत्यता की जांच;

(ii) घोषणाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में निहित घोषणाकर्ता/विधिक उत्तराधिकारियों की आधार संख्या, नाम, फोन नंबर/ईमेल आईडी/पते की सत्यता की जांच;

(iii) आवेदन में उल्लिखित घोषणाकर्ता एवं विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच;

(iv) क्या घोषणाकर्ता विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन योजित करते समय स्वस्थचित्त का है।

(ख) अतिरिक्त सूचना की मांग– यदि उप–निबंधक को घोषणाकर्ता से अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है, तो वह विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन की प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर ऐसी अतिरिक्त सूचना की मांग करेंगे।

(ग) विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु प्रस्तुत आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति –

(i) संक्षिप्त जांच पूर्ण होने के पश्चात् और आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, उप–निबंधक या तो अनुलग्नक–21 में निर्दिष्ट प्रारूप में विधिक उत्तराधिकारी घोषणा प्रमाणपत्र निर्गमित कर सकते हैं या अन्यथा आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित कर सकते हैं और अस्वीकृति का कारण/कारणों का उल्लेख कर सकते हैं। अस्वीकृति आदेश में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि इस आदेश के विरुद्ध संबंधित निबंधक के पास अस्वीकृति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर अपील योजित की जा सकती है। अस्वीकृति आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–22 में दिया गया है।

(ii) उपरोक्त उपखंड (i) के अंतर्गत, विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन उप–निबंधक द्वारा निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है –

(क) घोषणकर्ता ने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है।

(ख) संक्षिप्त जांच से यह ज्ञात होता है कि घोषणकर्ता स्वस्थ चित्त का नहीं है।

(ग) आवेदन में प्रदान की गई सूचना मिथ्या, या प्रस्तुत किया गया अभिलेख कूटरचित एवं मनगढ़ंत है।

(घ) अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण नियम 13 के उपनियम (1) के अंतर्गत निर्धारित पांच दिनों की समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(घ) विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा के पंजीकरण के पश्चात घोषणकर्ता द्वारा अद्यतित सूचना की स्वीकृति/अस्वीकृति –एक बार जब घोषणकर्ता सूचना अद्यतित करता है, तो उप–निबंधक अद्यतित सूचना के सत्यता प्रमाण हेतु संक्षिप्त जांच करेंगे। अद्यतित सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, उप–निबंधक या तो अनुलग्नक–21 में विधिक उत्तराधिकारी घोषणा प्रमाणपत्र निर्गत कर सकते हैं या अन्यथा आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित कर सकते हैं और अस्वीकृति का कारण/कारणों का उल्लेख कर सकते हैं। अस्वीकृति आदेश में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि इस आदेश के विरुद्ध संबंधित निबंधक के पास अस्वीकृति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर अपील योजित की जा सकती है।

(4) इच्छापत्रीय उत्तराधिकार के पंजीकरण के मामले में–

(क) संक्षिप्त जांच – इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् उप–निबंधक पंद्रह दिनों के भीतर निम्नलिखित की संक्षिप्त जांच करेंगे –

(i) नियम 14 (2) के खण्ड (ग) से (ढ) के अनुपालन में प्रस्तुत की गई सूचना की सत्यता;

(ii) यह जांच करेंगे कि इच्छापत्रकर्ता इच्छापत्र/क्रोडपत्र बनाने में सक्षम है/था, या अपने इच्छापत्र/क्रोडपत्र को प्रतिसंहृत/ पुनः प्रवर्तित करने में सक्षम है, या अपने पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र को अपने अंतिम इच्छापत्र/क्रोडपत्र घोषित करने में सक्षम है, या अपने पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र के प्रतिसंहरण/ पुनः प्रवर्तन के कथन को अंतिम कथन घोषित करने में सक्षम है, और यदि इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात् कोई अन्य पंजीकरणकर्ता इच्छापत्र/क्रोडपत्र पंजीकृत कर रहा है, तो इच्छापत्रकर्ता के इच्छापत्र/क्रोडपत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की प्रामाणिकता की जांच;

(iii) प्रस्तुत अभिलेख़ों की सत्यता की जांच;

(iv) इच्छापत्रकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पंजीकरणकर्ता एवं साक्षियों द्वारा स्व–वीडियो के माध्यम से की गई घोषणा की सत्यता की जांच;

स्पष्टीकरणः इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के पंजीकरण हेतु आवेदन में प्रस्तुत विवरण की प्रामाणिकता की जांच निम्नलिखित रीतियों में से किसी एक द्वारा की जाएगीः

(क) इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के रचयिता के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद करना;

(ख) इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के रचयिता को सम्मन द्वारा बुलाकर या सुसंगत स्थान का व्यक्तिगत निरीक्षण करके भौतिक सत्यापन करना;

(ग) इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के रचयिता के निकट नियुक्त किसी सरकारी अधिकारी को आवेदन या घोषणा में दिए गए विवरण की प्रामाणिकता जांच में सहायता के लिए नियुक्त करना।

(ख) **संक्षिप्त जांच के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई** –नियम 7 (4) के खण्ड (क) के अंतर्गत संक्षिप्त जांच पूर्ण होने के पश्चात् उप–निबंधक इस तथ्य पर विचार किये बिना कि संक्षिप्त जांच पूर्ण होने से पूर्व इच्छापत्रकर्ता के अतिरिक्त अन्य इच्छापत्रकर्ता/पंजीकरणकर्ता की मृत्यु हो गई है, या तो इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के पंजीकरण हेतु आवेदन स्वीकार करेगा तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, (1908 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 51 के अंतर्गत पुस्तिका 3 में ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत सुसंगत सूचना की प्रविष्टि करेगा या अनुलग्नक–25 में प्रस्तुत भ्रामक/मिथ्या सूचना और/या कूटरचित/मनगढ़ंत अभिलेख के आधार पर इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के पंजीकरण हेतु आवेदन को अस्वीकार कर देगा।

(ग) **इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के पंजीकरण हेतु आवेदन की अस्वीकृति** – यदि इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदन नियम 7 (4) के खण्ड (ख) के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उप–निबंधक ईमेल/व्हाट्सएप/एसएमएस के माध्यम से आवेदक को अस्वीकृति के संबंध में **अनुलग्नक–26** में निर्धारित प्रारूप के अनुसार ऐसा करने के कारण के साथ सूचित करेगा।

(घ) **पंजीकृत इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख का निर्गमन** – यदि नियम 7 (4) के खण्ड (ख) के अंतर्गत इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो उप–निबंधक द्वारा ईमेल/व्हाट्सएप/एसएमएस के माध्यम से इच्छापत्रकर्ता के अतिरिक्त अन्य पंजीकरणकर्ता को

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख निर्गत किया जाएगा। यदि संक्षिप्त जांच पूर्ण होने से पूर्व इच्छापत्रकर्ता के अतिरिक्त अन्य इच्छापत्रकर्ता/पंजीकरणकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो पंजीकरण का दिनांक इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख प्रस्तुत करने का दिनांक होगा। इसके अलावा, इच्छापत्रकर्ता के अतिरिक्त अन्य इच्छापत्रकर्ता/पंजीकरणकर्ता संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख डाउनलोड कर सकते हैं।

(ङ) **पंजीकृत इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख की प्रति का परिरक्षण–** एक बार इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख पंजीकृत हो जाने पर, उसे अभिलेखों में सुरक्षित रखा जाएगा, भले ही इच्छापत्रकर्ता ने बाद में कोई अन्य इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख पंजीकृत करा लिया हो।

(च) **पंजीकृत अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने संबंधी आवेदन पर संक्षिप्त जांच –** यदि कोई निष्पादक, इच्छापत्रदार अथवा अधिकृत व्यक्ति इच्छापत्रकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है और अंतिम पंजीकृत इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है, तो उप–निबंधक प्रस्तुत इच्छापत्रकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच हेतु संक्षिप्त जांच करेगा और यह भी स्थापित करेगा कि आवेदक वास्तव में इच्छापत्रकर्ता के अंतिम पंजीकृत इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख में निष्पादक/इच्छापत्रदार/अधिकृत व्यक्ति है।

(छ) **उपरोक्त नियम 7 (4) के खण्ड (च) के अंतर्गत संक्षिप्त जांच के पश्चात् उप–निबंधक द्वारा की गई कार्रवाई–** नियम 7 (4) के खण्ड (च) के अंतर्गत संक्षिप्त जांच के पश्चात् यदि उप–निबंधक का समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा किया गया दावा विधिसम्मत है, तो वह आवेदित पंजीकृत इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख की प्रमाणित प्रति जारी करेगा। अन्यथा, ऐसा करने का कारण बताते हुए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस नियम के अंतर्गत प्रमाणित प्रति जारी करना या आवेदन की अस्वीकृति, आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी।

(ज) **निष्पादकों /इच्छापत्रदारों/अधिकृत व्यक्तियों को सूचना –** इच्छापत्रकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर और सीआरएस वेब–पोर्टल पर मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच के पश्चात् उप–निबंधक एसएमएस, ईमेल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से इच्छापत्रकर्ता के अंतिम पंजीकृत इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख में उल्लिखित निष्पादकों /इच्छापत्रदारों/अधिकृत व्यक्तियों को सूचित करेगा कि वह इच्छापत्रकर्ता के अंतिम पंजीकृत इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख में एक निष्पादक/इच्छापत्रदार/अधिकृत व्यक्ति है।

8. पंजीकरणकर्ताओं के कर्तव्य

(1) अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह के मामले में–

(क) **ज्ञापन का समयोचित प्रस्तुतीकरण–संहिता की धारा 10** में किए गए अनुबंधों के आधार पर ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित समय–सारणी निर्धारित की गई है –

(i) 26 मार्च, 2010 से पूर्व राज्य में अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह के मामले में, पंजीकरणकर्ताओं को संहिता प्रारम्भ होने के दिनांक से छह माह की अवधि के भीतर विवाह के पंजीकरण या पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन, नियम 9 के उपनियम (11) (क) अथवा उपनियम (11) (ख) के

अंतर्गत निर्धारित शुल्क के साथ, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि उक्त ज्ञापन संहिता प्रारंभ होने के दिनांक से छह माह के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे नियम 9 के उपनियम (11) (ग) के अंतर्गत निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा;

(ii) संहिता प्रारम्भ होने से पूर्व राज्य के बाहर अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह के मामले में, पंजीकरणकर्ताओं को संहिता प्रारम्भ होने के दिनांक से छह माह की अवधि के भीतर विवाह के पंजीकरण या पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन, नियम 9 के उपनियम (11) (क) अथवा उपनियम (11) (ख) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि उक्त ज्ञापन संहिता प्रारंभ होने के पश्चात प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे नियम 9 के उपनियम (11) (ग) के अंतर्गत निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा;

(iii) 26 मार्च, 2010 और संहिता प्रारंभ होने के मध्य राज्य में अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह के मामले में, पंजीकरणकर्ताओं को उपरोक्त दिनांक से छह माह की अवधि के भीतर विवाह के पंजीकरण या पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन, नियम 9 के उपनियम (11) (क) अथवा उपनियम (11) (ख) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि उक्त ज्ञापन समान नागरिक संहिता प्रारंभ होने से छह माह के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे नियम 9 के उपनियम (11) (ग) के अंतर्गत निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा;

(iv) संहिता प्रारंभ होने के पश्चात अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह के मामले में, पंजीकरणकर्ताओं को विवाह के दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर विवाह पंजीकरण या पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन, नियम 9 के उपनियम (11) (क) अथवा उपनियम (11) (ख) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के साथ, प्रस्तुत प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि उक्त ज्ञापन विवाह के दिनांक से साठ दिनों की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे नियम 9 के उपनियम (11) (ग) के अंतर्गत निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(ख) अतिरिक्त सूचना का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण– यदि उप–निबंधक/निबंधक/महानिबंधक अतिरिक्त सूचना मांगते हैं या कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो पंजीकरणकर्ताओं को उपरोक्त अधिकारियों में से किसी एक द्वारा इस संबंध में संसूचना प्राप्त होने के दिनांक से पांच दिनों के अंतर्गत इसे प्रस्तुत/स्पष्ट करना होगा। त्वरित सेवा (तत्काल सेवा) के अंतर्गत प्रस्तुत ज्ञापन हेतु इस संबंध में संसूचना प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ग) सूचना अद्यतन करना–

(i) यदि विवाह के पंजीकरण के पश्चात् या पूर्व में पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के पश्चात् पति/पत्नी के पते/फोन नंबर/ईमेल/धर्म में कोई परिवर्तन होता है, तो उक्त विवाह के पक्षकारों का यह कर्तव्य है कि ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के अंतर्गत संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर सूचना ऑनलाइन अद्यतित करें;

(ii) विवाह के पंजीकरण के पश्चात् या पूर्व में पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के पश्चात्, यदि विवाह की निरंतरता के दौरान किसी बच्चे का जन्म या मृत्यु होती है, तो विवाह के पक्षकारों का यह कर्तव्य है कि वे उपरोक्त उपखंड (i) में विहित रीति के अनुसार इस संबंध में सूचना को अद्यतित करें;

(iii) यदि विवाह के पंजीकरण के पश्चात् या पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के पश्चात्, पति–पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित जीवनसाथी का यह दायित्व होगा कि वह उपरोक्त उपखंड (i) में विहित रीति के अनुसार इस संबंध में सूचना को अद्यतित करे;

(iv) यदि विवाह विधिक रूप से निरस्त होता है या विवाह के पंजीकरण के पश्चात् या पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के पश्चात् पंजीकरणकर्ताओं का विधिक रूप से विवाह विच्छेद होता है, तो पंजीकरणकर्ताओं द्वारा उपरोक्त उपखंड (i) में विहित रीति के अनुसार इस संबंध में सूचना को अद्यतन करना आवश्यक होगा।

(2) विवाह–विच्छेद / विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण के मामले में–

(क) ज्ञापन का समयोचित प्रस्तुतीकरण– आज्ञप्ति पारित होने के दिनांक के आधार पर, संहिता की धारा 11 विवाह –विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करने की निम्नलिखित समय–सारणी निर्धारित की गई है –

(i) यदि राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी न्यायालय द्वारा विवाह –विच्छेद एवं विवाह अकृतता की आज्ञप्ति पारित की गई थी और यह संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व अंतिम हो गई थी, तो पंजीकरणकर्ताओं को संहिता प्रारम्भ होने के दिनांक से छह माह की अवधि के भीतर विवाह –विच्छेद या विवाह की अकृतता की अंतिम आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन, नियम 10 के उपनियम (7) (क) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के साथ, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि उक्त ज्ञापन संहिता प्रारम्भ होने के दिनांक से छह माह के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे नियम 10 के उपनियम (7) (ख) के अंतर्गत निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा;

(ii) यदि राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी न्यायालय द्वारा विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति पारित की गई है और यह संहिता प्रारंभ होने के पश्चात् अंतिम हो जाती है, तो पंजीकरणकर्ताओं को आज्ञप्ति अंतिम होने के दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की अंतिम आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन को नियम 10 के उपनियम (7) (क) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के साथ, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि उक्त ज्ञापन इस उप–नियम के तहत निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे नियम 10 के उपनियम (7) (ख) के अंतर्गत निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(ख) अतिरिक्त सूचना का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण– यदि उप–निबंधक/निबंधक/महानिबंधक अतिरिक्त सूचना मांगते हैं या कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो पंजीकरणकर्ताओं को उपरोक्त अधिकारियों में से किसी एक द्वारा इस संबंध में संसूचना प्राप्त होने के दिनांक से पांच दिनों के अंतर्गत इसे प्रस्तुत/स्पष्ट करना होगा।

(ग) सूचना अद्यतन करना–

(i) यदि विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की अंतिम आज्ञप्ति के पंजीकरण के पश्चात् पति/पत्नी के पते/फोन नंबर/ईमेल/धर्म में कोई परिवर्तन होता है, तो उक्त विवाह के पक्षकारों का यह कर्तव्य है कि ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर सूचना ऑनलाइन अद्यतित करें;

(ii) विवाह–विच्छेद एवं विवाह अकृतता की अंतिम आज्ञप्ति के पंजीकरण के पश्चात्, यदि किसी बच्चे का जन्म या मृत्यु होती है, तो यह विवाह –विच्छेद या विवाह की अकृतता के पक्षकारों का यह कर्तव्य है कि वे उपरोक्त उपखंड (i) में विहित रीति के अनुसार इस संबंध में सूचना को अद्यतित करें।

(3) सहवासी संबंध के मामले में–

(क) कथन का प्रस्तुतीकरण– पंजीकरणकर्ताओं को नियम 15 के उपनियम (9) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के साथ सहवासी संबंध का कथन स्वयं प्रस्तुत करना होगा।

(ख) अतिरिक्त सूचना का समयबद्ध रूप से प्रस्तुतिकरण– यदि निबंधक/महानिबंधक अतिरिक्त सूचना मांगते हैं या कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो पंजीकरणकर्ताओं को उपरोक्त अधिकारियों में से किसी एक द्वारा इस संबंध में संसूचना प्राप्त होने के दिनांक से दस दिनों के भीतर इसे प्रस्तुत/स्पष्ट करना होगा।

(ग) सूचना अद्यतन करना–

(i) यदि सहवासी संबंध के पंजीकरण के पश्चात् पंजीकरणकर्ताओं के पते/फोन नंबर/ईमेल/धर्म में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन के दस दिनों के भीतर पंजीकरणकर्ताओं को संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर सूचना ऑनलाइन अद्यतित करनी होगी;

(ii) यदि सहवासी संबंध के दौरान बच्चे का आगमन होता है, तो सहवासियों को उपरोक्त उपखंड (i) के अधीन विहित रीति द्वारा बच्चे के जन्म/दत्तक ग्रहण के प्रमाण पत्र निर्गत होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर ऐसे बच्चे से संबंधित सूचना को अद्यतन करना होगा;

(iii) जहां अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गमित किया गया है, वहां पंजीकरणकर्ताओं को साझी गृहस्थी के रूप में उपयोग किए जाने वाले आवास के पते के संबंध में सूचना, भवन स्वामी का विवरण, किराए अनुबंध की एक प्रति एवं किरायेदार सत्यापन संख्या प्रस्तुत करनी होगी ताकि उनका सहवासी संबंध पंजीकृत हो सके। यह कार्य उपरोक्त उपखंड (i) के अंतर्गत विहित रीति द्वारा अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गमित होने के तीस दिन या यदि विस्तार दिया गया है तो पैंतालीस दिन के भीतर किया जाएगा;

(iv) यदि सहवासी संबंध के निरंतरता के दौरान सहवासियों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित सहवासी को मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उपरोक्त उपखंड (i) के अधीन विहित रीति द्वारा इस संबंध में सूचना अद्यतन करनी होगी।

अध्याय –3

विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण

9. विवाह का पंजीकरण एवं पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति

(1) विवाह के पंजीकरण एवं पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति की परिस्थितियाँ–

(क) यदि भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के किसी संविधि के अंतर्गत विवाह पूर्व में पंजीकृत नहीं है, तो इस नियमावली के अंतर्गत ऐसे विवाह को पंजीकृत किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, संक्षिप्त जांच के परिणाम के आधार पर पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत किया जाएगा।

(ख) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के किसी संविधि के अंतर्गत पूर्व पंजीकृत विवाह को नवीन पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में, उचित सत्यापन के पश्चात्, विद्यमान पंजीकरण प्रमाणपत्र के आधार पर अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

(2) पंजीकरण/अभिस्वीकृति के प्रयोजन हेतु विवाहों का वर्गीकरण – संहिता की धारा 6 और धारा 7 विवाह के दिनांक के आधार पर विवाहों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत करती है –

(क) 26 मार्च, 2010 से पूर्व अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह, जिस दिनांक को उत्तराखण्ड राजपत्र में उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 अधिसूचित किया गया था।

(ख) 26 मार्च, 2010 व संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक के मध्य अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह।

(ग) संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात् अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह।

(3) विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन में सम्मिलित की जाने वाली सूचना– विवाह के पंजीकरण अथवा किसी अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त नियम 9 के उपनियम (2) के अंतर्गत वर्णित किसी भी वर्ग से संबंधित विवाह को विचार में लाये बिना, पंजीकरणकर्ता को निम्नलिखित सूचना प्रदान करनी होगी –

(क) पंजीकरणकर्ता – पति–पत्नी संयुक्त रूप से; यदि पंजीकरणकर्ता विधवा/विधुर, विवाह–विच्छेदित, या जिसका विवाह निरस्त हो चुका हो, ऐसे मामलों में केवल पत्नी या पति;

(ख) विवाह का दिनांक – वह दिनांक जब विवाह अनुष्ठान संपन्न हुआ था या विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया गया था;

(ग) अधिकारिता प्राप्त उप–निबंधक – उप–निबंधक, जिसके अधिकारिता क्षेत्र के भीतर विवाह स्थल/जीवनसाथी(पति–पत्नी) के वर्तमान पते/जीवनसाथी के स्थायी पते स्थित हैं;

(घ) विवाह के पक्षकारों के विवरण – आधार संख्या; नाम; जन्म का दिनांक; राष्ट्रीयता; धर्म; श्रेणियाँ (सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य); फोन नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक); वर्तमान एवं स्थायी पते और निवास का प्रमाण;

(ङ) पूर्व संबंध की प्रास्थिति –

(i) विवाह के किसी पक्षकार का विवाह से पूर्व वैवाहिक अथवा सहवासी संबंध का कोई इतिहास है या नहीं, यदि हाँ, तो क्या संबंधित पक्षकार विवाह–विच्छेदित है/था; विधवा/विधुर है; विवाह निरस्त किया गया है; सहवासी संबंध समाप्त हो चुका है; पहले से विवाहित है, या सहवासी साथी का निधन हो चुका है। यदि संबंधित पक्षकार पहले से विवाहित है, तो विधिक प्रावधान संबंधित पक्षकार को बहुविवाह की अनुमति प्रदान करते हैं अथवा नहीं; तथा

(ii) विवाह से पूर्व, क्या विवाह के पक्षकार परस्पर सम्बन्धित थे और यदि ऐसा है, तो पक्षकारों के मध्य वास्तविक सम्बन्ध क्या है और क्या सम्बन्ध संहिता की धारा (3) की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत परिभाषित प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर है;

(च) बच्चों का विवरण, यदि कोई हो– विवाह से पूर्व पंजीकृत एक या दोनों पंजीकरणकर्ताओं अथवा विवाह के दिनांक एवं विवाह के पंजीकरण /पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करने के दिनांक के मध्य पंजीकृत दम्पति के बच्चों का नाम; लिंग; जन्मतिथि/दत्तक ग्रहण का दिनांक;

(छ) विवाह के पक्षकारों के अभिभावकों का विवरण – अभिभावक का प्रकार (माता–पिता/विधिक अभिभावक); नाम; पता; फोन नंबर एवं ईमेल आईडी (वैकल्पिक);

(ज) विवाह का स्थान– जहाँ विवाह अनुष्ठान सम्पन्न किया गया था;

(झ) विवाह अनुष्ठान– सप्तपदी/निकाह/आनंद–कारज/पवित्रबंधन/आशीर्वाद/आर्य समाजी/निसुइन/मंगल फेरे/पक्तून/अन्य;

(ञ) विवाह अनुष्ठान संपन्न कराने वाले अनुष्ठाता का विवरण – नाम; पता; फोन नंबर एवं ईमेल आईडी (वैकल्पिक);

(ट) जहां लागू हो, धर्म गुरु/समुदाय प्रमुख या धार्मिक/सामुदायिक निकाय के अधिकारी का विवरण जो प्रमाणित करते हैं कि संबंधित पक्षकारों को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्री के अंतर्गत विवाह अनुमन्य करती हैं– नाम; पता; फोन नंबर एवं ईमेल आईडी (वैकल्पिक);

(ठ) साक्षियों का विवरण – संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाहों हेतु, दो साक्षियों के आधार नंबर, नाम, पते एवं फोन नंबर, जो यह प्रमाणित करेंगे कि पंजीकरणकर्ता पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं/रहे हैं, या संहिता के लागू होने के पश्चात् अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाहों हेतु, विवाह अनुष्ठान में सम्मिलित दो साक्षियों के आधार नंबर, नाम, पते एवं फोन नंबर;

(ड) सहायक अभिलेख–उपरोक्त खंडों (क) से (ठ) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली सूचना के समर्थन हेतु निम्नलिखित अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध/अपलोड की जानी आवश्यक हैं –

(i) आयु का प्रमाण – जन्म प्रमाणपत्र या पैन कार्ड या पासपोर्ट या स्थानांतरण/विद्यालय छोड़ने /मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, सार्वजनिक जीवन बीमा निगम/कंपनियों द्वारा निर्गत पॉलिसी बॉन्ड जिसमें बीमाधारक की जन्मतिथि दर्ज हो, या आवेदक की सेवा पंजिका की प्रति (केवल सरकारी सेवकों के संदर्भ में), या पेंशन आदेश (सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संदर्भ में), जिसे आवेदक के

संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासन अधिकारी/प्रभारी द्वारा विधिवत सत्यापित/प्रमाणित किया गया हो, या मतदाता फोटो पहचान पत्र, या चालन अनुज्ञप्ति;

(ii) निवास का प्रमाण – निम्नलिखित में से कोई एक –

(क) मूल निवास प्रमाणपत्र या स्थायी निवास प्रमाणपत्र;

(ख) यदि पंजीकरणकर्ता केंद्र/राज्य सरकार या उनके उपक्रमों/संस्थाओं का कर्मचारी होने का दावा करता है तो नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र अथवा रोजगार का अन्य अभिलेखीय साक्ष्य;

(ग) एक वर्ष या उससे अधिक समय से उत्तराखण्ड में अधिवास का दावा करने वाले निवासियों हेतु, कम से कम एक वर्ष पुराना विद्युत/जल बिल या पासपोर्ट या किराया अनुबंध के सुसंगत उद्धरण के साथ कम से कम एक वर्ष पुराना किरायेदार सत्यापन प्रमाण पत्र; अथवा

(घ) राज्य में क्रियान्वित राज्य/केन्द्र सरकार प्रायोजित योजना के लाभार्थी होने का दावा करने वाले निवासियों हेतु, लाभार्थी कार्ड या लाभार्थी संख्या या दावे का समर्थन करने वाला केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोई अन्य विधिमान्य अभिलेख;

(iii) बच्चों का प्रमाण – बच्चों के जन्म/दत्तक ग्रहण के प्रमाणपत्र/ कक्षा 10 वीं प्रमाण पत्र / अंकतालिका;

(iv) पूर्व संबंध के प्रमाण – यदि विवाह के पक्षकारों में से किसी का वैवाहिक अथवा सहवासी संबंध का पूर्व इतिहास रहा हो–

(क) यथास्थति, विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति; विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति; जीवनसाथी का मृत्यु प्रमाणपत्र; सहवासी संबंध के समाप्ति का प्रमाणपत्र; सहवासी साथी का मृत्यु प्रमाणपत्र;

(ख) यदि कोई विवाह प्रथागत विधि के अंतर्गत संहिता प्रारंभ होने से पूर्व विघटित हो गया था, तो ऐसे विवाह के विघटन का प्रमाण;

(ग) यदि विवाह का कोई पक्षकार पूर्व से ही विवाहित है/था, तो संबंधित पक्षकार को बहुविवाह संबंध की अनुमति देने वाले विशिष्ट वैधानिक प्रावधान;

(v) पंजीकरणकर्ताओं के मध्य विवाह की अनुमन्यता का प्रमाण यदि वे प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर हैं –अनुलग्नक –1 में धर्म गुरु / समुदाय प्रमुख या संबंधित धार्मिक / सामुदायिक निकाय के अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र कि विवाह के पक्षकारों को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्री के अंतर्गत विवाह अनुमन्य करती हैं;

(vi) विवाह अनुष्ठान का प्रमाण –

(क) विवाह के प्रत्येक पक्षकारों का फोटो;

(ख) विवाह अनुष्ठान में सम्मिलित पक्षकारों का एक साथ लिया गया फोटो;

(ग) विवाह का निमंत्रण पत्र (यदि उपलब्ध हो);

(घ) यदि विवाह अनुष्ठान संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व संपन्न हुआ था, तो संबंधित अनुष्ठाता द्वारा निर्गत विवाह अनुष्ठान का प्रमाणपत्र, जिन्होंने उक्त विवाह अनुष्ठान संपन्न किया, अथवा अनुलग्नक–2 में जीवनसाथियों द्वारा स्वघोषणा प्रमाणपत्र जिसमें यह उल्लिखित हो

कि विवाह उनकी धार्मिक मान्यताओं, प्रथाओं, रूढ़िगत संस्कारों एवं अनुष्ठानों के अनुसार संपन्न हुआ तथा वे तब से पति–पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं;

(ङ) यदि विवाह अनुष्ठान संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् संपन्न हुआ था, तो अनुलग्नक–3 में संबंधित अनुष्ठाता, जिन्होंने जीवनसाथियों का उक्त विवाह अनुष्ठान संपन्न किया, द्वारा निर्गत विवाह अनुष्ठान का प्रमाणपत्र, जिसमें यह उल्लिखित हो कि विवाह उनकी धार्मिक मान्यताओं, प्रथाओं, रूढ़िगत संस्कारों एवं अनुष्ठानों के अनुसार अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ है।

(4) यदि पंजीकरणकर्ताओं में से एक विदेशी नागरिक है तो ज्ञापन में सम्मिलित की जाने वाली अतिरिक्त सूचना–

(क) विदेशी नागरिक के मूल देश का पता।

(ख) उपलब्ध/अपलोड किये जाने वाले अभिलेख– पासपोर्ट के उद्धरण जो यह प्रमाणित करते हों कि विदेशी नागरिक विवाह के समय भारत में उपस्थित था।

(5) पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के ज्ञापन में सम्मिलित की जाने वाली अतिरिक्त सूचना–

(क) संविधि जिसके अंतर्गत विवाह पंजीकृत किया गया था;

(ख) उपलब्ध/अपलोड किए जाने वाले अभिलेख– विवाह का पंजीकरण प्रमाणपत्र।

(6) एकल रूप से ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त सूचना–

(क) जीवन साथी का मृत्यु प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या, यदि पंजीकरणकर्ता विधवा/विधुर है;

(ख) यदि पंजीकरणकर्ता विवाह विच्छेदित है या उसका विवाह न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है तो विवाह विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति, या यदि संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व किसी प्रथागत विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद हुआ था तो उसका प्रमाण।

(7) बहुविवाह की स्थिति में सम्मिलित की जाने वाली अतिरिक्त सूचना –

(क) यदि बहुविवाह की अनुमन्यता थी तथा विवाह संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ था, और समस्त विवाह अपंजीकृत/पंजीकृत थे, तो पंजीकरणकर्ता समस्त विवाहों के पंजीकरण/समस्त पंजीकृत विवाहों की अभिस्वीकृति हेतु संपन्न अनुष्ठानों का विवरण सहित समस्त जीवनसाथियों तथा समस्त विवाहों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों हेतु पंजीकरण/अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र का प्रारूप अनुलग्नक– 4/अनुलग्नक– 5 में दिया गया है;

(ख) यदि बहुविवाह की अनुमन्यता थी तथा विवाह संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ था, और एक या अधिक विवाह अपंजीकृत थे और एक या अधिक विवाह पंजीकृत थे, तो पंजीकरणकर्ता समस्त विवाहों के पंजीकरण हेतु संपन्न अनुष्ठानों का विवरण सहित समस्त जीवनसाथियों तथा समस्त विवाहों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रारूप अनुलग्नक– 4 में दिया गया है।

(8) विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया– विवाह के पक्षकार जो अपने विवाह के पंजीकरण अथवा पूर्व पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति प्राप्त करने हेतु इच्छुक हैं, वे ऐसा ऑनलाइन प्रक्रिया अथवा ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हैं।

(9) विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया– पंजीकरणकर्ता विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन स्वयं अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किसी भी एजेंसी/एजेंसियों की सहायता से प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसके लिए एजेंसी/एजेंसियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क प्रभारित कर सकती हैं। दोनों ही स्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा –

(क) संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल www.ucc.uk.gov.in पर जाएं एवं वहां विहित प्रक्रिया का क्रमशः पालन करें या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें एवं उसमें विहित प्रक्रिया का क्रमशः पालन करें।

(ख) विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु प्रथम चरण में एक बार साइन–अप करना होगा, जिसके लिए विवाह के पक्षकारों में से किसी एक द्वारा स्वयं की आधार संख्या प्रविष्ट करना आवश्यक होगा। आधार संख्या से संबद्ध मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु प्रविष्ट करना होगा। पंजीकरणकर्ता हेतु आधार संख्या भविष्य की समस्त प्रक्रियाओं के लिए उपयोगकर्ता पहचान संख्या होगी।

(ग) ज्ञापन के प्रस्तुतीकरण हेतु, विवाह के पक्षकारों में से एक को आधार संख्या के माध्यम से लॉग इन करना आवश्यक होगा जिसे उपरोक्त खंड (ख) में उल्लिखित प्रक्रिया के पश्चात प्रत्येक बॉर सत्यापित किया जाएगा।

(घ) वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप इस प्रकार परिकल्पित किया जाएगा कि लॉग इन करने के पश्चात् पंजीकरणकर्ताओं को क्रमशः अपेक्षित सूचना की प्रविष्टि अथवा विकल्पों की सूची से किसी एक का चयन करने अथवा संबंधित अभिलेख की प्रति अपलोड करने हेतु मार्गदर्शित किया जा सके। लॉग–इन करने से पूर्व, पंजीकरणकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे नियम 9 के उपनियमों (2) से (7) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना सहज उपलब्ध रखें ताकि ज्ञापन का प्रस्तुतीकरण सुचारू रूप से हो सके।

(ङ) यदि विवाह के पक्षकारों में से एक विदेशी नागरिक है, तो विदेशी नागरिक को आधार कार्ड निर्गमित होने तक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

(10) विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन के ऑफ़लाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया– विवाह के ऑफलाइन पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु पंजीकरणकर्ताओं द्वारा प्रपत्र–1 में आवश्यक सहायक अभिलेखों के साथ ज्ञापन को, उस उप–निबंधक के समक्ष जिसके अधिकारिता क्षेत्र में विवाह स्थल या पति–पत्नी का वर्तमान अथवा स्थायी पता स्थित है, व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरणकर्ता अधिकारिता–प्राप्त उप–निबंधक के संबंध में सूचना हेतु संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल अर्थात www.ucc.uk.gov.in पर जा सकते हैं या मोबाइल ऐप के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

(11) विवाह पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु शुल्क–

(क) यदि विवाह पंजीकरण हेतु ज्ञापन को नियम 8 (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, तो इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित शुल्क प्रभारित किया जाएगा। यह शुल्क ऑफलाइन पंजीकरण हेतु नकद में या ऑनलाइन पंजीकरण के लिए डिजिटल माध्यमों द्वारा संदत्त किया जा सकता है। ऑफलाइन पंजीकरणकर्ताओं को अनुलग्नक–6 में चालान भरकर किसी भी वाणिज्यिक बैंक में शुल्क जमा करना होगा एवं चालान की रसीद प्राप्त करनी होगी। डिजिटल भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड, या यूपीआई विकल्पों के माध्यम से किया जा सकता है।

(ख) यदि पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन नियम 8 (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, तो इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित शुल्क प्रभारित किया जाएगा। यह शुल्क ऑफलाइन पंजीकरण हेतु नकद में या ऑनलाइन पंजीकरण के लिए डिजिटल माध्यमों द्वारा संदत्त किया जा सकता है। ऑफलाइन पंजीकरणकर्ताओं को अनुलग्नक–6 में चालान भरकर किसी भी वाणिज्यिक बैंक में शुल्क जमा करना होगा एवं चालान की रसीद प्राप्त करनी होगी। डिजिटल भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड, या यूपीआई विकल्पों के माध्यम से किया जा सकता है।

(ग) यदि ज्ञापन नियम 8 (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, तो उपरोक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित विलम्ब शुल्क प्रभार्य होगा।

(घ) तत्काल सेवा – यदि पंजीकरणकर्ता अपने विवाह के पंजीकरण अथवा पूर्व पंजीकृत विवाह की तत्काल अभिस्वीकृति हेतु इच्छुक हैं, तो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित शुल्क देय होगा और पंजीकरण/अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र ज्ञापन की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर निर्गत किया जाएगा, जो संक्षिप्त जांच के परिणाम के अधीन होगा।

10. विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति का पंजीकरण

(1) सामान्य प्रावधान– विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति में एक या दोनों पक्षकार इस नियम में निहित उपबंधों के अनुसार आज्ञप्ति का पंजीकरण करवा सकते हैं। यदि इस संदर्भ में की गई संक्षिप्त जांच के निष्कर्ष के अनुसार पंजीकरणकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं कथन सही पाए जाते हैं, तो आज्ञप्ति की अभिस्वीकृति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

(2) पंजीकरण के प्रयोजनार्थ विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति का वर्गीकरण– विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की अंतिम आज्ञप्ति के दिनांक और विवाह–विच्छेद या अकृतता की आज्ञप्ति पारित करने वाले न्यायालय के स्थान के आधार पर संहिता की धारा 8 और 9 निम्नलिखित विधि द्वारा आज्ञप्तियों को वर्गीकृत करती है –

(क) राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी भी न्यायालय द्वारा संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व पारित विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति।

(ख) राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी भी न्यायालय द्वारा संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात् पारित विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति।

(3) **विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन में सम्मिलित की जाने वाली सूचना–** नियम 10 के उपनियम (2) में उल्लिखित किसी भी वर्ग की आज्ञप्ति पर विचार किये बिना, पंजीकरणकर्ताओं को निम्नलिखित सूचना प्रदान करनी होगी –

(क) विवाह पंजीकरण/अभिस्वीकृति संख्या – विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति से संबंधित पंजीकरण संख्या:

परंतु यह कि, यदि संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति पारित हो जाती है अथवा विवाह शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति से संबंधित पंजीकरण संख्या की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) विवाह –विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु आवेदक पक्षकार – पत्नी या पति संयुक्त रूप से, पत्नी या पति अकेले;

(ग) आज्ञप्ति की प्रकृति – विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति;

(घ) अंतिम आज्ञप्ति से संबंधित सूचना – उत्तराखण्ड राज्य में या उसके बाहर स्थित आज्ञप्ति निर्णीत करने वाले न्यायालय, न्यायालय का नाम एवं पता, सीएनआर संख्या, यदि उपलब्ध हो या केस संख्या और वर्ष;

(ङ) मूल केस का विवरण – पारिवारिक न्यायालय में या पारिवारिक न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र का प्रयोग करने वाले किसी अन्य न्यायालय में योजित याचिका की मूल केस संख्या और सीएनआर संख्या, यदि उपलब्ध हो;

(च) आज्ञप्ति का दिनांक – वह दिनांक जिस दिन विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति पारित की गयी;

(छ) उच्च न्यायालय में योजित अपील या याचिका की संदर्भ संख्या –केस संख्या, सीएनआर संख्या एवं डायरी संख्या, यदि उच्च न्यायालय में अपील या याचिका योजित की गई थी;

(ज) सर्वोच्च न्यायालय में योजित अपील या याचिका का संदर्भ संख्या – केस संख्या और डायरी संख्या, यदि सर्वोच्च न्यायालय में अपील या याचिका योजित की गई हो;

(झ) आज्ञप्ति के अंतिम होने का दिनांक – वह दिनांक जब आज्ञप्ति अंतिम हो गई, अर्थात् अपील योजित करने की अनुमत अवधि समाप्त होने का दिनांक या अंतिम आदेश का दिनांक जिसके विरुद्ध अपील का अधिकार नहीं है;

(ञ) स्व–घोषणा – अनुलग्नक–17 में एक स्व–घोषणा, जिसमें यह पुष्टि हो कि आज्ञप्ति अंतिम हो चुकी है क्योंकि या तो यह अपील योग्य नहीं है या आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील योजित करने की समय–सीमा समाप्त हो चुकी है;

(ट) अधिकारिता प्राप्त उप–निबंधक – उप–निबंधक, जिसके अधिकारिता क्षेत्र के भीतर विवाह स्थल/जीवनसाथी(पति–पत्नी) के वर्तमान पते/जीवनसाथी के स्थायी पते स्थित हैं या वह उप–निबंधक जिसने विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत किया था;

(ठ) बच्चों का विवरण, यदि कोई हो – विवाह से पूर्व एक या दोनों पंजीकरणकर्ताओं के या विवाह का दिनांक एवं विवाह–विच्छेद का दिनांक के मध्य दंपत्ति के बच्चों का नाम, लिंग, जन्म का दिनांक; तथा

(ड) सहायक अभिलेख– उपरोक्त खंडों (क) से (ठ) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली सूचना के समर्थन हेतु निम्नलिखित अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध/अपलोड की जानी आवश्यक हैं –

(i) विवाह –विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति का प्रमाण – विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति और आज्ञप्ति की विधिवत सत्यापित प्रति;

(ii) विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति की अंतिमता का प्रमाण – यदि आज्ञप्ति /आदेश के विरुद्ध अपील योजित की गई है, तो यथास्थिति अपीलीय न्यायालय या अंतिम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश;

(iii) रूढ़िगत विधि के अधीन विवाह विघटन का प्रमाण – यदि संहिता के प्रारम्भ होने से पूर्व रूढ़िगत विधि के अधीन विवाह का विघटन हुआ था, तो ऐसे विवाह विघटन का प्रमाण;

(iv) बच्चों का प्रमाण – बच्चों के जन्म/दत्तक–ग्रहण का प्रमाणपत्र।

(4) विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया– विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति का पंजीकरण कराने के इच्छुक पक्षकार ऑनलाइन प्रक्रिया या ऑफलाइन प्रक्रिया में से किसी एक के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।

(5) विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया– विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन स्वयं अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किसी भी एजेंसी/एजेंसियों की सहायता से प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसके सापेक्ष एजेंसी/एजेंसियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क प्रभारित कर सकती हैं। दोनों ही स्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा –

(क) संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल www.ucc.uk.gov.in पर जाएं एवं वहां विहित प्रक्रिया का क्रमशः पालन करें या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें एवं उसमें विहित प्रक्रिया का क्रमशः पालन करें।

(ख) विवाह–विच्छेद एवं विवाह अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु प्रथम चरण में एक बार साइन–अप करना होगा, जिसके लिए आज्ञप्ति के पक्षकारों में से किसी एक द्वारा स्वयं की आधार संख्या प्रविष्ट करना आवश्यक होगा। आधार संख्या से संबद्ध मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु प्रविष्ट करना होगा। पंजीकरणकर्ता हेतु आधार संख्या भविष्य की समस्त प्रक्रियाओं के लिए उपयोगकर्ता पहचान संख्या होगी।

(ग) ज्ञापन के प्रस्तुतीकरण हेतु, आज्ञप्ति के पक्षकारों में से एक को आधार संख्या के माध्यम से लॉग–इन करना आवश्यक होगा जिसे उपरोक्त खंड (ख) में उल्लिखित प्रक्रिया के पश्चात् प्रत्येक बार सत्यापित किया जाएगा।

(घ) वेब–पोर्टल / मोबाइल ऐप इस प्रकार परिकल्पित किया जाएगा कि लॉग इन करने के पश्चात् पंजीकरणकर्ताओं को क्रमशः अपेक्षित सूचना की प्रविष्टि अथवा विकल्पों की सूची से किसी एक का चयन करने अथवा संबंधित अभिलेख की प्रति अपलोड करने हेतु मार्गदर्शित किया जा सके। लॉग–इन करने से पूर्व, पंजीकरणकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे नियम 10 के उपनियम (2) एवं (3) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना सहज उपलब्ध रखें ताकि ज्ञापन का प्रस्तुतीकरण सुचारू रूप से हो सके।

(6) **विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन के ऑफलाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया–** विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के ऑफलाइन पंजीकरण हेतु पंजीकरणकर्ताओं द्वारा प्रपत्र–2 में विहित प्रारूप के अनुसार, आवश्यक सहायक अभिलेखों के साथ ज्ञापन को, उस उप–निबंधक के समक्ष जिसके अधिकारिता क्षेत्र में विवाह स्थल या पति–पत्नी का वर्तमान अथवा स्थायी पता स्थित है, व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरणकर्ता अधिकारिता–प्राप्त उप–निबंधक के संबंध में सूचना हेतु संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल अर्थात www.ucc.uk.gov.in पर जा सकते हैं या मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

(7) **विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु शुल्क –**

(क) यदि विवाह–विच्छेद एवं विवाह अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन को नियम8 (2) के खण्ड (क) के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, तो इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित शुल्क प्रभारित किया जाएगा। यह शुल्क ऑफलाइन पंजीकरण हेतु नकद में या ऑनलाइन पंजीकरण के लिए डिजिटल माध्यमों द्वारा संदत्त किया जा सकता है। ऑफलाइन पंजीकरणकर्ताओं को अनुलग्नक–6 में चालान भरकर किसी भी वाणिज्यिक बैंक में शुल्क जमा करना होगा एवं चालान की रसीद प्राप्त करनी होगी। डिजिटल भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड, या यूपीआई विकल्पों के माध्यम से किया जा सकता है।

(ख) यदि ज्ञापन नियम 8 (2) के खण्ड (क) के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित शुल्क तथा अतिरिक्त विलम्ब शुल्क प्रभार्य होगा।

11. पंजीकरणकर्ता के अधिकार

(1) उप–निबंधक/निबंधक की निष्क्रियता के विरुद्ध शिकायत–

(क) अनुलग्नक–16 में यह सूचना प्राप्त होने पर कि उप–निबंधक की ओर से निष्क्रियता के कारण विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन संक्षिप्त जांच के प्रयोजनार्थ निबंधक को अग्रसारित किया गया है, पंजीकरणकर्ता निबंधक के समक्ष संबंधित उप–निबंधक के विरुद्ध औपचारिक रूप से शिकायत प्रस्तुत करने के पात्र होंगे।

(ख) अनुलग्नक–16 में यह सूचना प्राप्त होने पर कि निबंधक की ओर से निष्क्रियता के कारण विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन संक्षिप्त जांच के प्रयोजनार्थ महानिबंधक को अग्रसारित किया गया है, पंजीकरणकर्ता महानिबंधक के समक्ष संबंधित निबंधक के विरुद्ध औपचारिक रूप से शिकायत प्रस्तुत करने के पात्र होंगे।

(ग) उपरोक्त खंड (क) या खंड (ख) के अंतर्गत, पंजीकरणकर्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

(i) शिकायतकर्ता पंजीकरणकर्ता को संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर जाना होगा तथा विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन की आवेदन संख्या प्रदान करनी होगी;

(ii) पोर्टल यह सत्यापित करेगा कि क्या ऐसी निष्क्रियता अभिलिखित की गई है एवं क्या ज्ञापन को संक्षिप्त जांच के प्रयोजनार्थ यथास्थिति निबंधक या महानिबंधक को अग्रसारित किया गया है; तथा

(iii) एक बार कथित निष्क्रियता सत्यापित हो जाने पर, शिकायतकर्ता पंजीकरणकर्ताओं को टेक्स्ट बॉक्स में उप–निबंधक या निबंधक के विरुद्ध अपनी शिकायत प्रविष्ट करने तथा उसे प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(2) अपील योजित करना–

(क) **उप–निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील–** पंजीकरणकर्ता उप–निबंधक द्वारा विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन को अस्वीकृत करने वाले आदेश के विरुद्ध, ऐसे अस्वीकृति आदेश की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर निबंधक के समक्ष अपील कर सकता है, जिसे संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर जाकर किया जा सकता है। अपील योजित करने की प्रक्रिया क्रमशः निम्नानुसार है –

(i) पंजीकरणकर्ता को, उप–निबंधक द्वारा अस्वीकृत किए गए विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु प्रस्तुत ज्ञापन की आवेदन संख्या, अस्वीकृति आदेश की एक प्रति के साथ वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर प्रदान करनी होगी;

(ii) इसके पश्चात् पंजीकरणकर्ताओं को अपने मामले के समर्थन में अतिरिक्त अभिलेख अपलोड करने का विकल्प प्राप्त होगा;

(iii) अभिलेख, यदि कोई हो, अपलोड करने के पश्चात्, पंजीकरणकर्ता टेक्स्ट बॉक्स में अपील हेतु आधार प्रविष्ट कर सकता है एवं उसे प्रस्तुत कर सकता है।

(ख) **निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील–** पंजीकरणकर्ता निबंधक द्वारा विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन की अस्वीकृत करने वाले आदेश के विरुद्ध, ऐसे अस्वीकृति आदेश की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर महानिबंधक के समक्ष अपील कर सकता है। उपरोक्त को संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर जाकर किया जा सकता है। अपील योजित करने की प्रक्रिया क्रमशः निम्नानुसार है –

(i) पंजीकरणकर्ता को, निबंधक द्वारा अस्वीकृत किए गए विवाह के पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए ज्ञापन की आवेदन संख्या, अस्वीकृति आदेश की एक प्रति के साथ वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर प्रदान करनी होगी;

(ii) पंजीकरणकर्ता को उस अपील की अपील संख्या भी उपलब्ध करानी होगी जिसे निबंधक द्वारा अस्वीकृत किया गया था, साथ ही निबंधक द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश की विधिवत् प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध करानी होगी;

(iii) इसके पश्चात् पंजीकरणकर्ताओं को अपने मामले के समर्थन में अतिरिक्त अभिलेख अपलोड करने का विकल्प प्राप्त होगा;

(iv) अभिलेख, यदि कोई हो, अपलोड करने के पश्चात्, पंजीकरणकर्ता टेक्स्ट बॉक्स में अपील हेतु आधार प्रविष्ट कर सकता है एवं उसे प्रस्तुत कर सकता है।

अध्याय– 4

इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार

12. इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी उत्तराधिकार

(1) **इच्छापत्र रहित मृतक की संपदा का वितरण** – इच्छापत्र रहित मृतक की संपदा **संहिता की धारा 49 से** 60 में निहित प्रावधानों के अनुसार न्यायगत होगी।

(2) **विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा** – कोई भी व्यक्ति, जो अवयस्क नहीं है और विकृत चित्त का नहीं है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करके अपने विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों के संबंध में घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के पंजीकरण हेतु आवेदन संबंधित उप–निबंधक के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के आवेदन में नियम 12 के उपनियम (1) में उल्लिखित वर्गीकरण के अनुसार विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का विवरण शामिल होगा एवं यह वर्णित किया जाएगा कि उक्त व्यक्ति का कोई विधिक उत्तराधिकारी नहीं है। उप–निबंधक द्वारा विधिक उत्तराधिकारी की घोषणा के संबंध में निर्गत प्रमाणपत्र मात्र इस बात का प्रमाण होगा कि घोषणाकर्ता द्वारा उसके विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों के संबंध में घोषणा की गई थी।

(3) **विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा में सम्मिलित की जाने वाली सूचना** – घोषणाकर्ता से अपने विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु निम्नलिखित सूचना अपेक्षित होगी –

(क) घोषणाकर्ता का प्रकार –

(i) उत्तराखण्ड का निवासी; या

(ii) भारतीय नागरिक जो उत्तराखण्ड का निवासी नहीं है, किन्तु उत्तराखण्ड के क्षेत्रान्र्गत उसकी संपदा है; या

(iii) विदेशी नागरिक जिसके पास उत्तराखण्ड के क्षेत्रान्र्गत संपदा है।

(ख) घोषणाकर्ता का विवरण – आधार संख्या; नाम; जन्म की दिनांक; राष्ट्रीयता; धर्म; श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य); फोन नंबर; ईमेल आईडी; वर्तमान एवं स्थायी पता; निवास का प्रमाण (जहाँ लागू हो);

(ग) अधिकारिता प्राप्त उप–निबंधक – उप–निबंधक, जो घोषणाकर्ता के वर्तमान या स्थायी पते के स्थान या जहां उसकी संपत्ति स्थित है, पर क्षेत्राधिकार रखता है।

(घ) विधिक उत्तराधिकारी का विवरण – आधार संख्या; नाम; जन्म की दिनांक; लिंग; राष्ट्रीयता; धर्म; फोन नंबर; ईमेल आईडी; वर्तमान एवं स्थायी पता, तथा घोषणाकर्ता के साथ विधिक उत्तराधिकारियों का संबंध।

(ङ) साक्षियों का विवरण – दो साक्षियों के आधार संख्या; नाम; पते एवं फोन नंबर, जो यह प्रमाणित करेंगे कि घोषणाकर्ता स्वेच्छा से घोषणा कर रहा/रही है।

(च) सहायक अभिलेख–उपरोक्त खंड (क) से (ङ) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली सूचना के समर्थन हेतु निम्नलिखित अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध/अपलोड की जानी आवश्यक हैं –

(i) आयु का प्रमाण – जन्म प्रमाणपत्र या पैन कार्ड या पासपोर्ट या स्थानांतरण/विद्यालय छोड़ने/मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, सार्वजनिक जीवन बीमा निगम/कंपनियों द्वारा निर्गत पॉलिसी बॉन्ड जिसमें बीमाधारक की जन्मतिथि दर्ज हो, या आवेदक की सेवा पंजिका की प्रति (केवल सरकारी सेवकों के संदर्भ में), या पेंशन आदेश (सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संदर्भ में), जिसे आवेदक के संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासन अधिकारी/प्रभारी द्वारा विधिवत सत्यापित/प्रमाणित किया गया हो, या मतदाता फोटो पहचान पत्र, या चालन अनुज्ञप्ति;

(ii) निवास का प्रमाण – निम्नलिखित में से कोई एक –

(क) मूल निवास प्रमाणपत्र या स्थायी निवास प्रमाणपत्र;

(ख) यदि निवासी केंद्र/राज्य सरकार या उनके उपक्रमों/संस्थाओं का कर्मचारी होने का दावा करता है तो नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र अथवा रोजगार का अन्य अभिलेखीय साक्ष्य;

(ग) एक वर्ष या उससे अधिक समय से उत्तराखण्ड में अधिवास का दावा करने वाले निवासियों हेतु, कम से कम एक वर्ष पुराना विद्युत/जल बिल या पासपोर्ट या किराया अनुबंध के सुसंगत उद्धरण के साथ कम से कम एक वर्ष पुराना किरायेदार सत्यापन प्रमाण पत्र; अथवा

(घ) राज्य में क्रियान्वित राज्य/केन्द्र सरकार प्रायोजित योजना के लाभार्थी होने का दावा करने वाले निवासियों हेतु, लाभार्थी कार्ड या लाभार्थी संख्या या दावे का समर्थन करने वाला केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोई अन्य विधिमान्य अभिलेख;

(iii) संबंध का प्रमाण –

(क) पति/पत्नी के मामले में – विवाह प्रमाणपत्र की प्रति या संबंध का कोई अन्य अभिलेखीय साक्ष्य;

(ख) बच्चों के मामले में – जन्म प्रमाणपत्र/दत्तक ग्रहण प्रमाणपत्र की प्रति या संबंध का कोई अन्य अभिलेखीय साक्ष्य;

(ग) पौत्र/पौत्री के मामले में – मृतक संतान (जो पौत्र/पौत्री का माता–पिता था) का मृत्यु प्रमाणपत्र और पौत्र/पौत्री का जन्म प्रमाणपत्र/दत्तक ग्रहण प्रमाणपत्र या संबंध का कोई अन्य अभिलेखीय साक्ष्य;

(घ) प्रपौत्र/प्रपौत्री के मामले में – मृतक पौत्र/पौत्री एवं बच्चे (जो क्रमशः प्रपौत्र/प्रपौत्री के दादा–दादी एवं माता–पिता थे) का मृत्यु प्रमाणपत्र और प्रपौत्र/प्रपौत्री का जन्म प्रमाणपत्र/दत्तक ग्रहण प्रमाणपत्र या संबंध का कोई अन्य अभिलेखीय साक्ष्य;

(ङ) माता–पिता के मामले में – घोषणाकर्ता के पासपोर्ट की प्रति या संबंध का कोई अन्य अभिलेखीय साक्ष्य;

(च) मृतक पुत्र की विधवा के मामले में – मृतक पुत्र का मृत्यु प्रमाणपत्र और मृतक पुत्र एवं उसकी विधवा के मध्य विवाह प्रमाणपत्र की प्रति या संबंध का कोई अन्य अभिलेखीय साक्ष्य;

(छ) मृतक पौत्र की विधवा के मामले में – मृतक पौत्र और मृतक पुत्र का मृत्यु प्रमाणपत्र और मृतक पौत्र और उसकी विधवा के मध्य विवाह प्रमाणपत्र की प्रति या संबंध का कोई अन्य अभिलेखीय साक्ष्य;

(ज) दादा–दादी, भाई–बहन, माता–पिता के भाई–बहन, भतीजे व भतीजी, भाई की विधवा के मामले में – संबंध का कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य।

(झ) फोटो –

(i) घोषणाकर्ता का; और

(ii) विधिक उत्तराधिकारियों का।

(4) यदि घोषणाकर्ता विदेशी नागरिक है तो घोषणा में सम्मिलित की जाने वाली अतिरिक्त सूचना–

(क) विदेशी नागरिक के मूल देश का पता।

(ख) उपलब्ध/अपलोड किये जाने वाले अभिलेख– पासपोर्ट के उद्धरण एवं उत्तराखंड में स्थित संपदा के स्वामित्व का प्रमाण।

(5) विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया – अपने विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा करने के इच्छुक घोषणाकर्ता ऐसा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हैं।

(6) **विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया–** घोषणाकर्ता अपने विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा स्वयं अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किसी भी एजेंसी/एजेंसियों की सहायता से प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसके सापेक्ष एजेंसी/एजेंसियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क प्रभारित कर सकती हैं। दोनों ही स्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा –

(क) संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल www.ucc.uk.gov.in पर जाएं एवं वहां विहित प्रक्रिया का क्रमशः पालन करें या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें एवं उसमें विहित प्रक्रिया का क्रमशः पालन करें।

(ख) विधिक उत्तराधिकारियों की ऑनलाइन घोषणा हेतु प्रथम चरण में एक बार साइन–अप करना होगा, जिसके लिए घोषणाकर्ता द्वारा स्वयं की आधार संख्या प्रविष्ट करना आवश्यक होगा। आधार संख्या से संबद्ध मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु प्रविष्ट करना होगा। घोषणाकर्ता हेतु आधार संख्या भविष्य की समस्त प्रक्रियाओं के लिए उपयोगकर्ता पहचान संख्या होगी।

(ग) विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा के प्रस्तुतीकरण हेतु, घोषणाकर्ता को आधार संख्या के माध्यम से लॉग–इन करना आवश्यक होगा जिसे उपरोक्त खंड (ख) में उल्लिखित प्रक्रिया के पश्चात् प्रत्येक बार सत्यापित किया जाएगा।

(घ) वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप इस प्रकार परिकल्पित किया जाएगा कि लॉग इन करने के पश्चात् घोषणाकर्ता को क्रमशः अपेक्षित सूचना की प्रविष्टि अथवा विकल्पों की सूची से किसी एक का चयन करने अथवा संबंधित अभिलेख की प्रति अपलोड करने हेतु मार्गदर्शित किया जा सके। लॉग–इन करने से पूर्व, घोषणाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे नियम 12 के उपनियम (3) एवं (4) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना सहज उपलब्ध रखें ताकि विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा का प्रस्तुतीकरण सुचारू रूप से हो सके।

(ङ) साक्षी के परिसाक्ष्य अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात, उपरोक्त नियम 12 के उपनियम (3) एवं (4) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, प्रत्येक साक्षी को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पड़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

(च) घोषणकर्ता के घोषणा अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् नियम 12 के उपनियम (3) एवं (4) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, प्रत्येक घोषणकर्ता को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। घोषणा का प्रारूप इस प्रकार है:

"मैं, एतद्द्वारा, ——————— (विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का नाम) को अपना विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारी घोषित करता/करती हूं। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है एवं मैं स्वस्थचित्त हूँ। यह घोषणा मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं स्वेच्छा से की है। मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव या दबाव नहीं डाला गया है।"

(7) **विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु शुल्क** – विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित शुल्क प्रभारित किया जाएगा। शुल्क का डिजिटल भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, या यूपीआई विकल्पों के माध्यम से किया जा सकता है।

13. घोषणकर्ता के कर्तव्य

(1) **अतिरिक्त सूचना का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण** – यदि उप–निबंधक/निबंधक/महानिबंधक अतिरिक्त सूचना मांगते हैं या कोई स्पष्टीकरण उनके द्वारा वांछनीय है, तो घोषणकर्ता को उपर्युक्त अधिकारियों में से किसी एक द्वारा इस संबंध में संसूचना प्राप्त होने के दिनांक से पांच दिनों के भीतर इसे प्रस्तुत/स्पष्ट करना होगा।

(2) **सूचना अद्यतन करना**–

(क) यदि विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा के पंजीकरण के पश्चात् घोषणकर्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी सूचना में कोई परिवर्तन होता है, जिसमें घोषणकर्ता अथवा विधिक उत्तराधिकारियों के पते/फोन नंबर/ईमेल/धर्म में कोई परिवर्तन सम्मिलित है, तो यह घोषणकर्ता का कर्तव्य है कि ऐसे परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर सूचना ऑनलाइन अद्यतित करे।

(ख) विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा के पंजीकरण के पश्चात् यदि किसी विधिक उत्तराधिकारियों का जन्म या मृत्यु होती है, तो यह घोषणकर्ता का कर्तव्य है कि वे नियम 13 के उपनियम (1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस सूचना को अद्यतित करें।

14. इच्छापत्रीय उत्तराधिकार

(1) इच्छापत्र/क्रोडपत्र संबंधी संविधिक प्रावधान

(क) **इच्छापत्र/क्रोडपत्र का सृजन, परिवर्तन, प्रतिसंहरण, निष्पादन एवं पुनः प्रवर्तन** – एक व्यक्ति जो संहिता के भाग 2 के अध्याय 2 के अंतर्गत इच्छापत्र करने हेतु सक्षम है, अपने इच्छापत्र/क्रोडपत्र का सृजन, परिवर्तन, प्रतिसंहरण या पुनः प्रवर्तन कर सकता है। इच्छापत्र के अंतर्गत एक निष्पादक, इच्छापत्रकर्ता के इच्छापत्र का निष्पादन संहिता के भाग 2 में निर्धारित उपबंधों के अनुसार कर सकता है।

(ख) **इच्छापत्र/क्रोडपत्र के पंजीकरण एवं इच्छापत्र/क्रोडपत्र के प्रतिसंहरण/पुनः प्रवर्तन संबंधी कथन के पंजीकरण हेतु वैधानिक प्रावधान**– वर्तमान में लागू किसी भी नियमावली में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, इच्छापत्र/क्रोडपत्र के पंजीकरण एवं इच्छापत्र/क्रोडपत्र के प्रतिसंहरण/ पुनः प्रवर्तन संबंधी कथन

का पंजीकरण रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 16) और इस नियमावली के अध्याय–4 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(ग) **अध्याय–4 हेतु रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक/निबंधक/उप–निबंधक**– रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 3 या 6 के अधीन यथास्थिति नियुक्त रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, रजिस्ट्रार एवं उप–रजिस्ट्रार, इच्छापत्र/क्रोडपत्र के पंजीकरण एवं इच्छापत्र/क्रोडपत्र के प्रतिसंहरण/ पुनः प्रवर्तन संबंधी कथन के पंजीकरण से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(2) इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख का पंजीकरण

(क) **इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के पंजीकरणकर्ता** – इच्छापत्रकर्ता या वह व्यक्ति जिसे इच्छापत्र/क्रोडपत्र पंजीकृत करने हेतु अधिकृत किया गया है, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया द्वारा इसे पंजीकृत कर सकता है। पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र को प्रतिसंहृत करने संबंधी कथन, पूर्व प्रतिसंहृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र के पुनः प्रवर्तन हेतु कथन, पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र को अपनी अंतिम इच्छापत्र/क्रोडपत्र के रूप में घोषित करने संबंधी कथन, अथवा पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र प्रतिसंहरण/ पुनःप्रवर्तन संबंधी कथन को अपनी अंतिम घोषणा के रूप में पंजीकृत एकमात्र इच्छापत्रकर्ता द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

(ख) **पंजीकरण हेतु इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया** –इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख बनाने में सक्षम एवं इसे पंजीकृत करने के इच्छुक इच्छापत्रकर्ता अथवा इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख पंजीकृत करने का हकदार कोई भी अधिकृत व्यक्ति इसे स्वयं अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किसी भी एजेंसी/एजेंसियों की सहायता से प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसके लिए एजेंसी/एजेंसियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क प्रभारित कर सकती हैं। दोनों ही स्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा–

(i) संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल www.ucc.uk.gov.in पर जाएं एवं वहां विहित प्रक्रिया का क्रमशः पालन करें या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें एवं उसमें विहित प्रक्रिया का क्रमशः पालन करें।

(ii) इच्छापत्र के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु प्रथम चरण में एक बार साइन–अप करना होगा, जिसके लिए इच्छापत्र पंजीकृत करने हेतु हकदार व्यक्ति को स्वयं की आधार संख्या प्रविष्ट करनी होगी। आधार संख्या से संबद्ध मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु प्रविष्ट करना होगा। भविष्य की समस्त प्रक्रियाओं के लिए, आधार संख्या इच्छापत्र/क्रोडपत्र पंजीकृत करने हेतु हकदार व्यक्ति हेतु उपयोगकर्ता पहचान संख्या होगी।

(iii) इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु, पंजीकरण अधिकृत व्यक्ति को आधार संख्या के माध्यम से लॉग–इन करना आवश्यक होगा जिसे उपरोक्त खंड (ii) में उल्लिखित प्रक्रिया के पश्चात् प्रत्येक बार सत्यापित किया जाएगा।

(iv) वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप इस प्रकार परिकल्पित किया जाएगा कि लॉग इन करने के पश्चात् इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख पंजीकृत करने हेतु हकदार व्यक्ति को क्रमशः अपेक्षित सूचना की

प्रविष्टि अथवा विकल्पों की सूची से किसी एक का चयन करने अथवा संबंधित अभिलेख की प्रति अपलोड करने हेतु मार्गदर्शित किया जा सके। लॉग–इन करने से पूर्व, इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख पंजीकृत करने हेतु हकदार व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वे नियम 14 (2) के खण्ड (च) से (ड) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना सहज उपलब्ध रखें ताकि पंजीकरण का प्रस्तुतीकरण सुचारू रूप से हो सके।

(ग) **इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के पंजीकरण हेतु शुल्क** –इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित शुल्क का डिजिटल भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, या यूपीआई विकल्पों के माध्यम से किया जा सकता है।

(घ) **इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख पंजीकरण की रीति** – इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख पंजीकृत करने का हकदार व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी एक रीति द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है –

(i) संहिता, के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर उपलब्ध विस्तृत प्रपत्र को भरकर।

(ii) हस्तलिखित या टंकित इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करके।

(iii) संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख की विषय–वस्तु का उल्लेख करते हुए अधिकतम तीन मिनट की अवधि का स्वयं का वीडियो रिकॉर्ड एवं अपलोड करके।

(ड) **उपरोक्त नियम 14 (2) के** खण्ड (घ) **(i) के अंतर्गत इच्छापत्र पंजीकरण हेतु अपेक्षित सूचना**–

(i) इच्छापत्रकर्ता का विवरण – आधार संख्या; नाम; जन्म की दिनांक; राष्ट्रीयता; धर्म; श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य); लिंग; आधार से संबद्ध मोबाइल नंबर; वैकल्पिक मोबाइल नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक); वर्तमान एवं स्थायी पता; निवास का प्रमाण एवं पैन संख्या;

(ii) इच्छापत्रकर्ता के माता–पिता/विधिक अभिभावक का नाम;

(iii) इच्छापत्रकर्ता का व्यवसाय – सरकारी सेवा; निजी क्षेत्र की सेवा; कृषि कार्य; व्यापार; स्व–रोजगार या कोई अन्य व्यवसाय;

(iv) निष्पादक का विवरण, यदि कोई हो – आधार संख्या; नाम; माता–पिता/विधिक अभिभावक का नाम; जन्म की दिनांक; राष्ट्रीयता; धर्म; श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य); लिंग; निष्पादक के आधार से संबद्ध मोबाइल नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक); वर्तमान एवं स्थायी पता, तथा इच्छापत्रकर्ता के साथ निष्पादक का संबंध;

(v) इच्छापत्रदारों का प्रकार – व्यक्ति; ट्रस्ट; गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ); गैर–लाभकारी कंपनी; संस्थान/निकाय या अन्य;

(vi) इच्छापत्रदारों का विवरण उसके प्रकार के अनुसार – इच्छापत्रकर्ता भिन्न प्रकार के अथवा समान प्रकार के एक से अधिक इच्छापत्रदारों को सम्मिलित कर सकता है। विभिन्न प्रकार के इच्छापत्रदारों हेतु निम्नलिखित विवरण आवश्यक हैं –

(क) व्यक्ति – आधार संख्या (वैकल्पिक); नाम; माता–पिता/विधिक अभिभावक का नाम; जन्म का दिनांक; राष्ट्रीयता; धर्म; श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य); लिंग; मोबाइल नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक); वर्तमान एवं स्थायी पता; इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध। इच्छापत्रकर्ता एक से अधिक व्यक्ति को सम्मिलित कर सकता है;

(ख) ट्रस्ट – ट्रस्ट का नाम; ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या; ट्रस्ट के अध्यक्ष का नाम; ट्रस्ट का पंजीकृत पता और ट्रस्ट की संपर्क संख्या। इच्छापत्रकर्ता एक से अधिक ट्रस्ट को सम्मिलित कर सकता है;

(ग) गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) – DARPAN के अनुसार एनजीओ की विशिष्ट पहचान संख्या; एनजीओ का नाम; एनजीओ के अध्यक्ष का नाम; एनजीओ का पंजीकृत पता और एनजीओ की संपर्क संख्या। इच्छापत्रकर्ता एक से अधिक एनजीओ सम्मिलित कर सकता है;

(घ) गैर–लाभकारी कंपनी – कंपनी की सीआईएन संख्या/पंजीकरण संख्या; कंपनी का नाम; कंपनी के निदेशकों के नाम; कंपनी का पंजीकृत पता और कंपनी की संपर्क संख्या। इच्छापत्रकर्ता एक से अधिक गैर–लाभकारी कंपनी को सम्मिलित कर सकता है;

(ङ) संस्थान/निकाय – संस्थान/निकाय का नाम; संस्थान/निकाय की पंजीकरण संख्या (यदि उपलब्ध हो); संस्थान/निकाय के प्रमुख का नाम; संस्थान/निकाय का वर्तमान पता और संपर्क संख्या। इच्छापत्रकर्ता एक से अधिक संस्थान/निकाय को सम्मिलित कर सकता है;

(च) अन्य – यदि इच्छापत्रदार उपर्युक्त उपखंडों (क), (ख), (ग), (घ) या (ङ) के अंतर्गत नहीं आता है, तो इच्छापत्रकर्ता उस अन्य इच्छापत्रदार का विवरण प्रदान कर सकता है, जिसमें वर्तमान पते के साथ संपर्क सूचना सम्मिलित हो।

(vii) संपत्ति का प्रकार – स्थावर संपत्ति; जंगम संपत्ति या अन्य संपत्ति;

(viii) स्थावर संपत्ति का विवरण, यदि कोई हो – स्थावर संपत्ति की श्रेणी (आवासीय संपत्ति, व्यावसायिक संपत्ति, कृषि संपत्ति या अन्य संपत्ति); एवं उनका विवरण निम्नलिखित है–

(क) आवासीय संपत्ति(यां) – आवासीय संपत्ति का प्रकार (स्वतंत्र भवन, अपार्टमेंट या अन्य); स्वामित्व की स्थिति (संयुक्त स्वामित्व या व्यक्तिगत स्वामित्व); एवं संपत्ति का पता। स्वतंत्र भवन हेतु, राजस्व अभिलेख के अनुसार कुल भूमि क्षेत्र और रजिस्ट्री के अनुसार आच्छादित क्षेत्र, एवं अपार्टमेंट हेतु, अपार्टमेंट का प्रकार (स्टूडियो, 1BHK, 2BHK, 3BHK, 4BHK, 5BHK या पेंटहाउस), रजिस्ट्री के अनुसार सुपर एरिया और कारपेट एरिया, और अन्य संबंधित विवरण।

(ख) व्यावसायिक संपत्ति(याँ) – व्यावसायिक संपत्ति(यों) का प्रकार (व्यक्तिगत, स्वामित्व फर्म) एवं स्वामित्व की स्थिति (संयुक्त या व्यक्तिगत स्वामित्व) –

(i) व्यक्तिगत व्यावसायिक संपत्ति(यों) के संबंध में – व्यक्तिगत व्यावसायिक संपत्ति की श्रेणी (दुकान, कार्यालय, भवन, औद्योगिक संपत्ति या अन्य); और यदि व्यक्तिगत व्यावसायिक संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व है, तो ऐसी संपत्ति में हिस्सेदारी; राजस्व अभिलेख के अनुसार

कुल भूमि क्षेत्र; रजिस्ट्री के अनुसार आच्छादित क्षेत्र; संपत्ति का पता एवं अन्य संबंधित विवरण।

(ii) स्वत्वधारी फर्मों के संबंध में –स्वत्वधारी फर्म से संबंधित व्यावसायिक संपत्ति की श्रेणी (दुकान, कार्यालय, भवन, औद्योगिक संपत्ति या अन्य); और यदि व्यक्तिगत व्यावसायिक संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व है, तो ऐसी संपत्ति में हिस्सेदारी; राजस्व अभिलेख के अनुसार कुल भूमि क्षेत्र; रजिस्ट्री के अनुसार आच्छादित क्षेत्र; संपत्ति का पता एवं अन्य संबंधित विवरण।

(ग) कृषि संपत्ति – कृषि संपत्ति की प्रकार (कृषि फार्म या पशुपालन फार्म) एवं स्वामित्व स्थिति (संयुक्त या व्यक्तिगत स्वामित्व):

(i) कृषि फार्म – राजस्व अभिलेख के अनुसार कुल भूमि क्षेत्र; यदि कोई आवृत क्षेत्र हो; खसरा संख्या; कृषि फार्म का पता; एवं अन्य संबंधित विवरण; यदि कृषि फार्म का संयुक्त स्वामित्व है, तो फार्म में हिस्सेदारी।

(ii) पशुपालन फार्म – फार्म की श्रेणी (दुग्ध, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, मतस्य पालन, मौन पालन, एवं अन्य); पशुधन विवरण; राजस्व अभिलेख के अनुसार कुल भूमि क्षेत्र; यदि कोई आवृत क्षेत्र हो; खसरा संख्या; पशुपालन फार्म का पता; एवं अन्य संबंधित विवरण।

(घ) अन्य संपत्ति(याँ)– अन्य संपत्ति का प्रकार; स्वामित्व स्थिति (संयुक्त या व्यक्तिगत स्वामित्व); यदि संयुक्त स्वामित्व हो, तो ऐसी संपत्तियों में हिस्सेदारी; राजस्व अभिलेख के अनुसार कुल भूमि क्षेत्रं; यदि कोई आवृत क्षेत्र हो; संपत्ति का पता या अन्य संबंधित विवरण।

(ix) जंगम संपत्तियों के विवरण –शेयरों की श्रेणी (साझेदारी फर्म में हिस्सेदारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ, सीमित देयता कंपनियाँ या लिमिटेड कंपनियाँ; बैंक खाता; वाहन; आभूषण; मूल्यवान वस्तुएँ; इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; डिमैट खाता; रचनात्मक कार्यों या आविष्कारों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी; क्रिप्टोकरेंसी; बांड; पालतू पशु या अन्य); तथा उनके निम्नलिखित विवरण–

(क) साझेदारी फर्म में हिस्सेदारी – साझेदारी फर्म की पंजीकरण संख्या; साझेदारी फर्म का नाम; इच्छापत्रकर्ता द्वारा स्वामित्व वाली हिस्सेदारी; साझेदारी फर्म का पंजीकृत पता; साझेदारी फर्म की आधिकारिक संपर्क संख्या एवं अन्य संबंधित विवरण।

(ख) प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, सीमित देयता कंपनियों और लिमिटेड कंपनियों में हिस्सेदारी – इच्छापत्रकर्ता की डीआईएन संख्या; कंपनियों का प्रकार (प्राइवेट लिमिटेड, सीमित देयता और लिमिटेड); कंपनियों की पंजीकरण संख्या; कंपनियों का नाम; इच्छापत्रकर्ता द्वारा स्वामित्व वाली हिस्सेदारी; कंपनियों का पंजीकृत पता; कंपनियों के वाणिज्यिक संपर्क संख्या एवं अन्य संबंधित विवरण।

(ग) बैंक खाता – बैंक खाता का प्रकार (बचत खाता/चालू खाता/एनआरआई (अप्रवासी भारतीय) खाता/सावधि जमा खाता/जीपीएफ खाता/पीपीएफ खाता/सुकन्या समृद्धि योजना

खाता/एनएससी खाता/केवीपी खाता/आरडी खाता या अन्य); स्वामित्व स्थिति (साझा या व्यक्तिगत) एवं खाता किस बैंक/डाकघर/अन्य संस्थान के साथ है;

(i) यदि खाता बैंक में है – खाता संख्या; आईएफएससी कोड; बैंक का नाम; शाखा का नाम एवं अन्य संबंधित विवरण;

(ii) यदि खाता डाकघर में है – खाता संख्या; शाखा कोड; आईएफएससी कोड; डाकघर का नाम; शाखा का नाम एवं अन्य संबंधित विवरण; तथा

(iii) यदि खाता अन्य संस्थान के साथ है – खाता संख्या; शाखा कोड; संस्थान का नाम; शाखा का नाम एवं अन्य संबंधित विवरण।

(घ) वाहन – श्रेणी (दो पहिया, तिपहिया, चौपहिया या अन्य); वाहन का विवरण (जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि, यदि दुपहिया का चयन किया गया हो); ब्रांड नाम; वाहन का मॉडल; वाहन पंजीकरण संख्या एवं अन्य संबंधित विवरण।

(ङ) आभूषण – आभूषण का प्रकार (हार, झुमके, कंगन, अंगूठी, ब्रोच, पेंडेंट, पायल, टियारा, कफलिंक या अन्य); आभूषण की सामग्री (सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा, रत्न या अन्य); आभूषण की वस्तु का कैरेट; आभूषणों का अनुमानित वजन एवं अन्य संबंधित विवरण।

(च) मूल्यवान वस्तुएँ – मूल्यवान वस्तुओं के प्रकार (घड़ी/प्राचीन वस्तु/कलाकृति और संग्रहणीय वस्तु/कीमती पत्थर/रत्न/ठोस धातु/अन्य); घड़ी के संबंध में ब्रांड नाम और सामग्री का प्रकार; प्राचीन वस्तुओं या कलाकृति एवं संग्रहणीय वस्तुओं का नाम और प्रकार; कीमती पत्थरों और ठोस धातुओं के प्रकार; कीमती पत्थरों और ठोस धातुओं हेतु कैरेट एवं वजन; और अन्य संबंधित विवरण।

(छ) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण – इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रकार (उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण या अन्य); इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विवरण; ब्रांड; मॉडल एवं अन्य विवरण;

(i) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स – मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, कैमरा/फोटोग्राफी उपकरण, ऑडियो उपकरण, गेमिंग कंसोल, पहनने योग्य उपकरण या अन्य।

(ii) घरेलू उपकरण – एयर कंडीशनर, टेलीविजन, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर, माइक्रोवेव, ओवन, खाद्य प्रोसेसर, ऑडियो उपकरण या अन्य।

(iii) अन्य – इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का नाम; ब्रांड; मॉडल एवं अन्य संबंधित विवरण।

(ज) डिमैट खाता – डिमैट खाता संख्या; ब्रोकर फर्म का नाम; धारित प्रतिभूतियों का प्रकार (शेयर, म्यूचुअल फंड, बांड, सरकारी प्रतिभूतियाँ, एक्सचेंज–ट्रेडेड फंड या अन्य); उन कंपनियों का नाम जिनकी प्रतिभूतियाँ धारित की गई हैं; धारित प्रतिभूतियों की मात्रा/इकाई एवं अन्य संबंधित विवरण;

(झ) बांड – बांड का प्रकार; कंपनियों का नाम; प्रमाण पत्र/खाता संख्या; मात्रा एवं अन्य संबंधित विवरण;

(ञ) सृजनात्मक कार्य या अन्वेषण से रॉयल्टी – श्रेणी (संगीत रचना, साहित्यिक कार्य, दृश्य कला, फिल्म/टीवी प्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी, पेटेंट, आविष्कार, सोशल मीडिया हैंडल, ध्वनि रिकॉर्डिंग या अन्य); रचनात्मक कार्यों या आविष्कारों का नाम; निर्माण/पेटेंट का वर्ष; रॉयल्टी स्रोत (प्रकाशन गृह, स्ट्रीमिंग सेवा, प्रौद्योगिकी कंपनी, उत्पादन गृह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य); स्वामित्व/लेखन स्थिति (साझा या व्यक्तिगत स्वामित्व/लेखन); और अन्य संबंधित विवरण;

(ट) क्रिप्टोकरेंसी धारिता– क्रिप्टोकरेंसी का नाम; खाता संख्या/वॉलेट पता; एक्सचेंज/प्लेटफॉर्म का नाम; मात्रा/इकाई; एवं अन्य संबंधित विवरण;

(ठ) पालतू पशु – पालतू पशु का प्रकार एवं अन्य संबंधित विवरण; और/या

(ड) अन्य – अन्य जंगम संपत्तियों के विवरण।

(x) अन्य – किसी अन्य प्रकार की संपत्तियों के विवरण।

(xi) इच्छापत्रदारों का चयन –उपरोक्त खंड (vii), (viii), (ix) और (x) के अंतर्गत उल्लिखित प्रत्येक प्रकार की संपत्ति हेतु, इच्छापत्रकर्ता उपरोक्त खंड (v) और (vi) के अंतर्गत इच्छापत्रकर्ता द्वारा चयनित एक या अधिक इच्छापत्रदारों का चयन कर सकता है;

(xii) इच्छापत्रदारों के मध्य संपदा का वितरण – यदि इच्छापत्रकर्ता उपरोक्त खंडों (vii), (viii), (ix) और (x) के अंतर्गत उल्लिखित विशेष संपत्ति को एक से अधिक इच्छापत्रदारों को उत्तरदान का इच्छुक है, तो इच्छापत्रकर्ता चयनित इच्छापत्रदारों के मध्य ऐसी संपत्ति का प्रतिशत वितरण प्रदान करेगा;

(xiii) देयता विवरण, यदि कोई हो – इच्छापत्रकर्ता उपरोक्त खंडों (vii), (viii), (ix) और (x) के अंतर्गत उल्लिखित अपनी या अपनी किसी संपत्ति से संबद्ध बकाया देयताओं या ऋणों का विवरण देगा। वह बकाया देयताओं या ऋणों (बैंक/निजी व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य बैंक/संस्था से ऋण) के प्रकार का भी उल्लेख करेगा एवं ऐसी बकाया देयताओं या ऋणों का विवरण एवं कोई भी अन्य संबंधित विवरण निर्दिष्ट करेगा;

(xiv) इच्छापत्र/क्रोडपत्र के निष्पादन से संबंधित अन्य विवरण – टेक्स्ट बॉक्स में इच्छापत्रकर्ता अपने इच्छापत्र/क्रोडपत्र के निष्पादन के संबंध में निर्देश, यदि कोई हो, लिख सकता है;

(xv) दो साक्षियों का विवरण – आधार संख्या; नाम; जन्म तिथि; इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; फोन नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक) एवं दो साक्षियों के पते जो यह प्रमाणित करेंगे कि इच्छापत्रकर्ता अपने इच्छापत्र बनाने में सक्षम है, उसने स्वेच्छा से इच्छापत्र बनाया है तथा पंजीकरण हेतु इसे ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहा है;

(xvi) साक्षी के परिसाक्ष्य अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात्, उपरोक्त खंड (xv) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, साक्षी को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके

बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

(xvii) इच्छापत्रकर्ता की घोषणा अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (i) से (xvi) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, इच्छापत्रकर्ता को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। घोषणा का प्रारूप इस प्रकार है –

"मैं, एतद्द्वारा, अपने द्वारा किये समस्त पूर्व इच्छापत्र, क्रोडपत्र एवं इच्छापत्रीय व्ययन को प्रतिसंहृत करता हूँ। मैं इसे अपनी अंतिम वसीयत/ इच्छापत्र घोषित करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है एवं मैं स्वस्थचित्त हूँ। यह घोषणा मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं स्वेच्छा से की है। मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव या दबाव नहीं डाला गया है।"

(xviii) इच्छापत्रकर्ता को उपरोक्त खंड (i) से (xvii) के अंतर्गत उल्लिखित विवरण से संबंधित निम्नलिखित सहायक अभिलेख अपलोड करने होंगे –

(क) आयु का प्रमाण – जन्म प्रमाणपत्र या पैन कार्ड या पासपोर्ट या स्थानांतरण/विद्यालय छोड़ने /मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, सार्वजनिक जीवन बीमा निगम/कंपनियों द्वारा निर्गत पॉलिसी बॉन्ड जिसमें बीमाधारक की जन्मतिथि दर्ज हो, या आवेदक की सेवा पंजिका की प्रति (केवल सरकारी सेवकों के संदर्भ में), या पेंशन आदेश (सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संदर्भ में), जिसे आवेदक के संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासन अधिकारी/प्रभारी द्वारा विधिवत सत्यापित/प्रमाणित किया गया हो, या मतदाता फोटो पहचान पत्र, या चालन अनुज्ञप्ति;

(ख) निवास का प्रमाण – निम्नलिखित में से कोई एक –

(i) निवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवासी प्रमाण पत्र;

(ii) यदि इच्छापत्रकर्ता केंद्र/राज्य सरकार या उनके उपक्रमों/संस्थाओं का कर्मचारी होने का दावा करता है तो नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र अथवा रोजगार का अन्य अभिलेखीय साक्ष्य;

(iii) एक वर्ष या उससे अधिक समय से उत्तराखण्ड में अधिवास का दावा करने वाले इच्छापत्रकर्ता हेतु, कम से कम एक वर्ष पुराना विद्युत/जल बिल या पासपोर्ट या किराया अनुबंध के सुसंगत उद्धरण के साथ कम से कम एक वर्ष पुराना किरायेदार सत्यापन प्रमाण पत्र; अथवा

(iv) राज्य में क्रियान्वित राज्य/केंद्र सरकार प्रायोजित योजना के लाभार्थी होने का दावा करने वाले इच्छापत्रकर्ता हेतु, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी लाभार्थी कार्ड या लाभार्थी संख्या या दावे का समर्थन करने वाला कोई अन्य विधिमान्य अभिलेख;

(ग) इच्छापत्रकर्ता से संबंधित स्थावर संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण – रजिस्ट्री की प्रति/राजस्व अभिलेख की प्रति जिसमें इच्छापत्रकर्ता का विवरण हो;

(घ) इच्छापत्रकर्ता से संबंधित कृषि संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण – खसरा/खतौनी या रजिस्ट्री की प्रति जिसमें इच्छापत्रकर्ता का विवरण हो;

(ङ) स्थावर संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण यदि इच्छापत्रकर्ता स्वामित्व फर्म का स्वामी है – रजिस्ट्री की प्रति/राजस्व अभिलेख की प्रति जिसमें स्वामित्व का विवरण हो;

(च) स्वामित्व का प्रमाण यदि इच्छापत्रकर्ता किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सीमित देयता कंपनी या लिमिटेड कंपनी में शेयरधारक है – शेयर प्रमाणपत्र की प्रति जिसमें इच्छापत्रकर्ता का विवरण हो;

(छ) स्वामित्व का प्रमाण यदि इच्छापत्रकर्ता किसी भागीदारी फर्म में शेयरधारक है – भागीदारी विलेख की प्रति जिसमें इच्छापत्रकर्ता का विवरण हो;

(ज) बैंक खाता/डाकघर खाता/किसी अन्य संस्थान में खाते का प्रमाण – विगत छह माह के खाता विवरण की प्रति;

(झ) डीमैट खाते का प्रमाण – विगत छह माह के डीमैट खाते के विवरण की प्रति;

(ञ) रचनात्मक कार्य या आविष्कारों द्वारा रॉयल्टी का प्रमाण – रचनात्मक कार्य या आविष्कारों द्वारा प्राप्त रॉयल्टी से संबंधित अभिलेख की प्रति, एवं स्वामित्व अभिलेख की प्रति;

(ट) क्रिप्टोकरंसी होल्डिंग का प्रमाण – विगत छह माह के क्रिप्टोकरंसी खाता विवरण की प्रति;

(ठ) बांड का प्रमाण – बांड के प्रमाणपत्रों की प्रति;

(ड) आभूषण/मूल्यवान वस्तुओं का प्रमाण – आभूषण/मूल्यवान वस्तुओं की फोटो;

(ढ) वाहन का प्रमाण – वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति;

(ण) पालतू पशु का प्रमाण – पालतू पशु के स्वामित्व के अभिलेख की प्रति एवं फोटो;

(त) देयता एवं ऋण का प्रमाण – ऋण खाता विवरण की प्रति;

(थ) गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ)/गैर–लाभकारी कंपनी या संस्था/निकाय का प्रमाण– पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति;

(द) ट्रस्ट का प्रमाण – ट्रस्ट डीड की प्रति;

(ध) निष्पादक का प्रमाण – निष्पादक का फोटो;

(न) साक्षियों का प्रमाण – साक्षियों का फोटो;

(न) इच्छापत्रकर्ता का प्रमाण – इच्छापत्रकर्ता का फोटो, पैन कार्ड की प्रति;

(च) उपरोक्त नियम 14 (2) के खण्ड (घ) (ii) के अंतर्गत इच्छापत्र के पंजीकरण हेतु अपेक्षित सूचना–

(i) यदि पंजीकरणकर्ता स्वयं इच्छापत्रकर्ता है – आधार संख्या; नाम; जन्म की दिनांक; राष्ट्रीयता; धर्म; श्रेणी (सामान्य/एससी/ओबीसी/अन्य); लिंग; आधार से संबद्ध मोबाइल नंबर; वैकल्पिक मोबाइल नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक); वर्तमान एवं स्थायी पता; निवास का प्रमाण एवं पैन संख्या; इच्छापत्रकर्ता के माता–पिता/विधिक अभिभावक का नाम; इच्छापत्रकर्ता का व्यवसाय (सरकारी सेवा,

निजी क्षेत्र की सेवा, कृषि कार्य, व्यवसाय, स्वरोजगार या कोई अन्य व्यवसाय) और इच्छापत्रकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित हस्तलिखित या टंकित इच्छापत्र की प्रति;

(ii) यदि पंजीकरणकर्ता इच्छापत्र में निष्पादक है – आधार संख्या; नाम; माता–पिता / विधिक अभिभावक के नाम; जन्म की दिनांक; राष्ट्रीयता; धर्म; श्रेणी (सामान्य / एससी / ओबीसी / अन्य); लिंग; आधार से सम्बद्ध मोबाइल नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक); वर्तमान एवं स्थायी पता; इच्छापत्रकर्ता का नाम; इच्छापत्रकर्ता का लिंग; इच्छापत्रकर्ता की श्रेणी (सामान्य / एससी / ओबीसी / अन्य); इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु का दिनांक; इच्छापत्रकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं इच्छापत्रकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित हस्तलिखित या टंकित इच्छापत्र की प्रति;

(iii) यदि पंजीकरणकर्ता इच्छापत्र में एक व्यक्तिगत उत्तराधिकारी है – आधार संख्या; नाम; माता–पिता / विधिक अभिभावक(ओं) के नाम; जन्म की दिनांक; राष्ट्रीयता; धर्म; श्रेणी (सामान्य / एससी / ओबीसी / अन्य); लिंग; आधार से संबद्ध मोबाइल नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक); वर्तमान एवं स्थायी पता; इच्छापत्रकर्ता का नाम; इच्छापत्रकर्ता का लिंग; इच्छापत्रकर्ता की श्रेणी (सामान्य / एससी / ओबीसी / अन्य); इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु का दिनांक; इच्छापत्रकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं इच्छापत्रकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित हस्तलिखित या टंकित इच्छापत्र की प्रति;

(iv) यदि पंजीकरणकर्ता एक एनजीओ / ट्रस्ट / गैर–लाभकारी कंपनी या कोई अन्य संस्था / निकाय है एवं इच्छापत्र में उत्तराधिकारी भी है – अध्यक्ष / सभापति / निदेशक / संस्था प्रमुख की आधार संख्या; एनजीओ / ट्रस्ट / गैर–लाभकारी कंपनी या किसी अन्य संस्था / निकाय का नाम; अध्यक्ष / सभापति / निदेशक / संस्था प्रमुख का नाम; एनजीओ / ट्रस्ट / गैर–लाभकारी कंपनी या किसी संस्था / निकाय की पंजीकरण संख्या; अध्यक्ष / सभापति / निदेशक / संस्था प्रमुख के आधार से संबद्ध मोबाइल नंबर; एनजीओ / ट्रस्ट / गैर–लाभकारी कंपनी या किसी संस्था / निकाय का आधिकारिक मोबाइल नंबर; एनजीओ / ट्रस्ट / गैर–लाभकारी कंपनी या किसी संस्था / निकाय का ईमेल आईडी (वैकल्पिक); एनजीओ / ट्रस्ट / गैर–लाभकारी कंपनी या किसी संस्था / निकाय का आधिकारिक पता; इच्छापत्रकर्ता का नाम; इच्छापत्रकर्ता का लिंग; इच्छापत्रकर्ता की श्रेणी (सामान्य / एससी / ओबीसी / अन्य); इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु का दिनांक; इच्छापत्रकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं इच्छापत्रकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित हस्तलिखित या टंकित इच्छापत्र की प्रति;

(v) यदि पंजीकरणकर्ता इच्छापत्र में उल्लिखित कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति है – आधार संख्या; नाम; माता–पिता / विधिक अभिभावक(ओं) के नाम; जन्म की दिनांक; राष्ट्रीयता; धर्म; श्रेणी (सामान्य / एससी / ओबीसी / अन्य); लिंग; आधार से संबद्ध मोबाइल नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक); वर्तमान एवं स्थायी पता; इच्छापत्रकर्ता का नाम; इच्छापत्रकर्ता का लिंग; इच्छापत्रकर्ता की श्रेणी (सामान्य / एससी / ओबीसी / अन्य); इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु की दिनांक;

इच्छापत्रकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं इच्छापत्रकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित हस्तलिखित या टंकित इच्छापत्र की प्रति;

(vi) इच्छापत्र के निष्पादन से संबंधित अन्य विवरण – टेक्स्ट बॉक्स में इच्छापत्रकर्ता अपने इच्छापत्र के निष्पादन के संबंध में निर्देश, यदि कोई हो, लिख सकता है;

(vii) उपरोक्त खंड (i) के अंतर्गत दो साक्षियों का विवरण – आधार संख्या; नाम; जन्म का दिनांक; इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; फोन नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक) एवं दो साक्षियों के पते जो यह प्रमाणित करेंगे कि इच्छापत्रकर्ता अपने इच्छापत्र बनाने में सक्षम है, उसने स्वेच्छा से इच्छापत्र बनाया है तथा पंजीकरण हेतु इसे ऑनलाइन प्रस्तुत रहा है;

(viii) उपरोक्त खंड (ii) से (v) के अंतर्गत दो साक्षियों का विवरण – आधार संख्या; नाम; जन्म का दिनांक; इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; फोन नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक) एवं दो साक्षियों के पते जो यह प्रमाणित करेंगे कि इच्छापत्रकर्ता अपने इच्छापत्र बनाने में सक्षम है, उसने स्वेच्छा से इच्छापत्र बनाया है तथा पंजीकरण हेतु इसे ऑनलाइन जमा प्रस्तुत रहा है;

(ix) साक्षी के परिसाक्ष्य अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (vii) एवं (viii) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, साक्षी को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

(x) उपरोक्त खंड (i) के अंतर्गत इच्छापत्रकर्ता की घोषणा अभिलिखित करने की प्रक्रिया– आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (i) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, इच्छापत्रकर्ता को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। घोषणा का प्रारूप इस प्रकार है –

"मैं, एतद्‌द्वारा, अपने द्वारा किये समस्त पूर्व इच्छापत्र, क्रोडपत्र एवं इच्छापत्रीय व्ययन को प्रतिसंहृत करता हूँ। मैं इसे अपना अंतिम इच्छापत्र घोषित करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है एवं मैं स्वस्थचित्त हूँ। यह घोषणा मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं स्वेच्छा से की है। मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव या दबाव नहीं डाला गया है।"

(xi) उपरोक्त खंड (ii) से (v) के अंतर्गत पंजीकरणकर्ता की घोषणा अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (ii) से (v) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, पंजीकरणकर्ता को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न

होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। घोषणा का प्रारूप इस प्रकार है –

"मैं, ————— (पंजीकरणकर्ता का नाम; यदि एनजीओ, ट्रस्ट, गैर–लाभकारी कंपनी या किसी संस्था/निकाय से संबद्ध है, तो उस संगठन के प्रमुख का नाम), एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि मैं ————— (इच्छापत्रकर्ता का नाम) का इच्छापत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं, जिन्होंने मुझे इच्छापत्र में ————— (इच्छापत्रदार/निष्पादक/अधिकृत व्यक्ति) के रूप में नामित किया है। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि यह इच्छापत्र इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रस्तुत किया जा रहा है तथा इसे प्रमाणित करने हेतु इच्छापत्रकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र इस पंजीकरण प्रक्रिया में प्रस्तुत किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि इस इच्छापत्र के परिसाक्ष्य उन्हीं साक्षियों द्वारा दिए गए हैं, जो इस पंजीकरण प्रक्रिया में साक्षी के रूप में सम्मिलित हैं। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रदान की गयी सूचना मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है, एवं यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है, तो इसके लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।"

(xii) उपरोक्त खंड (ii) से (v) के अंतर्गत अधिकार प्राप्त उप–निबंधक – उत्तराखण्ड के क्षेत्रान्तर्गत उस स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाला उप–निबंधक जहां इच्छापत्र बनाया गया था;

(xiii) इच्छापत्रकर्ता अथवा पंजीकरणकर्ता को उपरोक्त खंड (i) से (xii) के अंतर्गत उल्लिखित विवरण से संबंधित निम्नलिखित सहायक अभिलेख अपलोड करने होंगे –

(क) आयु का प्रमाण – जन्म प्रमाणपत्र या पैन कार्ड या पासपोर्ट या स्थानांतरण/विद्यालय छोड़ने/मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, सार्वजनिक जीवन बीमा निगम/कंपनियों द्वारा निर्गत पॉलिसी बॉन्ड जिसमें बीमाधारक की जन्मतिथि दर्ज हो, या आवेदक की सेवा पंजिका की प्रति (केवल सरकारी सेवकों के संदर्भ में), या पेंशन आदेश (सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संदर्भ में), जिसे आवेदक के संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासन अधिकारी/प्रभारी द्वारा विधिवत सत्यापित/प्रमाणित किया गया हो, या मतदाता फोटो पहचान पत्र, या चालन अनुज्ञप्ति;

(ख) निवास का प्रमाण, यदि इच्छापत्रकर्ता अपना इच्छापत्र पंजीकृत करा रहा है – निम्नलिखित में से कोई एक –

(i) मूल निवास प्रमाणपत्र या स्थायी निवास प्रमाणपत्र;

(ii) यदि इच्छापत्रकर्ता केंद्र/राज्य सरकार या उनके उपक्रमों/संस्थाओं का कर्मचारी होने का दावा करता है तो नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र अथवा रोजगार का अन्य अभिलेखीय साक्ष्य;

(iii) एक वर्ष या उससे अधिक समय से उत्तराखण्ड में अधिवास का दावा करने वाले इच्छापत्रकर्ता हेतु, कम से कम एक वर्ष पुराना विद्युत/जल बिल या पासपोर्ट या किराया

अनुबंध के सुसंगत उद्धरण के साथ कम से कम एक वर्ष पुराना किरायेदार सत्यापन प्रमाण पत्र;

(iv) राज्य में क्रियान्वित राज्य/केंद्र सरकार प्रायोजित योजना के लाभार्थी होने का दावा करने वाले इच्छापत्रकर्ता हेतु, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी लाभार्थी कार्ड या लाभार्थी संख्या या दावे का समर्थन करने वाला कोई अन्य विधिमान्य अभिलेख;

(ग) यदि पंजीकरणकर्ता इच्छापत्र में निष्पादक है तो इसका प्रमाण – निष्पादक का फोटो;

(घ) यदि पंजीकरणकर्ता इच्छापत्र में व्यक्तिगत इच्छापत्रदार है तो इसका प्रमाण – इच्छापत्रदार का फोटो;

(ङ) यदि पंजीकरणकर्ता एक एनजीओ/गैर–लाभकारी कंपनी या संस्थान/निकाय है और इच्छापत्र में एक इच्छापत्रदार है तो प्रमाण – पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति;

(च) यदि पंजीकरणकर्ता एक ट्रस्ट है और इच्छापत्र में इच्छापत्रदार है तो इसका प्रमाण – ट्रस्ट डीड की प्रति;

(छ) यदि पंजीकरणकर्ता इच्छापत्र में उल्लिखित एक अधिकृत व्यक्ति है, तो इसका प्रमाण – अधिकृत व्यक्ति का फोटो;

(ज) साक्षियों का प्रमाण – साक्षियों का फोटो;

(झ) यदि इच्छापत्रकर्ता अपना इच्छापत्र स्वयं पंजीकृत कर रहा है तो इच्छापत्रकर्ता का प्रमाण– इच्छापत्रकर्ता का फोटो, पैन कार्ड की प्रति;

(ञ) इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु का प्रमाण यदि निष्पादक, इच्छापत्रदार या कोई अधिकृत व्यक्ति इच्छापत्रकर्ता की इच्छापत्र पंजीकृत कर रहा है – इच्छापत्रकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र;

(ट) इच्छापत्रकर्ता द्वारा बनाए गए इच्छापत्र का प्रमाण – इच्छापत्रकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित हस्तलिखित या टंकित इच्छापत्र की प्रति।

(छ) उपरोक्त नियम 14 (2) के खण्ड (घ) (iii) के अंतर्गत इच्छापत्र के पंजीकरण हेतु अपेक्षित सूचना–

(i) इच्छापत्रकर्ता का विवरण– आधार संख्या; नाम; जन्म की दिनांक; राष्ट्रीयता; धर्म; श्रेणी (सामान्य/एससी/ओबीसी/अन्य); लिंग; आधार से संबद्ध मोबाइल नंबर; वैकल्पिक मोबाइल नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक); वर्तमान एवं स्थायी पता; निवास का प्रमाण एवं पैन संख्या; इच्छापत्रकर्ता के माता–पिता/विधिक अभिभावक का नाम; इच्छापत्रकर्ता का व्यवसाय (सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र की सेवा, कृषि कार्य, व्यवसाय, स्वरोजगार या कोई अन्य व्यवसाय);

(ii) इच्छापत्र की रिकॉर्डिंग – इच्छापत्रकर्ता अपने इच्छापत्र से संबंधित वीडियो को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन रिकॉर्ड करेगा, जिसमें उसके सम्पूर्ण नाम एवं दिनांक का उल्लेख होगा जिस दिन वह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। अपनी सम्पदा एवं उस इच्छापत्रदारों का वर्णन करते समय, जिसे वह ऐसी संपदा उत्तरदान करना चाहता है, इच्छापत्र संबंधी वीडियो की गुणवत्ता एवं ध्वनि स्पष्ट होनी चाहिए तथा कथन सटीक एवं सुस्पष्ट होना चाहिए;

(iii) दो साक्षियों का विवरण – आधार संख्या; नाम; जन्म की दिनांक; इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; फोन नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक) एवं दो साक्षियों के पते जो यह प्रमाणित करेंगे कि इच्छापत्रकर्ता अपने इच्छापत्र बनाने में सक्षम है, उसने स्वेच्छा से इच्छापत्र बनाया है तथा पंजीकरण हेतु इसे ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहा है;

(iv) साक्षी के परिसाक्ष्य अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (iii) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, साक्षी को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

(v) इच्छापत्रकर्ता की घोषणा अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (i) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने एवं खंड (ii) के अंतर्गत इच्छापत्र की रिकॉर्डिंग के बाद, इच्छापत्रकर्ता को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। घोषणा का प्रारूप इस प्रकार है –

"मैं, एतद्‌द्वारा, अपने द्वारा किये समस्त पूर्व इच्छापत्र, क्रोडपत्र एवं इच्छापत्रीय व्ययन को प्रतिसंहृत करता हूँ। मैं इसे अपना अंतिम इच्छापत्र घोषित करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है एवं मैं स्वस्थचित्त हूँ। यह घोषणा मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं स्वेच्छा से की है। मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव या दबाव नहीं डाला गया है।"

(vi) इच्छापत्रकर्ता को खंड (i) से (v) के अंतर्गत उल्लिखित विवरण से संबंधित निम्नलिखित सहायक अभिलेख अपलोड करने होंगे –

(क) आयु का प्रमाण – जन्म प्रमाणपत्र या पैन कार्ड या पासपोर्ट या स्थानांतरण/विद्यालय छोड़ने/मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, सार्वजनिक जीवन बीमा निगम/कंपनियों द्वारा निर्गत पॉलिसी बॉन्ड जिसमें बीमाधारक के जन्म की दिनांक दर्ज हो, या आवेदक की सेवा पंजिका की प्रति (केवल सरकारी सेवकों के संदर्भ में), या पेंशन आदेश (सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संदर्भ में), जिसे आवेदक के संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासन अधिकारी/प्रभारी द्वारा विधिवत सत्यापित/प्रमाणित किया गया हो, या मतदाता फोटो पहचान पत्र, या चालन अनुज्ञप्ति;

(ख) निवास का प्रमाण – निम्नलिखित में से कोई एक –

(i) निवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवासी प्रमाण पत्र;

(ii) यदि इच्छापत्रकर्ता केंद्र/राज्य सरकार या उनके उपक्रमों/संस्थाओं का कर्मचारी होने का दावा करता है तो नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र अथवा रोजगार का अन्य अभिलेखीय साक्ष्य;

(iii) एक वर्ष या उससे अधिक समय से उत्तराखण्ड में अधिवास का दावा करने वाले इच्छापत्रकर्ता हेतु, कम से कम एक वर्ष पुराना विद्युत/जल बिल या पासपोर्ट या किराया अनुबंध के सुसंगत उद्धरण के साथ कम से कम एक वर्ष पुराना किरायेदार सत्यापन प्रमाण पत्र;

(iv) राज्य में क्रियान्वयित राज्य/केंद्र सरकार प्रायोजित योजना के लाभार्थी होने का दावा करने वाले इच्छापत्रकर्ता हेतु, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी लाभार्थी कार्ड या लाभार्थी संख्या या दावे का समर्थन करने वाला कोई अन्य विधिमान्य अभिलेख;

(ग) निष्पादक का प्रमाण – निष्पादक का फोटो;

(घ) साक्षियों का प्रमाण – साक्षियों का फोटो;

(ङ) इच्छापत्रकर्ता का प्रमाण– इच्छापत्रकर्ता का फोटो, पैन कार्ड की प्रति;

(ज) उपरोक्त नियम 14 (2) के खण्ड (घ) (i) के अंतर्गत क्रोडपत्र के पंजीकरण हेतु अपेक्षित सूचना–

(i) क्रोडपत्र पंजीकरण हेतु जहां इच्छापत्रकर्ता ने नियम 14 (2) के खण्ड (घ) (i) के अंतर्गत अपना इच्छापत्र पंजीकृत किया है, इच्छापत्रकर्ता को संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर लॉग इन करने के पश्चात् इच्छापत्र की पंजीकरण संख्या प्रदान करनी होगी। तत्पश्चात्, इच्छापत्रकर्ता को अपने पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र को संपादित करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। नियम 14 (2) के उपनियम (ग) के अंतर्गत उल्लिखित निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् इच्छापत्रकर्ता पंजीकरण हेतु अपना क्रोडपत्र ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है।

(ii) इच्छापत्रकर्ता की घोषणा अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (i) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, इच्छापत्रकर्ता को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। घोषणा का प्रारूप इस प्रकार है –

"मैं, एतद्द्वारा, अपने द्वारा बनाए समस्त पूर्व क्रोडपत्र को प्रतिसंहृत करता हूँ। मैं इसे अपना अंतिम क्रोडपत्र घोषित करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है एवं मैं स्वस्थचित्त हूँ। इस क्रोडपत्र को मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं स्वेच्छा से बनाया है। मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव या दबाव नहीं डाला गया है।"

(iii) दो साक्षियों का विवरण – आधार संख्या; नाम; जन्म की दिनांक; इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; फोन नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक) एवं दो साक्षियों के पते जो यह प्रमाणित करेंगे कि इच्छापत्रकर्ता अपने पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र हेतु क्रोडपत्र बनाने में सक्षम है, उसने स्वेच्छा से क्रोडपत्र बनाया है तथा पंजीकरण हेतु इसे ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहा है;

(iv) साक्षी के परिसाक्ष्य अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (iii) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, साक्षी को संहिता के

वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

(झ) उपरोक्त नियम 14 (2) के खण्ड (घ) (ii) के अंतर्गत क्रोडपत्र के पंजीकरण हेतु अपेक्षित सूचना–

(i) क्रोडपत्र पंजीकरण हेतु जहां इच्छापत्रकर्ता ने नियम 14 (2) के खण्ड (घ) (ii) के अंतर्गत अपना इच्छापत्र पंजीकृत किया है, इच्छापत्रकर्ता को संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर लॉग इन करने के पश्चात् इच्छापत्र की पंजीकरण संख्या प्रदान करनी होगी। तत्पश्चात्, इच्छापत्रकर्ता को अपने पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र को संपादित करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। नियम 14 (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत उल्लिखित निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् इच्छापत्रकर्ता पंजीकरण हेतु अपना क्रोडपत्र ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है।

(ii) यदि पंजीकरणकर्ता इच्छापत्र/ क्रोडपत्र में निष्पादक है –इच्छापत्र की पंजीकरण संख्या जो इच्छापत्रकर्ता द्वारा बनाई गई है; आधार संख्या; नाम; माता–पिता/विधिक अभिभावक का नाम; जन्म की दिनांक; राष्ट्रीयता; धर्म; श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य); लिंग; आधार से लिंक संबद्ध नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक); वर्तमान और स्थायी पता; इच्छापत्रकर्ता का नाम; इच्छापत्रकर्ता का लिंग; इच्छापत्रकर्ता की श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य); इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु की दिनांक; इच्छापत्रकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र और इच्छापत्रकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित हस्तलिखित या टंकित क्रोडपत्र की एक प्रति।

(iii) यदि पंजीकरणकर्ता इच्छापत्र/ क्रोडपत्र में इच्छापत्रदार है –इच्छापत्र की पंजीकरण संख्या जो इच्छापत्रकर्ता द्वारा बनाई गई है; आधार संख्या; नाम; माता–पिता/विधिक अभिभावक का नाम; जन्म की दिनांक; राष्ट्रीयता; धर्म; श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य); लिंग; आधार से लिंक संबद्ध नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक); वर्तमान और स्थायी पता; इच्छापत्रकर्ता का नाम; इच्छापत्रकर्ता का लिंग; इच्छापत्रकर्ता की श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य); इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु का दिनांक; इच्छापत्रकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र और इच्छापत्रकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित हस्तलिखित या टंकित क्रोडपत्र की एक प्रति।

(iv) यदि पंजीकरणकर्ता एक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट/गैर–लाभकारी कंपनी या कोई अन्य संस्था/निकाय है और इच्छापत्र/ क्रोडपत्र में एक इच्छापत्रदार भी है– इच्छापत्र की पंजीकरण संख्या जो इच्छापत्रकर्ता द्वारा बनाई गई है; अध्यक्ष/प्रमुख/संस्थागत प्रमुख का आधार संख्या; गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट/गैर–लाभकारी कंपनी या किसी अन्य संस्था/निकाय का नाम; अध्यक्ष/प्रमुख/संस्थागत प्रमुख का नाम; गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट/गैर–लाभकारी कंपनी या किसी अन्य संस्था/निकाय का पंजीकरण संख्या; आधार से संबद्ध अध्यक्ष/प्रमुख/संस्थागत प्रमुख

का मोबाइल नंबर; गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट/गैर–लाभकारी कंपनी या किसी अन्य संस्था/निकाय का आधिकारिक मोबाइल नंबर; एनजीओ/ट्रस्ट/गैर–लाभकारी कंपनी या किसी अन्य संस्था/निकाय का ईमेल आईडी (वैकल्पिक); एनजीओ/ट्रस्ट/गैर–लाभकारी कंपनी या किसी अन्य संस्था/निकाय का आधिकारिक पता; इच्छापत्रकर्ता का नाम; इच्छापत्रकर्ता का लिंग; इच्छापत्रकर्ताकी श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य); इच्छापत्रकर्ताकी मृत्यु का दिनांक; इच्छापत्रकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र और इच्छापत्रकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित हस्तलिखित या टंकित क्रोडपत्र की एक प्रति।

(v) यदि पंजीकरणकर्ता इच्छापत्र/ क्रोडपत्र में उल्लिखित कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति है– इच्छापत्र की पंजीकरण संख्या जो इच्छापत्रकर्ता द्वारा बनाई गई है; आधार संख्या; नाम; माता–पिता/विधिक अभिभावक का नाम; जन्म का दिनांक; राष्ट्रीयता; धर्म; श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य); लिंग; आधार से लिंक संबद्ध नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक); वर्तमान और स्थायी पता; इच्छापत्रकर्ता का नाम; इच्छापत्रकर्ता का लिंग; इच्छापत्रकर्ता की श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य); इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु का दिनांक; इच्छापत्रकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र और इच्छापत्रकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित हस्तलिखित या टंकित क्रोडपत्र की एक प्रति।

(vi) यदि पंजीकरणकर्ता इच्छापत्रकर्ता है, तो क्रोड़पत्र के निष्पादन से संबंधित अन्य विवरण– टेक्स्ट बॉक्स में इच्छापत्रकर्ता अपने क्रोड़पत्र के निष्पादन के संबंध में निर्देश, यदि कोई हो, लिख सकता है;

(vii) उपरोक्त खंड (i) के अंतर्गत दो साक्षियों का विवरण – आधार संख्या; नाम; जन्म का दिनांक; इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; फोन नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक) और दो साक्षियों के पते जो यह प्रमाणित करेंगे कि इच्छापत्रकर्ता अपना क्रोड़पत्र बनाने में सक्षम है, उसने स्वयं स्वेच्छा से इच्छापत्रकर्ता बनाया है और पंजीकरण के लिए इसे ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहा है;

(viii) उपरोक्त खंड (ii) से (v) के अंतर्गत दो साक्षियों का विवरण – आधार संख्या; नाम; जन्म का दिनांक; इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; फोन नंत्रर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक) और दो साक्षियों के पते जो यह प्रमाणित करेंगे कि इच्छापत्रकर्ता अपना क्रोड़पत्र बनाने में सक्षम है, उसने स्वयं स्वेच्छा से क्रोड़पत्र बनाया है और उनकी उपस्थिति में उस पर हस्ताक्षर किए हैं और वे क्रोड़पत्र के निर्माण के साक्षी हैं;

(ix) साक्षी के परिसाक्ष्य अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (vii) एवं (viii) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, साक्षी को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

(x) उपरोक्त खंड (i) के अंतर्गत इच्छापत्रकर्ता की घोषणा अभिलिखित करने की प्रक्रिया– आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (i) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, इच्छापत्रकर्ता को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। घोषणा का प्रारूप इस प्रकार है –

"मैं, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूँ कि यह मेरी इच्छापत्र का अंतिम क्रोड़पत्र है, जिसकी पंजीकरण संख्या ———— है। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है एवं मैं स्वस्थचित्त हूँ। इस क्रोडपत्र को मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं स्वेच्छा से बनाया है। मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव या दबाव नहीं डाला गया है।"

(xi) उपरोक्त खंड (ii) से (v) के अंतर्गत पंजीकरणकर्ता की घोषणा अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (ii) से (v) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, पंजीकरणकर्ता को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। घोषणा का प्रारूप इस प्रकार है –

"मैं, ———— (पंजीकरणकर्ता का नाम; यदि एनजीओ, ट्रस्ट, गैर–लाभकारी कंपनी या किसी संस्था/निकाय से संबद्ध है, तो उस संगठन के प्रमुख का नाम), एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि मैं ———— (इच्छापत्रकर्ता का नाम) का क्रोड़पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं जिन्होंने मुझे क्रोड़पत्र /इच्छापत्र में ———— (इच्छापत्रदार/निष्पादक/अधिकृत व्यक्ति) के रूप में नामित किया है, जिसकी पंजीकरण संख्या ———— है। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि यह क्रोड़पत्र इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रस्तुत किया जा रहा है तथा इसे प्रमाणित करने हेतु इच्छापत्रकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र इस पंजीकरण प्रक्रिया में प्रस्तुत किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि इस क्रोड़पत्र के परिसाक्ष्य उन्हीं साक्षियों द्वारा दिए गए हैं, जो इस पंजीकरण प्रक्रिया में साक्षी के रूप में सम्मिलित हैं। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रदान की गयी सूचना मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है, एवं यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है, तो इसके लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।"

(xii) खंड (ii) से (v) के अंतर्गत अधिकार प्राप्त उप–निबंधक – उत्तराखण्ड के क्षेत्रान्तर्गत उस स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाला उप–निबंधक जहां इच्छापत्र पंजीकृत किया गया था;

(xiii) इच्छापत्रकर्ता अथवा पंजीकरणकर्ता को उपरोक्त खंड (i) से (xii) के अंतर्गत उल्लिखित विवरण से संबंधित निम्नलिखित सहायक अभिलेख अपलोड करने होंगे –

(क) यदि पंजीकरणकर्ता इच्छापत्र/क्रोड़पत्र में निष्पादक है तो इसका प्रमाण – निष्पादक का फोटो;

(ख) यदि पंजीकरणकर्ता इच्छापत्र/क्रोड़पत्र में व्यक्तिगत इच्छापत्रदार है तो इसका प्रमाण – इच्छापत्रदार का फोटो;

(ग) यदि पंजीकरणकर्ता एक एनजीओ/गैर–लाभकारी कंपनी या संस्थान/निकाय है और इच्छापत्र/क्रोड़पत्र में एक इच्छापत्रदार है तो प्रमाण – पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति;

(घ) यदि पंजीकरणकर्ता एक ट्रस्ट है और इच्छापत्र/क्रोड़पत्र में इच्छापत्रदार है तो इसका प्रमाण – ट्रस्ट डीड की प्रति;

(ङ) यदि पंजीकरणकर्ता इच्छापत्र/क्रोड़पत्र में उल्लिखित एक अधिकृत व्यक्ति है, तो इसका प्रमाण – अधिकृत व्यक्ति का फोटो;

(च) साक्षियों का प्रमाण – साक्षियों का फोटो;

(छ) इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु का प्रमाण यदि निष्पादक, इच्छापत्रदार या कोई अधिकृत व्यक्ति इच्छापत्रकर्ता का क्रोड़पत्र पंजीकृत कर रहा है – इच्छापत्रकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र;

(ज) इच्छापत्रकर्ता द्वारा बनाए गए क्रोड़पत्र का प्रमाण – इच्छापत्रकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित हस्तलिखित या टंकित इच्छापत्र की प्रति।

(ञ) उपरोक्त नियम 14 (2) के खण्ड (घ) (iii) के अंतर्गत क्रोडपत्र के पंजीकरण हेतु अपेक्षित सूचना–

(i) क्रोडपत्र पंजीकरण हेतु जहां इच्छापत्रकर्ता ने नियम 14 (2) के खण्ड (घ) (iii) के अंतर्गत अपना इच्छापत्र पंजीकृत किया है, इच्छापत्रकर्ता को संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर लॉग इन करने के पश्चात इच्छापत्र की पंजीकरण संख्या प्रदान करनी होगी। तत्पश्चात् इच्छापत्रकर्ता को अपने पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र को संपादित करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। नियम14 (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत उल्लिखित निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् इच्छापत्रकर्ता पंजीकरण हेतु अपना क्रोडपत्र ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है।

(ii) इच्छापत्रकर्ता की घोषणा अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (i) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, इच्छापत्रकर्ता को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। घोषणा का प्रारूप इस प्रकार है –

"मैं, एतद्द्वारा, अपने द्वारा बनाए समस्त पूर्व क्रोडपत्र को प्रतिसंहृत करता हूँ। मैं इसे अपना अंतिम क्रोडपत्र घोषित करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है एवं मैं स्वस्थचित्त हूँ। इस क्रोडपत्र को मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं स्वेच्छा से बनाया है। मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव या दबाव नहीं डाला गया है।"

(iii) दो साक्षियों का विवरण – आधार संख्या; नाम; जन्म की दिनांक; इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; फोन नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक) एवं दो साक्षियों के पते जो यह प्रमाणित करेंगे कि इच्छापत्रकर्ता

अपने पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र हेतु क्रोडपत्र बनाने में सक्षम है, उसने स्वेच्छा से क्रोडपत्र बनाया है तथा पंजीकरण हेतु इसे ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहा है;

(iv) साक्षी के परिसाक्ष्य अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (iii) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, साक्षी को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

(C) इच्छापत्र/क्रोडपत्र का प्रतिसंहरण –

(i) यदि कोई इच्छापत्रकर्ता अपने पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र का प्रतिसंहृत करने में सक्षम है, तो वह इसे किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकता है। पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र को प्रतिसंहृत करने के लिए, संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर लॉग इन करने के पश्चात् इच्छापत्र/क्रोडपत्र की पंजीकरण संख्या प्रदान करनी होगी। तत्पश्चात् इच्छापत्रकर्ता को अपने पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र को प्रतिसंहृत करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। नियम 14 (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत उल्लिखित निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् इच्छापत्रकर्ता पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र को प्रतिसंहृत कर सकता है।

(ii) इच्छापत्रकर्ता की घोषणा अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (i) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, इच्छापत्रकर्ता को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। घोषणा का प्रारूप इस प्रकार है –

"मैं, एतद्द्वारा, अपने द्वारा बनाए इस इच्छापत्र/क्रोडपत्र को प्रतिसंहृत करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है एवं मैं स्वस्थचित्त हूँ। इस प्रतिसंहरण को मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं स्वेच्छा से किया है। मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव या दबाव नहीं डाला गया है।"

(iii) दो साक्षियों का विवरण – आधार संख्या; नाम; जन्म की दिनांक; इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; फोन नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक) एवं दो साक्षियों के पते जो यह प्रमाणित करेंगे कि इच्छापत्रकर्ता अपने पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र को प्रतिसंहृत करने में सक्षम है, उसने स्वेच्छा से अपने पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र को प्रतिसंहृत किया है तथा प्रतिसंहरण हेतु इसे ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहा है;

(iv) साक्षी के परिसाक्ष्य अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (iii) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, साक्षी को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद

एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

(ठ) प्रतिसंहृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र का पुनः प्रवर्तन –

(i) यदि कोई इच्छापत्रकर्ता अपने प्रतिसंहृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र का पुनः प्रवर्तन करने में सक्षम है, तो वह इसे किसी भी समय कर सकता है। प्रतिसंहृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र को पुनः प्रवर्तनित करने हेतु, संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर लॉग इन करने के पश्चात् इच्छापत्र/क्रोडपत्र की पंजीकरण संख्या प्रदान करनी होगी। तत्पश्चात् इच्छापत्रकर्ता को अपने प्रतिसंहृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र को पुनः प्रवर्तनित करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। नियम 14 (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत उल्लिखित निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् इच्छापत्रकर्ता प्रतिसंहृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र को पुनः प्रवर्तनित कर सकता है।

(ii) इच्छापत्रकर्ता की घोषणा अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (i) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, इच्छापत्रकर्ता को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। घोषणा का प्रारूप इस प्रकार है –

"मैं, एतद्द्वारा, अपने द्वारा प्रतिसंहृत इसइच्छापत्र/क्रोडपत्र को पुनः प्रवर्तनित करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है एवं मैं स्वस्थचित्त हूँ। इस पुनः प्रवर्तन को मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं स्वेच्छा से किया है। मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव या दबाव नहीं डाला गया है।"

(iii) दो साक्षियों का विवरण – आधार संख्या; नाम; जन्म की दिनांक; इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; फोन नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक) एवं दो साक्षियों के पते जो यह प्रमाणित करेंगे कि इच्छापत्रकर्ता अपने प्रतिसंहृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र को पुनः प्रवर्तनित करने में सक्षम है, उसने स्वेच्छा से अपने प्रतिसंहृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र को पुनः प्रवर्तनित किया है तथा पुनः प्रवर्तन के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु इसे प्रस्तुत रहा है;

(iv) साक्षी के परिसाक्ष्य अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (iii) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, साक्षी को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

(ड) पूर्व पंजीकृत इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख को अंतिम पंजीकृत इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के रूप में घोषित करना –

(i) इच्छापत्र करने में सक्षम इच्छापत्रकर्ता, इच्छापत्रीय अभिलेख/कथन को पंजीकृत करने के पश्चात् किसी भी समय, इसे अंतिम इच्छापत्रीय अभिलेख/कथन घोषित कर सकता है। संहिता के

आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर लॉग इन करने के पश्चात् पंजीकृत इच्छापत्रीय अभिलेख/कथन की पंजीकरण संख्या प्रदान करनी होगी। तत्पश्चात् उसे अपनी पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र या इच्छापत्र/क्रोडपत्र के प्रतिसंहरण/ पुनः प्रवर्तन हेतु पूर्व पंजीकृत कथन को अपनी अंतिम पंजीकृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र या इच्छापत्र/क्रोडपत्र के प्रतिसंहरण/ पुनः प्रवर्तन हेतु अंतिम पंजीकृत कथन के रूप में घोषित करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। नियम 14 (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत उल्लिखित निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् इच्छापत्रकर्ता अपनी घोषणा को पंजीकृत करवा सकते हैं।

(ii) इच्छापत्रकर्ता की घोषणा अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (i) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, इच्छापत्रकर्ता को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। घोषणा का प्रारूप इस प्रकार है –

"मैं, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूँ कि यह इच्छापत्र/क्रोडपत्र अथवा इच्छापत्र/क्रोडपत्र के प्रतिसंहरण/ पुनः प्रवर्तन हेतु कथन मेरी अंतिम इच्छापत्र/क्रोडपत्र अथवा इच्छापत्र/क्रोडपत्र के प्रतिसंहरण/ पुनः प्रवर्तन हेतु कथन है। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है एवं मैं स्वस्थचित्त हूँ। यह घोषणा मेरे द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं स्वेच्छा से की गयी है। मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव या दबाव नहीं डाला गया है।"

(iii) दो साक्षियों का विवरण – आधार संख्या; नाम; जन्म का दिनांक; इच्छापत्रकर्ता के साथ संबंध; फोन नंबर; ईमेल आईडी (वैकल्पिक) एवं दो साक्षियों के पते जो यह प्रमाणित करेंगे कि इच्छापत्रकर्ता अपने पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र को इच्छापत्रकर्ता की अंतिम इच्छापत्र/क्रोडपत्र या इच्छापत्र/क्रोडपत्र के प्रतिसंहरण/ पुनः प्रवर्तन हेतु पूर्व पंजीकृत कथन को इच्छापत्रकर्ता की इच्छापत्र/क्रोडपत्र के प्रतिसंहरण/ पुनः प्रवर्तन हेतु अंतिम पंजीकृत कथन के रूप में घोषित करने में सक्षम है तथा उसने स्वेच्छा से अपने पूर्व पंजीकृत इच्छापत्र/क्रोडपत्र को अपना अंतिम इच्छापत्र/क्रोडपत्र घोषित किया है या इच्छापत्र/क्रोडपत्र के प्रतिसंहरण/ पुनः प्रवर्तन हेतु अपने पूर्व पंजीकृत कथन को इच्छापत्र/क्रोडपत्र के प्रतिसंहरण/ पुनः प्रवर्तन हेतु अपने अंतिम कथन के रूप में घोषित किया है जिसे ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है;

(iv) साक्षी के परिसाक्ष्य अभिलिखित करने की प्रक्रिया – आधार प्रमाणीकरण के बाद, एवं तत्पश्चात् उपरोक्त खंड (iii) के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद, साक्षी को संहिता के वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर एक स्व–वीडियो घोषणा पढ़ते हुए रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड कोड उत्पन्न होगा जो स्व–वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिवाइस की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

(3) इच्छापत्रकर्ता / इच्छापत्रदार / निष्पादक / अधिकृत व्यक्ति के अधिकार

(क) इच्छापत्रकर्ता के अधिकार –

(i) इच्छापत्रकर्ता, जो इच्छापत्रीय कथन / अभिलेख बनाने में सक्षम है तथा उसे पंजीकृत करने का हकदार है, को पंजीकरण हेतु अपना इच्छापत्रीय कथन / अभिलेख प्रस्तुत करने का अधिकार है।

(ii) इच्छापत्रकर्ता अपना इच्छापत्रीय कथन / अभिलेख सृजित, परिवर्तित, प्रतिसंहृत, पुनः प्रवर्तित कर सकता है अथवा अपने पूर्व पंजीकृत इच्छापत्रीय कथन / अभिलेख को अपना अंतिम पंजीकृत इच्छापत्रीय / अभिलेख घोषित कर सकता है।

(iii) अंतिम पंजीकृत इच्छापत्र की पंजीकरण संख्या प्रदान करने के पश्चात् इच्छापत्रकर्ता अपना क्रोडपत्र सृजित एवं पंजीकृत कर सकता है; या अपने अंतिम पंजीकृत इच्छापत्र / क्रोडपत्र को निरस्त कर सकता है; या अपने अंतिम पंजीकृत प्रतिसंहृत इच्छापत्र / क्रोडपत्र को पुनः प्रवर्तित कर सकते हैं; या अपने पूर्व पंजीकृत इच्छापत्रीय कथन / अभिलेख को अपने अंतिम इच्छापत्रीय कथन / अभिलेख के रूप में घोषित कर सकते हैं।

(ख) निष्पादक / इच्छापत्रदार / अधिकृत व्यक्ति के अधिकार – इच्छापत्रकर्ता के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रामाणिक प्रति प्रस्तुत करने पर, निष्पादक, इच्छापत्रदार या इच्छापत्र / क्रोडपत्र में अधिकृत व्यक्ति को–

(i) इच्छापत्रकर्ता के इच्छापत्र / क्रोडपत्र को पंजीकरण हेतु प्रस्तुत करने का अधिकार होगा;

(ii) इच्छापत्रकर्ता के अंतिम पंजीकृत इच्छापत्रीय कथन / अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ग) इच्छापत्रीय कथन / अभिलेख को कब पंजीकृत हुआ माना जाएगा – यदि इच्छापत्रकर्ता के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छापत्रकर्ता / पंजीकरणकर्ता नियम 14 (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत निर्धारित उपबंधों के अनुसार इच्छापत्रीय कथन / अभिलेख प्रस्तुत करता है, और उसके प्रस्तुतीकरण पर निर्णय लिए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका इच्छापत्रीय कथन / अभिलेख, यदि संक्षिप्त जांच में स्वीकार्य पाया जाता है, तो प्रस्तुतीकरण के दिनांक पर पंजीकृत हुआ माना जाएगा।

(घ) उप–निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील –उप–निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध, जिसमें विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन अथवा इच्छापत्रीय कथन / अभिलेख के पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया गया हो, घोषणाकर्ता / पंजीकरणकर्ता ऐसे अस्वीकृति आदेश की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर निबंधक के समक्ष अपील कर सकते हैं। उपरोक्त को संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल / मोबाइल ऐप पर जाकर किया जा सकता है। अपील योजित करने की प्रक्रिया क्रमशः निम्नानुसार है –

(i) घोषणाकर्ता / पंजीकरणकर्ता को, उप–निबंधक द्वारा अस्वीकृत किए गए विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा अथवा इच्छापत्रीय कथन / अभिलेख के पंजीकरण संबंधी आवेदन संख्या, अस्वीकृति आदेश की एक प्रति के साथ वेब–पोर्टल पर प्रदान करनी होगी;

(ii) इसके पश्चात् घोषणाकर्ता/पंजीकरणकर्ता को अपने मामले के समर्थन में अतिरिक्त अभिलेख अपलोड करने का विकल्प प्राप्त होगा;

(iii) अभिलेख, यदि कोई हो, अपलोड करने के पश्चात् घोषणाकर्ता/पंजीकरणकर्ता टेक्स्ट बॉक्स में अपील हेतु आधार प्रविष्ट कर सकता है एवं उसे प्रस्तुत कर सकता है।

(ङ) **निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील** –निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध, जिसमें विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन अथवा इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया गया हो, घोषणाकर्ता/पंजीकरणकर्ता ऐसे अस्वीकृति आदेश की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर महानिबंधक के समक्ष अपील कर सकते हैं। उपरोक्त को संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर जाकर किया जा सकता है। अपील योजित करने की प्रक्रिया क्रमशः निम्नानुसार है –

(i) घोषणाकर्ता/पंजीकरणकर्ता को, उप–निबंधक के साथ–साथ निबंधक द्वारा अस्वीकृत किए गए विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा अथवा इच्छापत्रीय कथन/अभिलेख के पंजीकरण संबंधी आवेदन संख्या, अस्वीकृति आदेश की एक प्रति के साथ वेब–पोर्टल पर प्रदान करनी होगी;

(ii) इसके पश्चात् घोषणाकर्ता/पंजीकरणकर्ता को अपने मामले के समर्थन में अतिरिक्त अभिलेख अपलोड करने का विकल्प प्राप्त होगा;

(iii) अभिलेख, यदि कोई हो, अपलोड करने के पश्चात् घोषणाकर्ता/पंजीकरणकर्ता टेक्स्ट बॉक्स में अपील हेतु आधार प्रविष्ट कर सकता है एवं उसे प्रस्तुत कर सकता है।

अध्याय– 5

सहवासी संबंध

15. सहवासी सबंध का पंजीकरण

(1) **पंजीकरण के प्रयोजनार्थ सहवासी संबंध का वर्गीकरण–** संहिता की धारा 381 की उपधारा (1), सहवासी संबंध के पंजीकरण को पंजीकरणकर्ताओं की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित विधि से वर्गीकृत करती है–

(क) संहिता प्रारंभ होने के दिनांक से पूर्व से ही सहवासी सबंध में रह रहे सहवासी।

(ख) संहिता प्रारंभ होने के दिनांक पर या उसके पश्चात् सहवासी सबंध में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्ति।

(2) **सहवासी सबंध का पंजीकरण** – उपनियम 1 के अंतर्गत सहवासी सबंध के वर्गीकरण के आधार पर, सहवासी सबंध का पंजीकरण निम्नलिखित विधि द्वारा किया जा सकता है –

(क) पूर्व से ही सहवासी संबध में रह रहे पंजीकरणकर्ता – उन पंजीकरणकर्ताओं हेतु, जो उपनियम 1 के खंड (क) के अनुसार पूर्व से ही सहवासी संबंध में हैं और जिनके पास पूर्व से ही साझी गृहस्थी है, संक्षिप्त जाँच के परिणाम के अधीन, पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है;

(ख) सहवासी संबंध में प्रवेश करने के इच्छुक पंजीकरणकर्ता – उपनियम 1 के खंड (ख) के अनुसार सहवासी संबंध में प्रवेश करने के इच्छुक पंजीकरणकर्ताओं के लिए, पंजीकरण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित है –

(i) ऐसे पंजीकरणकर्ताओं को जिनके पास पूर्व से ही निवास स्थान है जिसे वे साझी गृहस्थी के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तथा सहवासी संबंध में प्रवेश करने के इच्छुक हैं, चाहे ऐसा निवास स्थान संयुक्त रूप से स्वामित्व में हो, पुरुष के स्वामित्व में हो, महिला के स्वामित्व में हो, माता–पिता के स्वामित्व में हो, अन्य संबंधी के स्वामित्व में हो, संक्षिप्त जाँच के परिणाम के अधीन, पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकता है;

(ii) ऐसे पंजीकरणकर्ताओं को जिनके पास साझी गृहस्थी के रूप में उपयोग हेतु निवास स्थान नहीं है तथा जो सहवासी संबंध में प्रवेश करने के इच्छुक हैं–

(क) प्रथम चरण में अनुलग्नक –32 के अनुसार अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकता है, जो संक्षिप्त जांच के परिणामों के अधीन होगा। यह अनंतिम प्रमाणपत्र तीस दिनों तक विधिमान्य रहेगा और इसे पंद्रह दिनों के लिए विस्तारित किया जा सकता है ताकि पंजीकरणकर्ताओं को उनकी साझी गृहस्थी हेतु निवास स्थान की व्यवस्था करने में सुविधा हो।

(ख) द्वितीय चरण में, पंजीकरणकर्ता अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, या जहाँ लागू हो, पैंतालीस दिनों के भीतर, अपनी साझी गृहस्थी के रूप में उपयोग किए जाने वाले निवास स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, और संक्षिप्त जांच के परिणाम के अधीन, पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकता है।

(3) **सहवासी संबंध के कथन में सम्मिलित की जाने वाली सूचना**– उपरोक्त उपनियम (1) में उल्लिखित किसी भी वर्ग से संबंधित पंजीकरणकर्ताओं को विचार में लाये बिना, उनसे निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा होगी –

(क) वर्गीकरण – पूर्व से ही सहवासी संबध में रह रहे या सहवासी संबंध में प्रवेश करने के इच्छुक पंजीकरणकर्ता।

(ख) व्यक्तियों जिनसे अपने सहवासी संबंध को पंजीकृत कराना अपेक्षित है –सहवासी सबंध में रह रहे/सहवासी संबंध में प्रवेश के इच्छुक निम्नलिखित व्यक्तियों से सहवासी सबंध का कथन प्रस्तुत करना, अपने सहवासी सबंध को पंजीकृत कराना अपेक्षित है –

(i) उत्तराखण्ड के सीमान्तर्गत अधिवासित व्यक्ति, चाहे वे उत्तराखण्ड के निवासी हों अथवा नहीं।

(ii) उत्तराखण्ड के क्षेत्र से बाहर किन्तु भारत के सीमान्तर्गत अधिवासित व्यक्ति, जबकि उनमें से एक या दोनों सहवासी उत्तराखण्ड के निवासी हों।

(ग) अधिकारिता प्राप्त निबंधक–

(i) उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत पूर्व से ही सहवासी संबंध में रह रहे उन सहवासियों हेतु– साझी गृहस्थी के स्थान पर अधिकारिता क्षेत्र वाले निबंधक।

(ii) उत्तराखण्ड के क्षेत्र के बाहर किंतु भारत के सीमान्तर्गत पूर्व से ही सहवासी संबंध में रहने वाले सहवासियों हेतु, जहाँ एक या दोनों पंजीकरणकर्ता उत्तराखण्ड के निवासी हैं – उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत पुरुष या महिला के स्थायी पते पर अधिकारिता क्षेत्र वाले निबंधक।

(iii) उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत उन व्यक्तियों हेतु जो सहवासी संबंध में प्रवेश करने के इच्छुक हैं – निवास के उस स्थान, जिसे वे साझी गृहस्थी के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, पर अधिकारिता क्षेत्र वाले निबंधक।

(iv) जो उत्तराखण्ड के क्षेत्र के बाहर किन्तु भारत के सीमान्तर्गत सहवासी संबंध में प्रवेश करने के इच्छुक उन व्यक्तियों हेतु, जहां एक या दोनों पंजीकरणकर्ता उत्तराखण्ड के निवासी हैं – उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत पुरुष या महिला के स्थायी पते पर अधिकारिता क्षेत्र वाले निबंधक।

(घ) साझी गृहस्थी के रूप में उपयोग किये जाने वाले साझा भवन/निवास स्थान का विवरण–

(i) ऐसे पंजीकरणकर्ताओं जो पूर्व से ही सहवासी संबंध में रह रहे हों हेतु, साझी गृहस्थी का पता, चाहे वह उत्तराखण्ड सीमान्तर्गत हों या उत्तराखण्ड के क्षेत्र के बाहर, किन्तु भारत के क्षेत्र के अंतर्गत हो।

(ii) ऐसे पंजीकरणकर्ताओं जिनके पास पूर्व से ही एक आवास है जिसे वे साझी गृहस्थी के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तथा सहवासी संबंध में प्रवेश करने के इच्छुक हों, उनका पता, चाहे ऐसा आवास संयुक्त रूप से स्वामित्व में हो, पुरुष के स्वामित्व में हो, महिला के स्वामित्व में हो, माता–पिता के स्वामित्व में हो, अन्य संबंधी के स्वामित्व में हो।

(iii) ऐसे पंजीकरणकर्ताओं हेतु जो सहवासी संबंध में प्रवेश करने के इच्छुक हों, जिन्हें अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है तथा अब उनके पास साझी गृहस्थी के रूप में उपयोग हेतु किराए का आवास है, उसका पता एवं किरायेदार सत्यापन संख्या।

(ङ) पंजीकरणकर्ताओं का विवरण – आधार संख्या; नाम; जन्म का दिनांक; राष्ट्रीयता; श्रेणी (सामान्य / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/ अन्य); आधार से सम्बद्ध मोबाइल नंबर एवं वैकल्पिक मोबाइल नंबर; ईमेल आईडी; वर्तमान और स्थायी पते; निवास का प्रमाण (जहां लागू हो)।

(च) अभिभावकत्व का प्रकार – माता–पिता या विधिक संरक्षक

(छ) पूर्ववर्ती संबंध प्रास्थिति –

(i) क्या सहवासी संबंध में प्रवेश के इच्छुक पंजीकरणकर्ता का वैवाहिक अथवा सहवासी संबंध का कोई इतिहास है या नहीं, यदि हाँ, तो क्या संबंधित पंजीकरणकर्ता विवाह–विच्छेदित है/था; विधवा/विधुर है; विवाह निरस्त हो गया है; सहवासी संबंध समाप्त हो चुका है और/या सहवासी साथी का निधन हो चुका है।

(ii) क्या पंजीकरणकर्ता परस्पर सम्बन्धित थे और यदि ऐसा है, तो पंजीकरणकर्ताओं के मध्य वास्तविक सम्बन्ध और क्या सम्बन्ध संहिता की धारा (3) की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत परिभाषित प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर है।

(ज) उत्तराखण्ड के क्षेत्रान्तर्गत पंजीकरणकर्ताओं के साझी गृहस्थी/स्थायी पते के रूप में उपयोग हेतु साझी गृहस्थी/निवास स्थान पर अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने/पटवारी चौकी का चयन –

(i) उन पंजीकरणकर्ताओं हेतु जो उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत पूर्व से ही सहवासी संबंध में रह रहे हों– साझी गृहस्थी के स्थान पर पुलिस थाने/पटवारी चौकी का क्षेत्राधिकार है।

(ii) उन पंजीकरणकर्ताओं हेतु जो उत्तराखण्ड के क्षेत्र के बाहर पूर्व से ही सहवासी संबंध में हैं, जहां एक या दोनों पंजीकरणकर्ता उत्तराखण्ड के निवासी हैं – उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत पुरुष या महिला के स्थायी पते के स्थान पर पुलिस थाने/पटवारी चौकी का क्षेत्राधिकार है।

(iii) उन पंजीकरणकर्ताओं हेतु जो उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत सहवासी संबंध में प्रवेश करने के इच्छुक हैं– पुलिस थाने/पटवारी चौकी के पास निवास स्थान के उस स्थान पर क्षेत्राधिकार है जिसे वे साझी गृहस्थी के रूप में उपयोग करना चाहते हैं।

(iv) उन पंजीकरणकर्ताओं हेतु जो उत्तराखण्ड के क्षेत्र के बाहर सहवासी संबंध में प्रवेश करने के इच्छुक हैं, जहां एक या दोनों पंजीकरणकर्ता उत्तराखण्ड के निवासी हैं – उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत पुरुष या महिला के स्थायी पते के स्थान पर पुलिस थाने/पटवारी चौकी का क्षेत्राधिकार है।

(झ) बच्चों का विवरण, यदि कोई हो –

(i) वर्तमान सहवासी संबंध से पूर्व का दिनांक से एक या दोनों पंजीकरणकर्ताओं से संबंधित बच्चे हेतु– नाम; लिंग तथा जन्म/गोद लेने की दिनांक;

(ii) वर्तमान सहवासी संबंध के दोनों पंजीकरणकर्ताओं के संयुक्त रूप से संबंधित बच्चे हेतु –नाम; लिंग तथा जन्म/दत्तक ग्रहण की दिनांक।

(ञ) सहायक अभिलेख– उपरोक्त खंड (क) से (झ) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली सूचना के समर्थन हेतु निम्नलिखित अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध/अपलोड की जानी आवश्यक हैं –

(i) पंजीकरणकर्ताओं की आयु का प्रमाण – जन्म प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्थानांतरण/विद्यालय छोड़ने /मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, सार्वजनिक जीवन बीमा निगम/कंपनियों द्वारा निर्गत पॉलिसी बॉन्ड जिसमें बीमाधारक की जन्मतिथि दर्ज हो, या आवेदक की सेवा पंजिका की प्रति (केवल सरकारी सेवकों के संदर्भ में), या पेंशन आदेश (सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संदर्भ में), जिसे आवेदक के संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासन अधिकारी/प्रभारी द्वारा विधिवत सत्यापित/प्रमाणित किया गया हो, या मतदाता फोटो पहचान पत्र, या चालन अनुज्ञप्ति;

(ii) निवास का प्रमाण – निम्नलिखित में से कोई एक –

(क) मूल निवास प्रमाणपत्र या स्थायी निवास प्रमाणपत्र;

(ख) यदि पंजीकरणकर्ता केंद्र/राज्य सरकार या उनके उपक्रमों/संस्थाओं का कर्मचारी होने का दावा करता है तो नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र अथवा रोजगार का अन्य अभिलेखीय साक्ष्य;

(ग) एक वर्ष या उससे अधिक समय से उत्तराखण्ड में अधिवास का दावा करने वाले निवासियों हेतु, कम से कम एक वर्ष पुराना विद्युत/जल बिल या पासपोर्ट या किराया अनुबंध के सुसंगत उद्धरण के साथ कम से कम एक वर्ष पुराना किरायेदार सत्यापन प्रमाण पत्र; अथवा

(घ) राज्य में क्रियान्वित राज्य/केन्द्र सरकार पोषित योजना के लाभार्थी होने का दावा करने वाले निवासियों हेतु, लाभार्थी कार्ड या लाभार्थी संख्या या दावे का समर्थन करने वाला केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोई अन्य विधिमान्य अभिलेख;

(iii) भारतीय के अलावा अन्य राष्ट्रीयता का प्रमाण (जहां भी लागू हो), यदि पंजीकरणकर्ताओं में से एक संहिता/नियमावली द्वारा शासित है एवं दूसरा विदेशी नागरिक है– मूल देश में पूर्ण पता तथा पासपोर्ट के उद्धरण।

(iv) बच्चों का प्रमाण – बच्चे का जन्म/दत्तक ग्रहण प्रमाण पत्र।

(v) पूर्ववर्ती संबंध के इतिहास का प्रमाण –यदि सहवासी संबंध में प्रवेश करने के इच्छुक पंजीकरणकर्ता के पास वर्तमान सहवासी संबंध के प्रारम्भ से पूर्व वैवाहिक या सहवासी संबंध का इतिहास है तो–

(क) यथास्थिति, विवाह–विच्छेद की अंतिम आज्ञप्ति; विवाह की अकृतता की अंतिम आज्ञप्ति; जीवनसाथी का मृत्यु प्रमाण पत्र; सहवासी संबंध की समाप्ति का प्रमाण पत्र।

(ख) यदि कोई विवाह रूढ़िगत विधि के अंतर्गत संहिता प्रारंभ होने से पूर्व विघटित हो गया था, तो ऐसे विवाह के विघटन का प्रमाण।

(vi) पंजीकरणकर्ताओं के मध्य विवाह की अनुमन्यता का प्रमाण यदि वे प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर हैं – अनुलग्नक –27 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार धर्म गुरु / समुदाय प्रमुख या संबंधित धार्मिक / सामुदायिक निकाय के अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र कि पंजीकरणकर्ताओं को शासित करने वाली रुढ़ि या प्रथा प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्री के अंतर्गत विवाह अनुमन्य करती हैं;

(vii) साझी गृहस्थी का प्रमाण –

(क) यदि साझी गृहस्थी या साझी गृहस्थी के रूप में उपयोग किया जाने वाला निवास स्थान किराए पर लिया गया हो– स्वामी का पूर्ण नाम; स्वामी का मोबाइल नंबर; किराया अनुबंध की एक प्रति; किरायेदार सत्यापन संख्या एवं उपभोक्ता कंपनी या आवासी कल्याण संघ द्वारा निर्गमित अंतिम जल/विद्युत् बिल की एक प्रति।

(ख) यदि साझी गृहस्थी या निवास स्थान के रूप में उपयोग किया जाने वाला आवास पंजीकरणकर्ताओं या पंजीकरणकर्ताओं के नातेदारों के स्वामित्व में है – स्वामी का नाम तथा पंजीकरणकर्ताओं के साथ संबंध; स्वामी का मोबाइल नंबर यदि दोनों या पंजीकरणकर्ताओं में से किसी एक का स्वामित्व नहीं है, तथा उपभोक्ता कंपनी या आवासी कल्याण संघ द्वारा निर्गमित अंतिम जल/विद्युत् बिल की प्रति।

(4) **यदि पंजीकरणकर्ताओं में से कोई भी 21 वर्ष से कम आयु का है तो उनसे संबंधित अतिरिक्त सूचना–** माता–पिता या विधिक अभिभावकों का नाम; आधार से संबद्ध माता–पिता या विधिक अभिभावकों के मोबाइल नंबर; आधार के अनुसार माता–पिता या विधिक अभिभावकों के पते एवं माता–पिता या विधिक अभिभावकों की ईमेल आईडी।

(5) **यदि सहवासीगण पूर्व से ही सहवासी संबंध में हैं तो अतिरिक्त सूचना–** सहवासी संबंध में प्रवेश का दिनांक।

(6) **सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु कथन के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया–** जो पंजीकरणकर्ता सहवासी संबंध में रह रहे हैं या सहवासी संबंध में प्रवेश के इच्छुक हैं, वे ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके अथवा ऑफ़लाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।

(7) **सहवासी संबंध को पंजीकृत करने हेतु कथन के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया–** पंजीकरणकर्ता सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु कथन स्वयं अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किसी भी एजेंसी/एजेंसियों की सहायता से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके सापेक्ष एजेंसी/एजेंसियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क प्रभारित कर सकती हैं। दोनों ही स्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा –

(क) संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल www.ucc.uk.gov.in पर जाएं एवं वहां विहित रीति का क्रमशः पालन करें या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें एवं उसमें विहित रीति का क्रमशः पालन करें।

(ख) सहवासी संबंध के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु प्रथम चरण में एक बार साइन–अप करना होगा, जिसके लिए पंजीकरणकर्ताओं में से किसी एक द्वारा स्वयं की आधार संख्या प्रविष्ट करना आवश्यक होगा। आधार संख्या से संबद्ध मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु प्रविष्ट करना होगा। पंजीकरणकर्ता हेतु आधार संख्या भविष्य की समस्त प्रक्रियाओं के लिए उपयोगकर्ता पहचान संख्या होगी।

(ग) कथन के प्रस्तुतीकरण हेतु, पंजीकरणकर्ताओं में से एक को आधार संख्या के माध्यम से लॉगिन करना आवश्यक होगा जिसे उपरोक्त खंड (ख) में उल्लिखित प्रक्रिया के पश्चात् प्रत्येक बार सत्यापित किया जाएगा।

(घ) वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप इस प्रकार परिकल्पित किया जाएगा कि लॉग इन करने के पश्चात् पंजीकरणकर्ताओं को क्रमशः अपेक्षित सूचना की प्रविष्टि अथवा विकल्पों की सूची से किसी एक का

चयन करने अथवा संबंधित अभिलेख की प्रति अपलोड करने हेतु मार्गदर्शित किया जा सके। लॉग–इन करने से पूर्व, पंजीकरणकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे नियम 15 के उपनियम (3), (4) एवं (5) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना सहज उपलब्ध रखें ताकि ज्ञापन का प्रस्तुतीकरण सुचारू रूप से हो सके।

(ङ) यदि पंजीकरणकर्ताओं में से एक विदेशी नागरिक है, तो विदेशी नागरिक को आधार कार्ड निर्गमित होने तक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से कथन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

(8) सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु कथन के ऑफ़लाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया–

(क) ऑफ़लाइन पंजीकरण हेतु, पंजीकरणकर्ता सहायक अभिलेखों के साथ प्रपत्र–3 में विहित प्रारूप में सहवासी संबंध का विवरण संबंधित निबंधक को प्रस्तुत कर सकते हैं। पंजीकरणकर्ता संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल अर्थात www.ucc.uk.gov.in पर जाकर अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से अधिकारिता प्राप्त निबंधक के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से कथन के प्रस्तुतीकरण हेतु, पंजीकरणकर्ता संबंधित निबंधक को व्यक्तिगत रूप से सहवासी संबंध का कथन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(9) सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु शुल्क– सहवासी संबंध में पंजीकरण के लिए निम्नवत् निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑफलाइन पंजीकरण हेतु नकद या ऑनलाइन पंजीकरण हेतु डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है। ऑफ़लाइन पंजीकरणकर्ताओं को अनुलग्नक –28 के अनुसार चालान भरकर किसी भी वाणिज्यिक बैंक में शुल्क जमा करना होगा एवं चालान की रसीद प्राप्त करनी होगी। डिजिटल भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड या यूपीआई विकल्पों के माध्यम से किया जा सकता है। विभिन्न श्रेणियों हेतु शुल्क निम्नानुसार हैं–

(क) जो लोग संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व सहवासी संबंध में थे, उन्हें संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक को सहवासी संबंध का कथन प्रस्तुत करते समय, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित शुल्क प्रभार्य होगा।

(ख) संहिता के प्रारंभ होने की दिनांक या उसके पश्चात् सहवासी संबध में प्रवेश के इच्छुक पंजीकरणकर्ताओं को सहवासी संबंध में प्रवेश करने से पूर्व अपना आशय प्रस्तुत करते समय, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित शुल्क प्रभार्य होगा।

16. सहवासी संबंध की समाप्ति

(1) सहवासी संबंध की समाप्ति की प्रक्रिया– सहवासी संबंध की समाप्ति के इच्छुक दोनों सहवासी, या उनमें से कोई एक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।

(2) सहवासी संबंध की समाप्ति के कथन में सम्मिलित की जाने वाली सूचना–

(क) सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों – महिला, पुरुष या संयुक्त रूप से दोनों सहवासी का नाम एवं पता;

(ख) सहवासी संबंध के कथन की पंजीकरण संख्या;

(ग) सहवासी संबंध की समाप्ति की दिनांक;

(घ) बच्चों का विवरण – सहवासी संबंध से जनित या सहवासियों द्वारा गोद लिए गए बच्चे का नाम, आयु, लिंग, जब तक कि ये विवरण पूर्व में प्रस्तुत न कर दिए गए हों; तथा

(ङ) सहायक अभिलेख– उपरोक्त **खंड (घ)** के अंतर्गत दी गई सूचना के समर्थन हेतु – बच्चे के जन्म/दत्तक ग्रहण का प्रमाण पत्र।

(3) सहवासी संबंध की समाप्ति हेतु कथन के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया– पंजीकरणकर्ता सहवासी संबंध की समाप्ति हेतु कथन स्वयं अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किसी भी एजेंसी/एजेंसियों की सहायता से प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसके सापेक्ष एजेंसी/एजेंसियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क प्रभारित कर सकती हैं। दोनों ही स्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा –

(क) संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल www.ucc.uk.gov.in पर जाएं एवं वहां विहित रीति का क्रमशः पालन करें या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें एवं उसमें विहित रीति का क्रमशः पालन करें।

(ख) कथन के प्रस्तुतीकरण हेतु, सहवासी संबंध में से एक साथी को अपने/अपनी आधार संख्या के माध्यम से लॉगिन करना आवश्यक होगा जिसे प्रत्येक बार सत्यापित किया जाएगा।

(ग) वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप इस प्रकार परिकल्पित किया जाएगा कि लॉग इन करने के पश्चात् सहवासियों को क्रमशः अपेक्षित सूचना की प्रविष्टि अथवा विकल्पों की सूची से किसी एक का चयन करने अथवा संबंधित अभिलेख की प्रति अपलोड करने हेतु मार्गदर्शित किया जा सके। लॉग–इन करने से पूर्व, सहवासियों को सलाह दी जाती है कि वे नियम 16 के उपनियम (2) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना सहज उपलब्ध रखें ताकि ज्ञापन का प्रस्तुतीकरण सुचारू रूप से हो सके।

(4) सहवासी संबंध की समाप्ति हेतु कथन के ऑफ़लाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया–

(क) ऑफ़लाइन समाप्ति हेतु, सहवासी संबंध की समाप्ति के इच्छुक सहवासी आवश्यक सहायक अभिलेखों के साथ प्रप्रत्र–4 में निर्धारित प्रारूप में सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन संबंधित निबंधक को प्रस्तुत कर सकते हैं। सहवासी साथी संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल अर्थात www.ucc.uk.gov.in पर जाकर अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से अधिकारिता प्राप्त निबंधक के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन संबंधित निबंधक को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) **सहवासी संबंध की समाप्ति हेतु शुल्क**– सहवासी संबंध की ऑफ़लाइन समाप्ति हेतु नकद में या ऑनलाइन समाप्ति हेतु डिजिटल माध्यम से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित शुल्क देय होगा। ऑफलाइन समाप्ति हेतु सहवासियों को अनुलग्नक–28 के अनुसार चालान भरकर किसी भी वाणिज्यिक बैंक में शुल्क जमा करना होगा एवं चालान की रसीद प्राप्त करनी होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत समाप्ति हेतु डिजिटल भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड, या यूपीआई विकल्पों के माध्यम से किया जा सकता है।

17. सहवासियों के कर्तव्य

(1) **सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन प्रस्तुत करना**– सहवासियों को सहवासी संबंध की समाप्ति का अपना कथन नियम 16 के उपनियम (5) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(2) **गर्भस्थ बच्चे के संबंध में सूचना**–

(क) यदि सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन प्रस्तुत करते समय यह ज्ञात हो कि महिला सहवासी गर्भवती है, तो निबंधक को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि सहवासी संबंध की समाप्ति के पश्चात् सहवासियों से बच्चा/बच्चे जनित होते हैं, तो इसे महिला सहवासी साथी द्वारा बच्चे/बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने के दिनांक से तीस दिनों के अंतर्गत अद्यतन करना होगा।

18. सहवासियों के अधिकार

(1) **निबंधक की निष्क्रियता के विरुद्ध शिकायत**–

(क) यह सूचना प्राप्त होने पर कि निबंधक की ओर से निष्क्रियता के कारण सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन संक्षिप्त जांच के प्रयोजनार्थ महानिबंधक को अग्रसारित किया गया है, सहवासी साथी महानिबंधक के समक्ष संबंधित निबंधक के विरुद्ध औपचारिक रूप से शिकायत ऑनलाइन प्रस्तुत करने के पात्र होंगे।

(ख) उपरोक्त खंड (क) के अंतर्गत, सहवासियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

(i) शिकायतकर्ता सहवासी को संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर जाना होगा एवं सहवासी संबंध की समाप्ति हेतु कथन की आवेदन संख्या प्रदान करनी होगी;

(ii) पोर्टल यह सत्यापित करेगा कि क्या ऐसी निष्क्रियता अभिलिखित की गई है एवं क्या कथन को संक्षिप्त जांच के प्रयोजनार्थ महानिबंधक को अग्रसारित किया गया है; तथा

(iii) एक बार कथित निष्क्रियता सत्यापित हो जाने पर, सहवासियों को टेक्स्ट बॉक्स में निबंधक के विरुद्ध अपनी शिकायत प्रविष्ट करने तथा उसे प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(2) **उप–निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील** – उप–निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध, जिसमें सहवासी संबंध के कथन के पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया गया हो– पंजीकरणकर्ता ऐसे अस्वीकृति आदेश की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर निबंधक के समक्ष ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। उपरोक्त को संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर जाकर किया जा सकता है। अपील योजित करने की प्रक्रिया क्रमशः निम्नानुसार है –

(क) पंजीकरणकर्ता को, उप–निबंधक द्वारा अस्वीकृत किए गए सहवासी संबंध के कथन के पंजीकरण संबंधी आवेदन संख्या, अस्वीकृति आदेश की एक प्रति के साथ वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर प्रदान करनी होगी;

(ख) इसके पश्चात् पंजीकरणकर्ता को अपने मामले के समर्थन में अतिरिक्त अभिलेख अपलोड करने का विकल्प प्राप्त होगा; तथा

(ग) अभिलेख, यदि कोई हो, अपलोड करने के पश्चात् पंजीकरणकर्ता टेक्स्ट बॉक्स में अपील हेतु आधार प्रविष्ट कर सकता है एवं उसे प्रस्तुत कर सकता है।

(3) **निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील** –निबंधक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध, जिसमें सहवासी संबंध के कथन के पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया गया हो, पंजीकरणकर्ता ऐसे अस्वीकृति आदेश की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर महानिबंधक के समक्ष ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। उपरोक्त को संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर जाकर किया जा सकता है। अपील योजित करने की प्रक्रिया क्रमशः निम्नानुसार है –

(क) पंजीकरणकर्ता को, निबंधक द्वारा अस्वीकृत किए गए सहवासी संबंध के कथन के पंजीकरण संबंधी आवेदन संख्या, अस्वीकृति आदेश की एक प्रति के साथ वेब–पोर्टल/मोबाइल ऐप पर प्रदान करनी होगी;

(ख) इसके पश्चात् पंजीकरणकर्ता को अपने मामले के समर्थन में अतिरिक्त अभिलेख अपलोड करने का विकल्प प्राप्त होगा; तथा

(ग) अभिलेख, यदि कोई हो, अपलोड करने के पश्चात् घोषणाकर्ता/पंजीकरणकर्ता टेक्स्ट बॉक्स में अपील हेतु आधार प्रविष्ट कर सकता है एवं उसे प्रस्तुत कर सकता है।

19. अनुषांगिक विषय

(1) एक महिला सहवासिनी, उस सक्षम न्यायालय में भरण–पोषण का दावा करने हेतु आवेदन योजित कर सकती है, जिसका अधिकार क्षेत्र उस स्थान पर हो, जहां दोनों सहवासी साथी अंतिम बार साथ रहते थे। यदि अंतिम सहवास का स्थान उत्तराखण्ड की सीमा से बाहर है, तो आवेदन सहवासी संबंध के पंजीकरण के समय सहवासी साथियों द्वारा चयनित निबंधक के अधिकारिता क्षेत्रवाले सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) अवयस्क बच्चे/बच्चों की देखभाल, अभिरक्षा एवं भरण–पोषण का दावा करने हेतु, आवेदक साथी/व्यक्ति को, सहवासी संबंध के पंजीकरण के समय सहवासी साथियों द्वारा चयनित निबंधक के अधिकारिता क्षेत्रवाले सक्षम न्यायालय में आवेदन योजित करना होगा।

(3) महिला सहवासी साथी के भरण–पोषण, तथा सहवासी संबंध में अवयस्क बच्चे/बच्चों की देखभाल, अभिरक्षा एवं भरण–पोषण से संबंधित समस्त कार्यवाहियों में संहिता के भाग 1 के अध्याय 5 में निहित प्रावधान *यथावश्यक परिवर्तनों* सहित लागू होंगे।

अध्याय– 6

प्रकीर्ण प्रावधान

20. (1) सूचना तक पहुंच –

(क) विवृत्त पहुँच – इस नियमावली के अंतर्गत प्राप्त ज्ञापनों के माध्यम से एकत्र की गई समस्त सूचना को एक डेटाबेस, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में संग्रहीत किया जायेगा। उपरोक्त डाटाबेस से ऐसी सूचनाएं, जो पंजीकरणकर्ताओं की वैक्तिक सूचना से संबंधित नहीं हैं, जैसे कि किसी विशिष्ट समयावधि में तथा किसी विशिष्ट क्षेत्र में अनुष्ठापित विवाहों के पंजीकरणों की संख्या से संबंधित आंकड़े, सूचना आइकन पर क्लिक करके तथा संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल www.ucc.uk.gov.in अथवा मोबाइल ऐप पर प्रश्न प्रस्तुत करके विवृत रूप से प्राप्त की जा सकेंगी।

(ख) प्रतिबंधित पहुंच – किसी व्यक्ति की वैक्तिक सूचना जैसे कि धर्म, श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य), उसके बच्चों की संख्या तथा उसके संबंधों का इतिहास अर्थात, क्या वह व्यक्ति पूर्व में विवाहित है या सहवासी संबंध में है या विवाह–विच्छेदित या विधवा/विधुर है या उसका विवाह अकृत हो गया है या सहवासी संबंध समाप्त हो चुका है, मात्र तभी प्राप्त की जा सकती है जब जानकारी मांगने वाला व्यक्ति तथा वह व्यक्ति जिसकी व्यक्तिगत सूचना मांगी जा रही है, दोनों में से किसी एक या दोनों के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु संयुक्त रूप से पृच्छा प्रस्तुत करें। किसी भी स्थिति में, पृच्छा प्रपत्र संहिता के आधिकारिक वेब–पोर्टल www.ucc.uk.gov.in अथवा मोबाइल ऐप पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(2) मिथ्या शिकायतों को हतोत्साहित करना –

(क) यदि यह ज्ञात होता है कि किसी व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या शिकायत दर्ज की है, तो शिकायतकर्ता को भविष्य में सावधान एवं सचेत रहने हेतु चेतावनी दी जाएगी। यदि वही व्यक्ति दूसरी शिकायत दर्ज करता है जो मिथ्या पाई जाती है, तो उसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित शास्ति/अर्थदंड देय होगा। उसी व्यक्ति द्वारा अग्रेत्तर मिथ्या